लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ७, १९६२/१८८४ (शक)

[२० से ३१ अगस्त, १९६२/२९ श्रावण, से ९ भाद्र, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-92
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ७ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२
२ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ट्रंक बुकिंग

†*५४९. { **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन चेम्बर आफ़ कामर्स जैसे विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें बम्बई, दिल्ली और मद्रास आदि बड़े शहरों के लिये ट्रंक काल करने में सदा कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) ये कठिनाइयां क्यों होती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) हां ।

(ख) और (ग) कलकत्ता से ट्रंक काल करने में कठिनाई होने के मुख्य कारण निम्न हैं :

(१) कलकत्ता को बम्बई, मद्रास, गोहाटी और कटिहार से मिलने वाली ट्रंक लाइनों के तांबे के तारों की बार बार चोरी हो जाना ।

(२) कलकत्ता को दिल्ली, मद्रास, गोहाटी, कटक से मिलाने वाली मुख्य ट्रंक लाइनों पर अपर्याप्त ट्रंक सर्किट का होना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1752 (Ai)LSD—1.

(३) कलकत्ता में ट्रंक एक्सचेंज यंत्रों की कमी । चालू वित्तीय वर्ष में कलकत्ता का ट्रंक एक्सचेंज बढ़ाया जा रहा है । जून, १९६२ के अन्तिम सप्ताह से कलकत्ता–बम्बई मार्ग पर ट्रंक सर्किट के कार्य में पर्याप्त सुधार हो गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखकर कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सरकार तारों की चोरी और मौसम की स्थितियों का सहारा लेकर उत्तर दे देती है, सरकार तारों की चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री भगवती** : चोरी-क्षेत्र का पता लगाने के लिए कुछ यंत्र लगाये गये हैं । हम राज्य सरकार तथा पुलिस से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हैं ताकि इस बारे में प्रभावी कार्यवाही की जा सके ।

†**श्री हेम बरुआ** : अभी माननीय मंत्री ने जो कुछ किये गये उपाय बताये हैं, उनसे कार्यसिद्धि में काफी समय लगेगा । आजकल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, क्योंकि लाइन खराब होने की नियमित शिकायत है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : अधिक निगरानी करने के अलावा और क्या किया जा सकता है । अभी तक हम मौसम पर नियन्त्रण नहीं कर सके हैं । जहां तक चोरी की बात है, हम इस बारे में राज्य सरकार के साथ गश्त व्यवस्था बढ़ाकर या अन्य कोई वैसी ही कार्यवाही करके निरन्तर कार्यवाही करते रहते हैं । इससे यह कम हो सकता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : किस राज्य में तार की चोरी सर्वाधिक होती है ?

†**श्री भगवती** : पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हम हर साल यही शिकायत सुनते हैं और हर साल यही आश्वासन दिया गया है । उसका ध्यान रखकर, मैं जानना चाहता हूं कि उन तीन बड़े एक्सचेंजों में कार्य की कितनी अधिकता है और उसे पूरा करने के लिए आज कल तथा आगामी वर्षों में क्या किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न में तीन या चार बार "और" का प्रयोग किया गया है ।

†**एक माननीय सदस्य** : यह अच्छी अंग्रेज़ी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं ठीक अंग्रेज़ी बोलता हूं और मुझे इसका गर्व है । यदि किसी को इस पर आपत्ति हैं तो, मेरा ख्याल है कि यह उसकी भूल है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बात का ध्यान रख कर कि हर बार इस सभा में यही शिकायतें की गई हैं और हर बार यही आश्वासन दिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली के तीनों बड़े एक्सचेंजों के कार्य भार का सर्वेक्षण यह देखने के लिए किया है कि इसकी पूर्ति निश्चित प्रोग्राम के अन्तर्गत या एक वर्ष में कैसे की जा सकती है ?

†**श्री भगवती** : यातायात बहुत बढ़ गया है । वर्ष १९५६–५७ में पूरी हुई कालों की संख्या ४,६३,३९४ थी ; वर्ष १९६०–६१ में पूरी हुई कालों की संख्या ७,३८,९४९ थी और वर्ष १९६१–६२ में पूरी हुई कालों की संख्या ७,९०,८९१ थी । इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि काल संख्या बहुत बढ़ गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मुख्यकर निम्न कार्यवाही की गई है । कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से बम्बई और कलकत्ता से मद्रास की लाइनों पर 'कान्सियल केबल' डाले जा रहे हैं । आशा है कि की गई इस कार्यवाही के कारण इन वर्षों में काफी सुधार होगा ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या इन सब जटिलताओं का कारण तांबे के तार की चोरी होना ही है या कुछ और बातें भी हैं ? यदि यह केवल तांबे के तारों की चोरी की ही बात है, तो उस दिन वह सारी लाइन ही बेकार रहेगी ?

†**श्री भगवती** : दूसरी बात मौसम खराब होने की है जिसके कारण अवरोध होता है । तूफान, बाढ़, आदि के कारण भी लाइनों में खराबी होती है ।

कैन्सर

†*५५०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और हो रही है ;

(ख) इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये अथवा उठाने का इरादा रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख) निश्चित रुप से यह बताने के लिए कोई सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कैन्सर के कारण होने वाली मृत्युओं की संख्या बढ़ रही है ।

किन कारणों से कैन्सर होता है, इसका अभी निश्चय नहीं हो पाया है । रोगियों की संख्या में प्रत्यक्ष वृद्धि से हो सकते हैं : (१) इस रोग का जनसाधारण को ज्ञान होना, (२) डाक्टरों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को कैन्सर अस्पताल भेजे जाने की प्रथा बढ़ गई है ; और (३) रोग निर्धारण के उत्तम ढंग विदित हो गये हैं ।

(ग) भारत के सभी बड़े अस्पतालों में कैन्सर की चिकित्सा की सुविधायें हैं । उनका विस्तार किया जा रहा है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस रोग की वद्धि का कोई संबंध आधुनिक प्रगति से है और क्या हमें दुनिया के यथाकथित प्रगतिशील देशों तथा वहां हुए अनुसन्धानों से कुछ सीखना है ?

†**डा० द० स० राज** : मुख्य प्रश्न कैन्सर के कारणों के बारे में है । उनका पूरी तरह से पता नहीं लगा है । कैन्सर होने के अनेक कारण है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस रोग की चिकित्सा के लिए आवश्यक कौन सामान देश में उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण इसकी चिकित्सा चाहने वालों को विदेश जाना पड़ता है ? क्या इस मामले में कुछ करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० द० स० राजू** : कुछ ढंग हैं । अब तक हम कैन्सर के रोगियों की चिकित्सा के लिए अप्रेशन, रेडियम तथा गहरी एक्स-रे चिकित्सा पर निर्भर करते थे । हाल में, हमें आइसोटाप तथा रोवाल्ट चिकित्सा पद्धति का पता लगा है । हमारे देश में इसका श्रीगणेश हाल में हुआ है । हमारे

†मूल अंग्रेज़ी में

पास ये पर्याप्त संख्या में नहीं हैं । कुछ कैन्सर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे पास आइसोटाप पर्याप्त या अपेक्षित संख्या में नहीं हैं । कदाचित माननीय सदस्य इसी का उल्लेख कर रहे थे । कुछ रोगी विदेश जाते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के डा० पेन द्वारा इस देश में किये गये प्रयोग की ओर आकर्षित किया गया है जो दावा करते हैं कि उन्होंने ढोरों के पित्त से एक नई औषधि बनाई है जिसके प्रयोग से आश्चर्यजनक परिणाम होता है ?

†**डा० द० स० राजू** : सरकार को इरविन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में डा० पेन द्वारा किये गये प्रयोगों का ज्ञान है । मेरा ख्याल है कि उन्होंने लगभग २० रोगियों पर प्रयोग किये । कहना यह है कि १० रोगियों को कुछ लाभ हुआ है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या धूम्रपान करने और पान खाने से कैन्सर हो जाता है ?

†**डा० द० स० राजू** : हां । अब तक यह विचार रहा है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको कैन्सर अधिक होता है जब कि धूम्रपान न करने वालों को यह रोग कम होता है ।

श्री बड़े : क्या शासन को पता है कि वैद्यों ने भी अपने आयुर्वेदिक सम्मेलन में इसकी चर्चा की है और यदि हां, तो क्या गवर्नमेंट ने उनसे पूछा है कि कैंसर के आयुर्वेद में क्या कारण बताये गये हैं और क्या ट्रीटमेंट है और इस बारे में वहां क्या विचार प्रकट किए गए ?

†**डा० द० स० राजू** : कैन्सर के लिए आयुर्वेदिक औषधियां लाभदायिक हैं, इस बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है । भारत सरकार में आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं और हम उनकी सलाह लेंगे ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या कैन्सर और उसके कारणों के बारे में सांख्यिकीय बनाने का प्रयास किया जायेगा ?

†**डा० द० स० राजू** : हां । हम इन सब व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का प्रयास करेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार को विदित है कि भारत में रोगियों की चिकित्सा संबंधी मांग की अपेक्षा अस्पताल बहुत कम हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है जिससे कि ऐसी चिकित्सा की सुविधाओं की कमी दूर हो सके ?

†**डा० द० स० राजू** : नवीनतम उपचार आइसोटाप और कोवाल्ट चिकित्सा का है । इनके लिए बहुत धन चाहिये । मेरा विचार है कि देश में इसके दस संयंत्र हैं । यह प्रश्न वित्त संबंधी है । हमारे संसाधन बढ़ते ही हम अधिक व्यवस्था करेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को ब्रिटेन में 'रायल कालिज फिज़ीसियन्स' की रिपोर्ट मिल गई है और क्या उन्होंने इसमें दिये गये सुझावों का अध्ययन कर लया है ?

†**डा० द० स० राजू** : हां, श्रीमान् । हम संसार भर में हो रहे अनसन्धानों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : अभी अखबारों में निकला था कि तम्बाकू पीने से कैंसर नहीं होता है, सिगरेट में जो कागज रहता है, उस से होता है । क्या सरकार ने इस की कोई जांच पड़ताल करवाई है ?

†**डा० द० स० राजू** : इस बारे में हमने कोई जांच पड़ताल नहीं की है ।

मौसम चेतावनी योजना

+
†*५५१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी समुद्रतटवर्ती राज्यों में मछुओं के लिये मौसम चेतावनी योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) अभी फिलहाल वह किस भाग में कार्यान्वित हो रही है ; और

(ग) सभी समुद्रतटवर्ती राज्यों में यह कब तक लागू कर दी जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) से (ग) मद्रास, केरल और मैसूर के तटीय क्षेत्रों में मछुओं को मौसम-चेतावनी देने की योजना जून, १९६२ तक चल रही थी । जून, १९६२ के प्रथम सप्ताह से योजना सभी समुद्रतटवर्ती राज्यों में लागू कर दी गई है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या आकाशवाणी और ऋतु विज्ञान विभाग के बुलेटिनों में यह सूचना होती है ?

†**श्री भगवती** : हां, श्रीमान् । समुद्रतटीय राज्य, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र और गुजरात के आकाशवाणी केन्द्रों के बुलेटिनों में ये समाचार होते हैं । यह प्रोग्राम सायंकाल ग्रामवासियों के लिए प्रसारित होता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : हमें ज्ञात है कि कृषकों को इन बुलेटिनों से बड़ा लाभ होता है । क्या यह सूचना कृषकों के बुलेटिनों के साथ जोड़ी जायेगी ?

†**श्री भगवती** : आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से मध्याह्न के प्रसारण में मौसम की स्थिति तथा मौसम चेतावनी प्रसारण करने की अन्य योजना है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : माननीय मंत्री ने कहा था कि सायंकाल के प्रसारण में यह जानकारी शामिल की जायेगी । इन प्रसारणों से छोटे मछुओं को कैसे लाभ होगा ?

†**श्री भगवती** : यह जानकारी किसी प्रबन्ध से सब क्षेत्रों को रिले की जा सकती है और माननीय सदस्य भी राज्य सरकारों से मछुओं को कुछ रेडियो देने की मांग करके सहायता कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : क्या यह जानकारी और प्रसारण केवल बड़े समुद्र तटीय राज्यों में तैयार होती है या वहां भी तैयार होती है जहां छोटे मछुए समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं ?

†**श्री भगवती** : यह सब के लिए है ।

†**श्री वारियर** : छोटे बन्दरगाहों में मछुओं को जानकारी मिल सके इसके लिए सरकार क्या उपाय करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जानकारी उन व्यक्तियों के लिए प्रसारित की जाती है जो उसे सुनना चाहते हैं ।

डाक द्वारा भेजे गये तारों के शुल्क की वापसी

*५५२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक द्वारा भेजे गये तारों का शुल्क प्रेषकों को वापस कर दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रेषकों को यह सूचित करने के लिए कि उनके तार साधारण डाक द्वारा भेजे गये थे और वे वापसी की मांग कर सकते हैं, कोई व्यवस्था मौजूद है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जब कभी परिपथों में गड़बड़ी होती है, तारों को डाक द्वारा भेजा जाता है । देरी की शिकायत करने पर शुल्क वापस करने की मंजूरी दे दी जाती है ।

(ख) जब कभी कोई तार वितरित नहीं किया जाता या उसे किसी कारण से रद्द कर दिया जाता है तो उसकी सूचना प्रेषक को दे दी जाती है ।

श्री विभूति मिश्र : कायदा यह है कि जो आदमी तार भेजता है, उस के कहने पर, अगर सरकार तार नहीं भेज सकती है तो पैसा वापस कर देती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वह तार न भेज सके तो तार देने वाले को अपनी तरफ से पैसा वापस कर दे ?

†**श्री भगवती** : हां, श्रीमान । सरकार राशि लौटा देती है जब शिकायत की जाती है और वह देखने में सच मालूम हो ।

†**श्री विभूति मिश्र** : जब डाक तथा तार घर तार नहीं भेजते, तो धन लौटाना तार घर का कर्तव्य है । राशि क्यों न लौटाई जाय ? क्या यही जनहित राज्य है ?

†**श्री भगवती** : यदि शिकायत ही न हो तो राशि कैसे लौटाई जाये ?

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या सरकार ध्यान देगी कि जब तार भी साधारण लिफाफे में रख कर भेजा जाय, तो यह नोटिस भी दिया जाता है कि व्यक्ति अपनी राशि वापस ले सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य करने का यह एक सुझाव है ?

श्री म० ला द्विवेदी : जब तार डाक से भेजे जाते हैं तो तार भेजने वाले का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है क्योंकि वह समाचार जल्दी भेजना चाहता है । क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यदि तार को डाक से ही भेजना हो तो तार देते समय ही क्यों नहीं कह दिया जाता कि तुम्हारा तार डाक से भेजा जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) अगर उस वक्त लाइन खराब हो तब तो हम उसी वक्त कह दें, लेकिन अगर तार लेने के बाद लाइन खराब हो जाती है तो सोचना पड़ता है कि तार को डाक से भेजने के लिये छोड़ दें या कोई रास्ता निकालें जिसमें कि दो चार घंटे लेट भी जिसके नाम से तार भेजा गया है उस वक्त तक पहुंच जाये ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** संसद के पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने एक ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में हमें आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न पर कि प्रेषक को धन की वापिसी की सूचना दी जाये, विचार किया जायेगा । क्या इस प्रश्न पर विचार हो चुका है कि यदि तार डाक से भेजे जायें, तो उसकी सूचना प्रेषक को दी जाये, और क्या यह प्रथा लागू कर दी गई है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह नहीं किया गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** वर्ष १९६०–६१ में कितने तार डाक से भेजे गये और कितने प्रेषकों ने धन वापस नहीं मांगा ?

†**श्री भगवती :** मैं वर्ष १९५७ से डाक से भेजे गये तारों की संख्या बता सकता हूं । वर्ष १९५७–५८ में इनकी संख्या केवल एक प्रतिशत थी । वर्ष १९५८–५९ में इनकी संख्या ०.५ प्रतिशत ; वर्ष १९५९–६० में ०.५ प्रतिशत ; और वर्ष १९६०–६१ में १.१ और १९६१–६२ में १.१ । अतः प्रतिशत बहुत कम है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने यह विचार किया है कि कम से कम जो बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं जैसे कलकत्ता, बम्बई आदि, उनमें बेतार के यंत्रों की व्यवस्था रखी जाय ताकि अगर लैंड लाइन खराब हो जाये तो उनके द्वारा तार भेजे जा सकें ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, कई स्थानों में उसकी भी व्यवस्था है । लेकिन उस की क्षमता भी कुछ परिसीमित है और जब बहुत तार आ जाते हैं, जैसे कि बड़े शहरों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उनका व्यवहार करने पर भी ऐसा मालूम होता है कि जितनी उनकी क्षमता है, उसके अनुसार सब तार उनके द्वारा नहीं भेजे जा सकते । ऐसी हालत में यह सोचना पड़ता है कि उनको हम डाक से भेज दें या कलकत्ते में ही पड़ा रहने दें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमारे यहां डाक भेजने के भी दो प्रकार हैं, एक सामान्य डाक और दूसरी एक्सप्रेस डिलीवरी । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो तार डाक से भेजे जाते हैं क्या उनको इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि वे एक्सप्रेस डिलीवरी हो जायें ?

श्री जगजीवन राम : वे तो अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर तार ही की तरह वितरित किये जाते हैं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या ऐसे तारों को जब कि तार व्यवस्था खराब हो जाये रेडियो से भेजने की सरकार की कोई योजना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वे सम्बन्धित व्यक्ति को कैसे सूचना दे सकते हैं । शायद वह नहीं सुन रहे हैं ? अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तटीय नौकाओं का निर्माण

†*५५३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तटीय नौकायें बनाने की क्षमता का कोई पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षमता पायी गयी है ;

(ग) क्या गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता और मजगांव डाक, बम्बई में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता की छानबीन इस प्रयोजन के लिये भी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस छानबीन से क्या नतीजा निकला ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (घ) देश में तटीय नौकायें बनाने की क्षमता हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम, गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, कलकत्ता और मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में है। हिन्दुस्तान शिपयार्ड को चालू योजना काल में समुद्र पार जाने वाले जहाज बनाने का काम दे दिया गया है और इस कारण वह आजकल तटीय नौका बनाने का कोई भी क्रयादेश स्वीकार नहीं कर सकता। दोनों गार्डनरीच वर्कशाप्स लिमिटेड और मजगांव डाक लिमिटेड विद्यमान सुविधाओं में ५,००० डी० डब्ल्यु० टी० तक के जहाजों का निर्माण कर सकते हैं। बड़े वाणिज्यिक जहाज बनाने के योग्य बनाने के लिये गार्डन रीच वर्क शाप्स् का विकास करने की योजना पर प्रतिरक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : योजना की आवश्यकतापूर्ति के लिये तटीय भार-वहन बढ़ाने की आवश्यकता का ध्यान रख कर क्या भारतीय शिपिंग लाइन्स से यह कहने का कोई प्रयास किया गया है कि वह विदेशी नौकाओं पर विदेशी मुद्रा व्यय करने के बजाये देशी तटीय नौकाओं के लिए क्रयादेश दे ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बात पूर्णतया यार्डों की क्षमता पर निर्भर है। मैं आसानी से आश्वासन दे सकता हूं कि क्षमता के होते हुए हम सदैव ही उसका पूर्ण प्रयोग करेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : तीसरी योजना की शेष अवधि के लिए कितनी तटीय नौकाओं की आवश्यकता होने का अनुमान है और इसकी पूर्ति इन दोनों वर्कशापों से हो जायेगी, यहां तक कि यदि उनका विकास भी कर दिया जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : हमें अनुभव से ज्ञात हुआ है कि तटीय टन भार का विस्तार व आधार प्रत्यक्षतः उपलब्ध सामान से सम्बन्धित रहा है। और १० लाख टन कोयला ले जाने के लिए मिल जाने से विस्तार की आवश्यकता हो गई है। इस आधार पर अभी हमें २० नौकाओं की आवश्यकता है जो हम या तो पुरानी खरीदेंगे या नई बनायेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : देश में जहाज बनाने की सुविधायें देने के बजाये, क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन समवायों से काफी पुरानी नौकायें खरीदने को कहा जा रहा है और इसका राष्ट्रीय नौवहन ने विरोध किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने उन्हें ऐसा करने का प्रोत्साहन दिया है क्योंकि स्पष्ट है कि हमें मांग पूरी करनी है। हम ट्राईम चार्टर या फेरी-चार्टर आधार पर विदेशी नौकायें लेने पर विदेशी मुद्रा व्यय करना नहीं चाहते। इसी कारण नौकाओं की प्राप्ति की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनको और जहाजों की आवश्यकता होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई और कलकत्ता के जो ये दोनों यार्ड हैं उनमें एक साल में कितने जहाज बनाने की क्षमता है ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में कोई गलत इम्प्रेशन न हो जाए इसलिए मैंने कहा कि इसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि यह आवश्यकता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमको कितना कारगो मिलता है । अगर ज्यादा कारगो, कोयला आदि, मिलगा तो हमको ज्यादा जहाज़ों की आवश्यकता होगी ।

रहा यह सवाल कि कितने जहाज बना सकते हैं, तो मैंने कहा कि गार्डन रीच और मेज़ेगांव डाक्स में थर्ड प्लान में कुछ क्षमता है । कुल कितने बनाये जा सकते हैं यह तो उन डाक्स के विकास पर निर्भर करेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह सच है कि तटीय नौका निर्माण प्रोग्राम अनुसूची के अनुसार नहीं हो रहा है, जैसा कि योजना में निर्धारित है ?

†**श्री राज बहादुर :** प्रश्न तनिक भी स्पष्ट नहीं है । मैंने कहा था वहन टनभार मांग के अनुसार बढ़ गया है । मांग की वृद्धि के साथ ही साथ नौवहन समवाय तटीय व्यापार में टनभार बढ़ाने के प्रस्ताव दे रहे हैं ।

श्रीसैलम जल-विद्युत परियोजना

†*५५४. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को श्रीसैलम जल-विद्युत परियोजना का निर्माण आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना से बनने वाली बिजली देश में सर्वाधिक सस्ती होगी ; और

(ग) क्या इस परियोजना के पूरे होने पर आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान बिजली का भारी अभाव पूरा हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर ही इसका पता लगेगा ।

(ग) हां, श्रीमान । इससे विद्युत की कमी दूर करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया:** क्या राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया है कि यदि नागार्जुनसागर बांध पूरी तरह बन जाये तो श्रीसैलम परियोजना के नींव के बारे में निर्माण सम्बन्धी भारी कठिनाई होगी और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना के लिए शीघ्र स्वीकृति देने का है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** आन्ध्र सरकार से अभी परियोजना रिपोर्ट नहीं आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या यह सच है कि इस सरकार न राज्य सरकार को बहुत समय पहिले प्रस्तुत की गई श्रीसैलम जल-विद्युत परियोजना को दो भागों में विभक्त करने की सलाह दी है, जिसका एक भाग श्रीसैलम का होगा और दूसरा नागार्जुनसागर का होगा, हालांकि यह स्पष्ट बताया गया था कि टेक्निकल दृष्टि से ऐसा करना सम्भव न था और वित्तीय दृष्टि से मुख्य तथा बाद की जल योजनाओं को अलग करना उचित नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं लिखित अनुपूरक प्रश्नों को पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** आन्ध्र सरकार ने दोनों परियोजनायें एक साथ नहीं भेजी हैं । अब यह निश्चय हो गया है कि क्योंकि वे दोनों अलग अलग परियोजनायें है, उन्हें अलग अलग ही लिया जायेगा । नागार्जुनसागर परियोजना की रिपोर्ट आ गई है, परन्तु राज्य सरकार ने अभी दूसरी परियोजना की रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश में इस परियोजना से सर्वाधिक सस्ती विद्युत प्राप्त होगी और इसे नागार्जुनसागर जलाशय में पानी के उस स्थिति में आने से पहिले लेना होगा जबकि इस बांध का निर्माण असम्भव हो जायेगा ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** आशा है कि विद्युत् सस्ती होगी । परन्तु परियोजना की पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह नहीं कहा जा सकता कि क्या स्थिति होगी ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** इस परियोजना से कितनी विद्युत् बनने की आशा है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** क्या उनका अभिप्राय प्रस्तावित परियोजना से है ?

†**श्री काशी राम गुप्त :** हां ।

†**श्री सै० अ० मेहदी :** इस परियोजना की आशातीत क्षमता . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर तैयार नहीं है--वह माननीय सदस्य ।

†**श्री ईश्वर रेड्डी :** कृष्णा नदी के पानी का विवाद अनिश्चित रहते हुए, क्या सरकार ने कुछ अन्य राज्यों में कृष्णा नदी के पानी पर कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति दी है ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** यह बात नहीं है ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :** क्या इस परियोजना विशेष के लिए जलावंटन पर महाराष्ट्र राज्य सरकार का मत ले लिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अभी कोई परियोजना नहीं है । यह बाद में देखा जायेगा ।

गुजरात में धुवारन बिजली घर

†*५५६. **श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धुवारन बिजली घर की क्षमता में २५० मेगा वाट की वृद्धि करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) :** (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग २५ करोड़ रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या यह परियोजना केवल गुजरात में ही नहीं बल्कि समीपवर्ती क्षेत्रों में भी बिजली की मांग में कमी को पूरा कर सकेगी ?

†**श्री सै० अ० मेहदी :** जहां तक गुजरात में बिजली की मांग का सम्बन्ध है, यह काफी हद तक कमी को पूरा कर देगी।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** यह बिजली घर कब तैयार हो जायेगा ?

†**श्री सै० अ० मेहदी:** यह आशा है कि पहले दो १९६५–६६ में तैयार हो जायेंगे और दूसरा सेट चौथी योजना में तैयार होगा।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वर्तमान योजना तृतीय योजना के चौथे वर्ष में पूरी होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि अतिरिक्त विस्तार तृतीय योजना में न करके चतुर्थ योजना में क्यों किया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** दो यूनिट वर्ष १९६४ तक चालू हो जायेंगे और दो यूनिट मार्च, १९६५ तक चालू हो जायेंगे। हम ने गुजरात सरकार से अपने प्रस्ताव भेजने को कहा है। हम ने उनसे यह भी बता दिया है कि हम चौथी योजना में और प्रस्ताव भी शामिल कर सकेंगे और यदि विस्तार के लिये तृतीय योजना में कोई प्राथमिक कार्य कराया जा सकता हो तो वह भी कराया जा सकता है।

†**श्री पु० र० पटेल :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिजली की कमी के कारण औद्योगिक प्रगति और कृषि प्रगति लगभग रुक गयी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस तापीय बिजली घर की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

†**श्री अलगेशन :** मैं समझता हूं कि मैंने इसका उत्तर दे दिया है। हम विस्तार कार्यक्रम को चतुर्थ योजना में शामिल करना चाहते हैं और तृतीय योजना में भी आवश्यक प्राथमिक कार्य करना चाहते हैं ।

दूध की बोतल में कीड़ा

+

†*५५७. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री मोहसिन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिये जाने वाले दूध की बन्द बोतलों में कीड़ों के मिलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली दुग्ध योजना के बोतल भरने के तरीके में इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या उपाय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इसके आरम्भ होने के समय से अब तक संभरित की गयी १४ करोड़ दूध की बोतलों में से ऐसी केवल चार शिकायतें मिली हैं। जब दूध की बोतल को भरा जाता है और उस पार ढक्कन लगाया जाता है, तो अकस्मात उसमें कोई कीड़ा जा ही सकता है। डेयरी को कीटाणुओं से मुक्त रखने और दूध तैयार करने और बोतलों में भरने की उचित स्वास्थ्यप्रद स्थिति बनाये रखने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : संसदीय सचिव महोदय ने बताया है कि केवल चार शिकायतें मिली हैं। मैं समझता हूं कि उनको याद होगा कि पिछले महीने इस प्रश्न पर, कि एक बोतल में एक कीड़ा पाया गया है, काफी चर्चा हुई थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न पूछने के बजाय वह जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : दिल्ली दुग्ध योजना डेयरी में जो दूध तैयार किया जा रहा है क्या उस में मनुष्य का हाथ बिल्कुल नहीं लगता ?

†**श्री शिन्दे** : जब दूध दुग्ध संग्रह केन्द्र में आता है, तो वह हाथ के जरिये होता है। परन्तु दुग्ध संग्रह केन्द्र में आने के बाद सभी काम मशीन से किया जाता है जहां मनुष्य का हाथ छुआ जाना सम्भव नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : बोतलों को मुहरबन्द करने का काम मशीन से होता है या हाथ से ?

†**श्री शिन्दे** : बोतल भरने और ढक्कन लगाने का सारा काम मशीन से होता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन बोतलों को कीड़ों से बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली दुग्ध संभरण योजना पर संसद् सदस्यों का ध्यान जा रहा है। देख कर विश्वास करने के अतिरिक्त कोई उत्तम तरीका नहीं है। अतः मैं सभी सदस्यों को इस डेयरी में, जो संसद् भवन से केवल छः मील दूर है, आने के लिये निमंत्रित करता हूं। वास्तव में यह संसार में सर्वोत्तम डेयरियों में से है जहांकि सारा तरीका स्वास्थ्यप्रद है जैसा कि इससे पता चलता है कि सारा काम बन्द सर्किट में किया जाता है। दूध जमाने का काम उस मशीन से किया जाता है जो स्टेनलैस स्टील की बनी है और आधुनिकतम डिजाइन की है। अतः दूध तैयार करने में इस में किसी दूषित वस्तु के मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय श्री शर्मा ने प्रश्न पूछा है कि क्या दूध बोतलों में भरते समय सावधानी बरती जाती है। उस समय पूरी सावधानी बरती जाती है। बोतलों को भरने से पूर्व उन्हें स्वचालित बोतल धोने की मशीनों में ३०० प्रति मिनट के हिसाब से धोया जाता है। धोते समय प्रत्येक बोतल लगभग २५ मिनट तक कई बार पानी और अन्य मिश्रण से धोई जाती है। उनको इस्तेमाल करने से पूर्व उन्हें बिल्कुल स्वच्छ कर लिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जैसा कि एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया क्या कीड़ों को रोकने के लिये उचित व्यवस्था की गयी है ?

†**अध्यक्ष मोहदय**: उसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री भक्त दर्शन : अभी संसदीय सचिव महोदय ने बतलाया कि इस तरह की चार शिकायतें मिली है, मैं जानना चाहता हूं कि उन शिकायतों में किस किस प्रकार के कीड़े निकले थे और उनके नाम क्या थे ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह बहुत छोटे थे। केन्द्रीय डेयरी का दूध तैयार करने और बोतल भरने का कमरा २०० फुट लम्बा, ४० फुट चौड़ा और लगभग ३० फुट ऊंचा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस ओर से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या यह माप कीड़े का बताया जा रहा है।

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कहा जा चुका है, यह अकस्मात हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि कीड़ा कितना बड़ा था।

†**श्री अ० म० थामस** : बहुत छोटा कीड़ा।

श्री भक्त दर्शन: मैं जानना चाहता था कि वह कीड़ा मच्छर था, मक्खी थी या क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : अब बोतल में कीड़ा ही आ सकता है कोई ऊंट तो चला नहीं गया होगा।

†**श्री त्यागी** : क्या यह बोतल धोने वालों की गलती से हुआ कि बोतल में कीड़ा चला गया ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं; बिल्कुल नहीं।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने बतलाया इतने कीड़े निकले। मैं जानना चाहता हूं कि इन कीड़ों की जगह बड़े जंतु निकलने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि दूध चूंकि पचास घंटे बाद जनता को वितरित किया जाता है इसलिए उस के विटामिंस मर जाते है और वह बेकार हो जाता है ?

†**श्री शिन्दे** : दूध उबालने के केन्द्र में दूध प्राप्त होने के बाद इसको पूरी स्वास्थ्यप्रद स्थिति और शीतागारों में रखा जाता है ताकि वह खराब न हो।

†**श्री प्र० के० देव** : हम जानते है कि अधिकांश दूध समीपवर्ती क्षेत्रों से इकट्टा किया जाता है। क्या सरकार का अपने ढोर रखने का कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

श्री सरजू पाण्डेय : अखबारों में रोजाना इस तरह की खबरें छपती रहती है कि कहीं बर्फ में चूहा निकला, कहीं सोडावाटर की बोतल में मक्खी निकली आदि, इस तरह की शिकायतें मिलती

†मूल अंग्रेजी में

है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इन की रोकथाम के लिए क्या कोई खास कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदयः यही तो उन्होंने कहा कि कर रहे हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि जो कीड़े निकले थे उनकी जाति क्या थी और क्या यह जांच भी की गई थी कि उन कीड़ों के निकलने का कारण क्या है ?

श्री त्यागी : जाति ब्राह्मण थी ।

†**श्री अ० म० थामस :** यह मक्खी थी ।

पटसन उत्पादकों की सहकारी संस्थायें

+

†*५५८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटसन की बिक्री के लिये पटसन उत्पादक सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिये कोई प्रार्थना पत्र आये हैं; और

(ख) उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):** (क) जी, नहीं । ऐसी समितियों के पंजीयन के लिये आवेदन-पत्रों पर राज्य सहकारिता विभागों द्वारा कार्यवाही की जाती है और भारत सरकार द्वारा नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रघुनाथ सिंहः क्या इस बात की जांच की गई है कि जूट उत्पादकों में कोआपरेटिव्स सक्सैसफुल होंगी या नहीं ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस की पूरी तौर से जांच की गई है । अभी नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंन्ट बोर्ड ने एक स्टडी टीम कायम की थी । वह इस नतीजे पर आई है कि अगर किसानों को जूट ग्रोअर्स को फायदा कराना है तो केवल कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हो सकता है और उस के लिए कोआपरेटिव सोसाइटीज अभी कायम भी की गई है । एक रीजनल आफिस नेशनल फेडरेशन कलकत्ते में रखा गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कोआपरेटिव फार्मिंग का काम कौन कौन सी स्टेट में आरम्भ हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन, आसाम, बिहार, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, मनिपुर और त्रिपुरा इन सब में प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज, रीजनल मार्केटिंग सोसाइटीज और एपैक्स मार्केटिंग सोसाइटीज की संख्या लगभग ६०० है। अभी वे पूरी तौर से काम नहीं कर रही हैं लेकिन आशा की जाती है कि वह काम शीघ्र करेंगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि अध्ययन दल ने यह सिफारिश की थी कि अग्रिम परियोजनायें पश्चिम बंगाल में लगभग एक दर्जन चुने हुए क्षेत्रों में आरम्भ की जायें ? यदि हां, तो इन अग्रिम परियोजनाओं के बारे में क्या प्रगति की गयी है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : दल के प्रतिवेदन पर केवल तीन मास पूर्व विचार किया गया था। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने वे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं और अग्रिम परियोजनायें शीघ्र ही आरम्भ की जायेंगी।

श्री काशीराम गुप्त : मिलों को जो जूट दी जायगी वह एपैक्स सोसाइटीज के जरिये दी जायगी या नीचे के स्तर की सोसाइटीज द्वारा दी जायगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : एपैक्स मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये जूट मिलें लेंगी। यह एपैक्स मार्केटिंग सोसाइटीज आई इसी लिए हैं कि अगर जूट की कीमत बहुत नीचे जाती रहे तो वह खरीद कर किसानों को फायदा पहुंचायें यह उनका मकसद होगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह बात सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें डर रही हैं कि जूट का कोआपरेटिव मार्केट बनायेंगे तो उस में ज्यादा पैसा हम को लगाना पड़ेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, घाटे की सम्भावनायें अवश्य है, डर की बातें अवश्य है लेकिन अभी एक वफर स्टाक एजेंसी की योजना लागू की जा रही है। अब उस में चाहे सरकार को थोड़ा नुकसान भी हो लेकिन वफर स्टाक एजेंसी के जरिए और मार्केटिंग कोआपरेटिव के जरिये किसानों को फायदा पहुंचाया जायगा।

†**श्री मुहम्मद ताहिर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में पटसन पर सबसे अधिक डालर की आय होती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार पटसन उत्पादकों को सभी सुविधायें देने का काम स्वयं संभालेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सुझाव है।

थैलीडोमाइड का बुरा प्रभाव

+

†*५५६. { **श्री ईश्वर रेडडी** :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी में निर्मित थैलीडोमाइड नामक औषधि को, यदि यह गर्भवती महिलाओं द्वारा खा ली जाये तो गर्भस्थ शिशुओं के लिये, हानिकारक पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह औषधि भारत में किसी रूप में इस्तेमाल की जाती है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ब्रिटेन और अमरीका में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा भीषण परिणामों का पता लगाये जाने के बाद सरकार ने इस औषधि के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० स० राजू)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस औषधि को न तो आयात करने दिया जाता है और न देश में इसका निर्माण करने दिया जाता है।

†**श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या इस औषधि का भारत में आयात किया गया ?

†**डा० द० स० राजू** : इसका आयात नहीं किया गया। जब इस आयातकर्ता ने पर्मिट मांगा तो हम ने लाइसेंस दे दिया। परन्तु वास्तव में औषधि आयात करने से पूर्व ही, हमें इसके मादक प्रभाव का पता चल गया और हम ने फौरन लाइसेंस रद्द कर दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या अमरीका द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने को ध्यान ; रखते हुए इस औषधि पर इस देश में प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका आयात नहीं किया गया है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थैलिडोमाइड गर्भवती स्त्रियों द्वारा गर्भपात के लिये खाई जाती है और चूंकि गर्भपात इस देश में वैध नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस औषधि के आयात के लिये लाइसेंस क्यों दिया गया ?

†**डा० द० स० राजू** : यह औषधि गर्भपात के लिये नहीं है। वास्तव में यह गर्भवती स्त्रियों को कष्ट निवारण के लिये दी जाती है।

राष्ट्रीय बीज निगम

+

†*५६०. **श्री कपूर सिंह** :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम बन गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उसके लिये अपेक्षित कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग और गृह-कार्य मंत्रालय के जरिये भर्ती किये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय कोई ठीक तिथि नहीं बताई जा सकती परन्तु प्रार्थमिक व्यवस्था को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद निगम शीघ्र ही स्थापित किये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोडा :** क्या यह बीज निगम हमारे कृषकों की मांग पूरी कर सकेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी, हां । आरम्भ में हम मिश्रण मक्का के बीजों का उत्पादन करेंगे । तृतीय योजना के भीतर हम अपने मक्का के समूचे उत्पादन के चौथोई भाग को पूरा करना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० के० देव :** इस निगम के क्या कृत्य होंगे ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** यह वित्तीय सहायता देकर देश में उत्तम बीज का उत्पादन बढ़ायेगा, उपयुक्त उत्पादन और विपणन संगठन स्थापित करने में तकनीकी पथ-प्रदर्शन करेगा, केन्द्रीय और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा । निगम मूल बीजों का भी उत्पादन करेगा ।

श्री राम सेवक यादव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस निगम की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और उस की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : करीब करीब काफ़ी कदम पूरे हो चुके हैं । केवल रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है । अगले सेशन में मैं एक बिल यहां पर पेश करूंगा और उस को पास करने के लिए इस हाउस से प्रार्थना करूंगा ।

†**डा० मा० श्री अणे :** वह सभी प्रकार के खाद्यान्नों के लिये बीजों का संभरण करेंगे या केवल कुछ ही किस्म के लिये ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसा मैंने बताया हम मिश्रण मक्का से आरम्भ करेंगे । बाद में सभी प्रकार के बीजों के उत्पादन का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या बीज निगम सर्वोत्तम वनस्पति बीजों का उत्पादन करेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी, हां ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** अब तक देश में केवल ३०० बीज गुणीकरण कार्य स्थापित किये गये हैं जो कि देश की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त हैं । क्या म जान सकता हूं कि क्या बीज निगम का कार्य ,अधिक बीज फार्म खोलना होगा या यह केवल ३०० फार्मों के लिये समन्वयात्मक निकाय है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** हम प्रत्येक ५०० एकड़ के ४ मूल बीज उत्पादन यूनिट खोलेंगे और दुहरे क्रास बीज के उत्पादन के लिये इतनी ही एकड़ वाले ३७ यूनिट खोलेंगे । जब ये ४१ फार्म स्थापित हो जायेंगे, तो हम और केन्द्र खोलने के बारे में विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या यह निगम राज्यों और केन्द्रीय सरकार की बीज गुनीकरण कार्यवाहियों का समन्वय करने का प्रयत्न करेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी, हां। जैसा मैंने बताया, आरम्भ में निगम का प्रयत्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों, दोनों की कार्यवाहियों का समन्वय करना होगा।

†**श्री दे० जे० नायक :** मक्का बीज को प्राथमिकता क्यों दी गयी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्योंकि अन्य क्षेत्रों में कुछ अन्य काम किया जा चुका है और इस मिश्रज मक्का बीज पर इस समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां

†*५६१. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इंडियन आयल कम्पनी के पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिए 'पैट्रोल पम्प' और 'सर्विस स्टेशन' चलाने के लिये जिला स्तर पर पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से कोई उत्तर मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) जी, हां। राज्य सरकारों से हाल में ही अनुरोध किया गया है कि वे मेसर्ज़ इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा बनाये गये पेट्रोलियम उत्पादों को प्राथमिक रूप से जिला स्तर पर वितरण के लिये, पेट्रोल-डीज़ल पम्प-एवं-सर्विस स्टेशन चलाने के लिये उपभोक्ताओं की सहकारी समितियों बनाने की संभावनाओं की जांच करें।

(ख) अब तक एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ है।

(ग) राज्यों से उत्तर प्राप्त होने पर और कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री प० कुन्हन :** क्या किसी राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस योजना को क्रियान्वित करने में पहले की थी, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** यह प्रार्थना केवल पिछले महीने की १९ तारीख को की गयी थी और अभी हम राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री वारियर :** क्या किसी राज्य में ऐसी कोई सहकारी समिति बनाई गयी है और उन्होंने यह कार्य आरम्भ किया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** इस योजना के अधीन नहीं। परन्तु दिल्ली में ही पेट्रोल के उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीराम गुप्त :** इस समिति के 'उपभोक्ता-सदस्यों' की क्या परिभाषा है? उपभोक्ता के रूप में इस समिति के सदस्य कौन बन सकते हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** 'उपभोक्ता' की परिभाषा स्पष्ट है । वे कारों, स्कूटरों, अथवा बसों अथवा ट्रकों आदि के मालिक होने चाहियें । वे ही उपभोक्ता हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री मानसिंह पृ० पटेल ।

†**श्री काशीराम गुप्त :** चालकों को शामिल नहीं किया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री मानसिंह पृ० पटेल का नाम पुकारा है ।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह एजेन्सी वर्तमान सहकारी समितियों के यूनिट को दो जायेगी अथवा ज़िला क्रय तथा विक्रय संघों को ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** यह सब उस पर निर्भर करता है कि सहकारी समितियां कौन बनाते हैं । वे अधिकांशतः ज़िला स्तर पर होंगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :** क्या कोई प्रारूप-नियम बनाये गये हैं ताकि विभिन्न राज्यों में जब ये समितियां बनायी जायें तो सब उन्हें लागू करें ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** प्रारूप योजनायें परिचालित की गयी हैं । नियम नहीं बनाये गये हैं । सहकारी समितियां अपने अपने नियम स्वयं बनायेंगी ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** सहकारी समितियां बनने पर क्या सरकार उनको पेट्रोल डिपो प्राप्त करने में सहायक होगी ?

†**श्री श्यामधर मिश्र :** डिपों प्राप्त करना सरकार का काम नहीं है। मैसर्ज़ इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड स्वयं डिपो प्राप्त करती है, बाज़ दफ़ा भूमि लेती है इस कार्य के लिये कुछ धन देती है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** जब ये सहकारी समितियां स्थापित हो जायें, तो कोई ऐसा अभिकरण तो होना ही चाहिये जो इनको बड़ी कम्पनियों से डिपो लेने में सहायता करे । यदि उनको ये नहीं मिलते हैं, तो ये सहकारी समितियां बनाने का कोई लाभ नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उपमंत्री महोदय ने बताया कि यह काम इण्डियन आयल कम्पनी लिमिटेड का होगा ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी :** इस समय देश में कितनी सहकारी समितियां हैं और कितनों ने आवेदन किया है ?

†**श्री श्यममधर मिश्र :** इस योजना के अधीन या किसी अन्य योजना के अधीन ?

†**श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :** इस योजना के अधीन पेट्रोल के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं कि अभी कोई नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जल संसाधन

†*५६२. **श्री तन सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी जल संभरण पद्धतियों के भावी विकास को सुरक्षित तथा विनियमित करने की दृष्टि से जल संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने का विचार कर रही है ; और

(ख) क्या इस बात का निर्णय करने के लिए कि देश की जल संबंधी वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से संसाधनों का और किस सीमा तक उपयोग करना होगा, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई सर्वेक्षण किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). घरेलू और औद्योगिक कार्यों के लिये जल संभरण आवश्यकता को पूरा करने के लिये नदी घाटियों के जल संसाधनों का अध्ययन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है । यह अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन का एक भाग होगा ।

फसलें

†*५६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में फसलों के प्रकार तथा रक़बे का विनियमन करने के लिये कार्यवाही करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). देश में कानून बना कर फसलों के प्रकार और रकबे का विनयमन करने का विचार नहीं है परन्तु फसलों के उत्पादन तैयार करने और विपणन के सुविधायें और इनाम जैसी प्रेरणा देकर और ज़ोर डाल कर फसलों के तरीके और रकबे में वृद्धि करने का विचार है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सरकार ज़ोर डालने का तरीका अपना रही है ताकि फसल के तरीके भिन्न भिन्न हों और उनका परिणाम अच्छा हो ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय सदस्य को पता होगा कि उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं, हम राज्य सरकारों से रुई लागू करने की प्रार्थना की है ; और पटसन उत्पादक-क्षेत्रों में कुछ इनाम लागू किये जायेंगे जिससे उत्पादकों को धान तथा अन्य फसलें उगाने के लिये प्रेरणा मिलेगी । उसी प्रकार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गन्ना उत्पादक-क्षेत्रों में भी, रुई को प्रोत्साहन दिये जाने की संभावना है । वहां भी हम किसानों को, यदि आवश्यकता हुई, कुछ वित्तीय सहायता देकर उनसे रुई का उत्पादन करने का कहेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्योंकि भारत में अनाज वाली फसलों को छोड़ के वाणिज्यिक फसलें उगाने की प्रवृति है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वाणिज्यिक फसलों और अन्य प्रकार की फसलों के समन्वय करने के लिये कुछ कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह:** जी, हां। प्रयत्न कार्यवहियों में समन्वय करने का है परन्तु कानून बना कर नहीं, जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है। पटसन का मूल्य धान के मूल्य से लगभग २ $^1/_2$ गुना है और इसलिये मूल्यों को इस प्रकार विनियमति किया जायेगा कि अनाज के उत्पादन में कमी न हो।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा:** क्या सरकार को विश्वास है कि विनियमित फसल का तरीका देश के लिये हितकर होगा ; और यदि हां, तो सरकार इस के लिये कानून बनाने में क्यों झिझक रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह:** झिझकने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, उत्पादकों के दिमाग़ को पलटना एक दिन में सम्भव नहीं है, न हीं प्रत्येक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाना संभव है। अतः इसमें कुछ समय लगेगा और हमारा प्रयत्न उन पर दबाव डालना होगा।

श्री विभूति मिश्र: क्राप पैटर्न के साथ साथ ज़मीन का भी क्लासिफिकेशन ज़रुरी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी ज़मीन में कौन सी फसल उपजाई जा सकती है अच्छी तरह से। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसका भी कोई इंतज़ाम सोचा है ?

डॉ० राम सुभग सिंह: इसके बारे में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की बात सोची जा रही है। डा० जे० एस० पटेल की अध्यक्षता में एक क्रापिंग पैटर्न की कमेटी बनाई गई है जो देश भर में देखेगी कि किस ज़मीन पर कौन सी फसल अच्छी तरह से हो सकती है और क्या क्या प्रोत्साहन मिलना चाहिये लोगों को ऐसा करने के लिए ?

श्री तुलशीदास जाधव: देश में जिन वस्तुओं की जरूरत है, उन वस्तुओं को खेतों में पकाया जाये, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ सरकार देती है ?

डा० राम सुभग सिंह: देश में जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनका उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। पर जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हर चीज़ का उत्पादन जितनी ज़रूरत है, उस मात्रा में हो सकना हर जगह कठिन है। इस लिये उस में एक बैलेंस रख कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की बात होगी।

गन्ना उत्पादकों को दिए गए आस्थगित मूल्य

+

†*५६५. **श्री त्रिदिवकुमार चौधरी:**
डा० महादेव प्रसाद:
श्री सिंहासन सिंह:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना नियंत्रण आदेश, १९५५ में संशोधन से सितम्बर, १९५८ में घोषित मूल्य-लाभ जोड़ने वाले सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पिराई के मौसम में चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के १.६२ रुपये प्रति मन के निश्चित किये गये मूल्यों के अतिरिक्त, मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाले "आस्थगित मूल्य" की योजना समाप्त करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) १९५८ में घोषित सिद्धान्त के अनुसार कितनी चीनी मिलों पर उपरोक्त आस्थगित मूल्य का भुगतान करने की ज़िम्मेदारी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितनी चीनी मिलों ने मूल्य-लाभ जोड़ने वाले सिद्धान्त अथवा, सितम्बर, १९५८ के संशोधित गन्ना नियंत्रण आदेश से अलग किसी प्रकार का अतिरिक्त मूल्य अथवा आस्थागित मूल्य दे दिया है;

(घ) उपरोक्त आदेश के अनुसार 'आस्थागित' मूल्य के रूप में गन्ना उत्पादकों को चीनी मिलों से उन के लाभ का अंश दिलाने वाली नीति को समाप्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) १९५८ की योजना के अनुसार गन्ना उत्पादकों को जो धन मिलना था तथा जो किसी कारणवश चीनी मिलों से नहीं लिया जा सका, उसके भुगतान के बारे में क्या होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिंदे)**: (क) से (ङ). माननीय सदस्यों का ध्यान चीनी कारखानों और गन्ना उत्पादकों के बीच चीनी के मूल्य में हिस्सा करने के लिये मूल्य संबंध फामूला में पुनरीक्षण के लिये प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा जारी किये गये २२ अगस्त, १९६२ के संकल्प संख्या ८–६३ / ६१––एस. ई. एक्स.पी. जो २२ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था, की ओर आकृष्ट किया जाता है । अब वर्ष १९५८––६२.की अवधि के दौरान कारखानों के उत्तरदायित्वों का हिसाब लगाया जायेगा और सरकार उचित समय भुगतान कराने के लिये कार्यवाही करेगी । भावी वर्षों के लिये गन्ने के उस समय चालू न्यूनतम मूल्यों के अतिरिक्त भुगतान उस गन्ने से प्राप्त चीनी पर निर्भर होंगे ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मूल्य जोड़ने वाला चालू सिद्धान्त सितम्बर, १९५८ में लागू किया गया था और यह मामला प्रशुल्क आयोग को अक्तूबर, १९६० में निर्देशित किया गया था । इन बीच के दो वर्षों में सरकार ने, इस मामले को भारतीय उत्पादकों को देने के लिये अतिरिक्त मूल्य का हिसाब लगाने के लिये प्रशुल्क आयोग को यह मामला निर्देशित करने से पूर्व, क्या कदम उठाये और क्या कदम. . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न जितना बड़ा नहीं होना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : गन्ने के लिये अतिरिक्त मूस्य वसूल करने के लिये उन्होंने क्या कदम उठाये ।

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : जहां तक इस का सम्बन्ध है, इस सिद्धान्त के निर्देशित करने के लिये, इसका अब तक निबटारा हो गया होता । और वास्तविक भुगतान का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि सारा मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था । प्रशुल्क आयोग ने कुछ पेचीदा प्रश्न उठाये हैं जिन को तै करने में और जिन पर सरकार को कुछ निर्णय करने में कुछ समय लगेगा । परसों समूचा प्रतिवेदन और भारत सरकार का निर्णय सभा के समक्ष रख दिया गया है । माननीय सदस्य इन प्रतिवेदनों को पढ़ें ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : जोड़ने वाला सिद्धान्त वर्ष १९५८ में लागू हुआ और इस को प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट करने में सरकार को दो वर्ष लगे । दो वर्ष तक लोगों को अतिरिक्त मूल्य से वंचित रखा गया । सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है ।

†**श्री अ० म० थामस** : इस बारे में मूल्य जोड़ने वाले सिद्धान्त की उचितता और अनुचितता के बारे में उद्योग और उत्पादकों-दोनों ने शिकायतें की हैं । सरकार ने सोचा कि इस को तय करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि इसको प्रशुल्क आयोग को निर्देशित कर दिया जाये और उत्पादकों और मिल-मालिकों दोनों की प्रार्थना पर यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय करने से पूर्व इस प्रतिवेदन पर और प्रशुल्क आयोग द्वारा दिये गये सिद्धान्त पर उत्पादकों, राज्य सरकारों और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार किया था ?

†**श्री अ० म० थामस :** इस पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इस मामले पर अनौपचारिक रूप से काफी बातचीत हो चुकी थी और क्योंकि प्रशुल्क आयोग की सिफारिलों को उद्योग अथवा उत्पादकों के समक्ष नहीं रखा जा सका था; इसको केवल सरकार द्वारा निर्णय करने के बाद, प्रकाशित किया जा सकता था। हम ने अनौपचारिक रूप से इस सिद्धान्त के बारे में राज्य सरकारों, उत्पादकों और उद्योग से परामर्श कर लिया था और काफी विचार के बाद हम उस निर्णय पर पहुंचे हैं जो यहां सभा पटल पर रखा गया है ।

†**श्री सिसाहन सिंह :** सरकार ने मूल प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में आंकड़े क्यों नहीं दिये हैं ? सरकार के पास आंकड़े हैं या नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस :** उस बारे में गुजरात और महाराष्ट्र में कारखानों को छोड़ कर, क्योंकि वहां भुगतान कर दिया गया है, सभी कारखाने मूल्य जोड़ने वाले सिद्धान्त के अन्तर्गत आयेंगे। आस्थागित भुगतान का कोई प्रश्न नहीं है। निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है और वही अन्तिम भुगतान होगा ।

गोआ में डाक तथा तार की सुविधायें

*५६६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से गोआ, दमन और दीव की भूतपूर्व पुर्तगाली वस्तियों को भारत में सम्मिलित किया गया है तब से वहां डाक, तार और टेलीफोन की सुविधाओं में किस प्रकार का विस्तार और सुधार किया गया है; और

(ख) इन सुविधाओं के बारे में भविष्य के लिये स्वीकृत कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती): (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण पत्र रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि यद्यपि गोआ का विलीनीकरण दिसम्बर में हो गया था यानी आठ महीने हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में जो तेजी नहीं लाई गई है, इस का क्या कारण है ?

†**श्री भगवती :** गोआ, दमन और दीव सैनिक गवर्नर के अधीन थे । अब वहां असैनिक प्रशासन स्थापित कर दिया गया है । स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिये एक डाक तथा तार पदाधिकारी भेजा गया है और उस का १–९–१९६२ से एकीकरण करने का विचार है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, मैं पने पहले प्रश्न के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाता हूं । इस विवरण में बताया गया है कि स्वतन्त्रता से पहले गोआ में ८० डाकखाने थे और अब वहां ८१ हो गये हैं, यानी केवल १ ही बढ़ा है और ५९ नये डाकखाने खोले जाने वाले हैं । यह एक अच्छी बात है । मैं जानना चाहता हूं कि ये डाकखाने कितने समय में खोले जासकेंगे ?

†**श्री भगवती :** लगभग १ वर्ष में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डेरी फार्म

†*५६७. { **श्री श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सु० भू० दास :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सहकारिता के आधार पर ५५ डेरी फार्म चालू किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के आधार पर स्थापित किये जायेंगे अथवा अन्य किसी आधार पर ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सभा सचिव (श्री शिंदे)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में डेरी विकास कार्यक्रम में ५५ योजनाओं के लिये उपबन्ध किया गया है। ये डेरियां नगर को दूध को वितरण के लिये होंगी और डेरी फार्मों को देने के लिये नहीं। बीस डेरियां उत्पादक सहकारी दुग्ध संघ के रूप में स्थापित की जायेंगी और बाकी सरकारी डेरी होंगी जो दुग्ध संभरण के लिये ग्राम्य सहकारी समितियों से सम्बद्ध होंगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने बताया कि तृतीय योजना ५५ डेरी फार्म स्थापित किये जायेंगे। तृतीय योजना आरम्भ होने के समय से कितनी डेरियां खोली गयी हैं और किन राज्यों में ?

†**श्री शिंदे** : तृतीय योजना में कुछ डेरियां खोली गयीं हैं, उदाहरणतः त्रिवेन्द्रम और कोयम्बटुर में डेरियां खोली गयी हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रस्तावित प्रत्येक डेरी फार्म पर कितना अनुमानित व्यय है ?

†**श्री शिंदे** : व्यय प्रत्येक डेरी पर, इस के साइज को देखते हुए भिन्न होगा। बड़े नगरों के लिये बड़ी डेरियों की योजना है और छोटे नगरों के लिये छोटी डेरियों की।

†**श्री स० चं० सामन्त** : राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार और उपभोक्ताओं के अंश की क्या प्रतिशतता है ?

†**श्री शिंदे** : केन्द्र द्वारा ग्रामीण डेरी विकास पर व्यय के लिये ५० प्रतिशत अनुदान और ५० प्रतिशत ब्याज वाला ऋण की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विभिन्न राज्यों को ये सुविधायें देने का क्या तरीका है ? इस सहायता के लिये राज्य स्वयं आवेदन करते हैं या उपभोक्ता सहकारी समितियां आवेदन करती हैं ?

†**श्री शिंदे** : प्रत्येक प्रस्ताव पर इस के गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है।

†**श्री रामसेवक यादव** : जो डेरी बाकी बची हैं, वे किन किन राज्यों में खोली जायेंगी, क्या इस का निर्णय लिया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिंदे** : विभिन्न राज्यों में डेरी खोलने के बारे में निर्णय किया जा चुका है। योजना में भारत के सभी राज्य शामिल किये गये हैं।

†**श्री प्र० के० देव** :क्या इन नई डेरियों के लिये सरकार का पाकिस्तान से साहिवाल और थापरकार ढ़ोर, जिन की दूध उत्पादिता बहुत अधिक है, आयात करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री शिंदे** : यह प्रश्न इस से सम्बन्धित नहीं है।

†**श्री प्र० के० देव** : वह निर्णय कैसे दे सकते हैं। यह तो अध्यक्ष को देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने मेरे से प्रश्न किया है। मुझे माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर आश्चर्य है। क्योंकि साहिवाल मेरे स्थान से आते हैं। यदि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें तो उत्तर दे दें।

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** :-हम अपने ढ़ोरों में विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आयात कठिन है।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब तक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विश्वास है कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त कर लेगी ?

†**श्री शिंदे** : जहां तक दूध का सम्बन्ध है, सरकार को तृतीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का विश्वास है।

अल्प सुचना प्रश्न और उत्तर

दिल्ली में टाइफाइड के केस

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. श्री शिवचरण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाग खिलौने वाला, सब्ज़ी मंडी में लगभग १५० व्यक्ति टाइफाइड रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह रोग दूषित जल संभरण के कारण फैला है; और

(ग) यदि हां, तो उस उपनगर को साफ पानी का संभरण करने के सम्बन्ध में और रोग को और न फैलने देने को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० ड० स० राजू)** : (क) जी, नहीं। ४ जुलाई से २० अगस्त, १९६२ की अवधि में वहां पर ४९ व्यक्तियों को बुखार था जिसमें से ७ को टाइफाइड होने का सन्देह था।

(ख) टाइफाइड रोगी से मिलने जुलने के कारण फैलता है। रोग के फैलने के कारण दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ हैं। टाइफाइड के कथित रोग के इन में से ही कोई कारण हो सकते हैं।

(ग) निम्नलिखित क़दम उठाये गये हैं :—

१. निकट ही म्यूनिसिपल वाटर मेन पाइप है और नगरनिगम दिल्ली ने हाल में ही मकान मालिकों से कहा है कि इस पाइप से पानी लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. प्रति दिन म्यूनिसिपल टैंकरों से पीने के पानी का संभरण करने की विशेष व्यवस्था की गई है ।

३. ढोल बजा कर और व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके प्रचार किया जा रहा है कि पानी को उबाल कर पीयें अथवा म्यूनिसिपल जल संभरण पद्धति से पानी लें ।

४. टाइफाइड का टीका लगाया गया है ।

५. उपनगर के सभी पीने के पानी के कूओं में कीड़े मारने वाले दवाई डाली जाती है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है टाइफाइड और डीप्थीरिया के मामलों में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन दल ने शीघ्र कार्यवाही की है अथवा इसने अपने अधिकारों का दिल्ली राज्य प्राधिकार के साथ मिल कर प्रयोग किया है ?

†**श्री द० स० राजू** : मिलकर । ऐसी महामारियों में मिल जुलकर काम किया जाता है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : यदि वह आदेशों का पालन न करें तो क्या कार्यवाही की जाती है ।

†**डा० द० स० राजू** : आदेश दिये जाते हैं और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी काम करते हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि उन्होंने जनता से अपील की है कि उबालकर पानी पीयें । संभवतया वह जानते हैं कि वहां की जनता बड़ी गरीब है इसलिए क्या सरकार उनको उबला हुआ पानी देने की व्यवस्था करेगी क्योंकि दिल्ली में बिजली की बहुत कमी है ?

†**श्रीमती सावित्री निगम**: उस इलाके में यह बीमारियां बहुत फैली हुई हैं तो क्या उस इलाके के निवासियों को इस रोग के लिए टीके लगाने की कोई व्यवथा की गई है ?

†**डा० द० स० राजू** : टी० ए० बी० के टीके इस इलाके के बहुत से व्यक्तियों को लगाये गये हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस इलाके के कुंओं के पानी की जांच कर ली गई है ?

†**डा० द० स० राजू** : मैं नहीं जानता कि इसकी जांच कर ली गई है परन्तु इन में अकसर कीटाणुनाशक दवाई छिड़की जाती है इतना मैं जानता हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह**: मेरा प्रश्न था कि क्या पानी की जांच कर ली गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय का कहना है वह नहीं जानते हैं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री जी ने संख्या बतलाई है कि कितने लोग इससे बीमार हुए । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों की तुलना में इसका अनुपात कैसा आता है । पहले से यह संख्या ज्यादा हुई है या कम हुई है ?

†**डा० द० स० राजू** : मैं नहीं जानता कि गत एक अथवा दो वर्षों में यह रोग अधिक फैला है ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†श्री भगवत झा आजाद : जैसा कि उपमंत्री ने बताया क्या टीके लगने के बाद रोग फैला था ?

†अध्यक्ष महोदय : यह रोग टीके लगने के बाद फैला था अथवा पहले से ही फैला हुआ था ?

†डा० द० स० राजू : रोग का पता लगने के बाद टीके लगाये गये थे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

†*५४७. श्री सू० म० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में सभी प्रकार की सहकारी समितियों जैसे उपभोक्ता सेवा, ऋण, वन, मजदूर, औद्योगिक, कृषि और परिवहन समितियों आदि को अधिक प्रोत्साहन देने का इरादा रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न सहकारी समितियों के लिए स्वीकृत सहायता का ढांचा दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। सरकार शीघ्र ही औद्योगिक सहकारी समितियां, आवास सहकारी समितियां, परिवहन सहकारी समितियां, दुग्धशाला और पशुपालन सहकारी समितियां, मत्स्यपालन सहकारी समितियां और रेलवे के अधीन सहकारी समितियां डाक तथा तार आदि के छः कार्यकारी दल नियुक्त करेगी, जो आवश्यक प्रोत्साहन और इन क्षेत्रों में विकास की जांच करेगी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३५८/६२]

झांसी में टेलीप्रिंटर लाइन

*५४८. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी में कतिपय सरकारी कार्यालयों के लिये टेलीप्रिंटर लाइन उपलब्ध हैं लेकिन स्थानीय समाचार-पत्र तथा समाचार अभिकरण इसका उपयोग नहीं कर सकते;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) झांसी के दैनिक समाचार पत्रों की ओर से प्रथक टेलीप्रिन्टर लाइन की मांग सरकार के पास कब से विचाराधीन है;

(ग) टेलीप्रिन्टर लाइन की व्यवस्था करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) क्या इस कठिनाई के निकट भविष्य में दूर किये जाने की कोई संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां; किन्तु जनता द्वारा दिये गये तार, जिन में समाचार पत्र और समाचार एजेंसियां भी शामिल हैं, झांसी तार घर द्वारा उपलब्ध विभागीय टेलीप्रिन्टर परिपथ द्वारा भेजे जाते हैं।

(ख) अक्तूबर, १९५७ से।

(ग) देश में सीमित उत्पादन और विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण तार-उपस्करों के आयात में होने वाली कठिनाइयों की वजह से यह विभाग टेलीप्रिन्टर परिपथों का विस्तार उतनी शीघ्रता से नहीं कर पाता जितनी कि शीघ्रता से उनका विस्तार होना चाहिए।

(घ) जी हां, इस वर्ष के अन्त तक।

परिवहन सहकारी समितियां

†*५५५. { **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'स्टेज कैरीज परमिट' प्राप्त करने में नई पंजीबद्ध सहकारी समितियों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि मोटर गाड़ी अधिनियम की वर्तमान धारा (धारा ४७ का परन्तुक)—"अन्य स्थितियों के समान होते हुए"—के कारण नई पंजीबद्ध सहकारी समितियों के लिए प्रायः यह असम्भव हो गया है कि वह अन्य पुराने गैर-सरकारी परिवहन उपक्रमों के साथ प्रतियोगिता कर सकें; और

(ग) क्या सहकारी क्षेत्र में परिवहन उपक्रमों को संरक्षण देने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी मंगाई गई है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी हां। श्री ए० वी० राघवन द्वारा मई में दिये गये सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद में गैस टर्बो प्लांट

†*५६३. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिये अन्तरिम रूप से हैदराबाद में १५ मैगा वाट का गैस टर्बो संयंत्र स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार की स्वीकृति मांगी है; और

(ख) क्या सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है ?

†सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) आंध्र प्रदेश में १०, १० मैगावाट के दो गैस टर्बाइन जनेरेटर स्थापित करने के बारे में आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है ।

कांडला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

†*५६८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का इरादा रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसको निर्बाध व्यापार क्षेत्र घोषत करने के संबंध में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ; और

(ग) निर्बाध व्यापार क्षेत्र में किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). प्रस्ताव विचाराधीन है और यथासंभव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

दिल्ली के अस्पताल

*५६९. श्री भक्त दर्शन :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री बूटा सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री १२ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में अस्पतालों की दशा सुधारने के संबंध में जिसकी ओर निगम का ध्यान दिलाया गया था, क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अस्पतालों की दशा सुधारने के बारे में, जिस पर निगम का ध्यान आकर्षित किया गया था रिपोर्ट अभी तक सरकार को नहीं भेजी है । सूचना यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सोयाबीन के तेल का आयात

†५७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति बनाने के काम में लाने के लिये पी० एल० ४८० के अधीन अमरीका से सोयाबीन के तेल का आयात करने का विचार है ;

(ख) क्या वनास्पति के निर्माण के लिये सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल करने के संबंध में कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) प्रयोग से मालूम हुआ है कि २० प्रतिशत सोयाबीन तेल का प्रयोग वनास्पति बनाने के काम में लाया जा सकता है और उसका उपभोक्ता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह तेल भी उतना ही अच्छा है जितना अन्न खाने योग्य तेल होते हैं और अमरीका में तथा अन्य देशों में बहुत उपयोग में लाया जाता है ।

राजनैतिक दल तथा पंचायत चुनाव

†*५७१. **श्री हरिश्चन्द्र मयथुर** :
श्री कजरोलकर :

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित संसद सदस्यों के अध्ययन शिविर में क्या महत्वपूर्ण निर्णय किए गये ;

(ख) क्या इन पर हाल में ही मंत्रियों के सम्मेलन में और आगे विचार हुआ है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कार्य करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर सकी है कि पंचायत चुनावों से राजनैतिक दलों को बाहर रखने के लिये क्या प्रभावी क़दम उठाये जायें ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायतीराज और सहकार मन्त्रालय उपमन्त्री में (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) अध्ययन शिविर की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३५९।६२]** ।

(ख) और (ग). अध्ययन शिविर का मुख्य उद्देश्य यह था कि पंचायती राज, सहकारी समाज तथा सामूहिक विकास की कठिनाइयां तथा अनुभवों को एक साथ इकट्ठा किया जाये । राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में जिन समस्याओं पर चर्चा हुई थी उन पर भी अध्ययन शिविर में विचार किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस मामले पर ये राजनीतिक दल ही विचार कर सकते हैं ।

विदेशों के लिये विमान टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार

†*५७२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे यात्रा अभिकरण जिनको आई० ए० टी० ए० की मान्यता नहीं है, विदेशों की यात्रा के विमान टिकट सरकारी दरों से कम दरों पर बेच रहे हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश को प्रति वर्ष लगभग ४ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ;

(ग) क्या कुछ विमान कम्पनियां इस लाभ में लगे हुए यात्रा अभिकर्ताओं से मिले हुये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये तथा उनको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि कुछ यात्रा अभिकरण, जो अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था से स्वीकृत नहीं है, सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के किरायों से लन्दन के कम किराये बता रहे हैं । टिकटों पर पूरे किराये हैं । इस लिए यह बताना संभव नहीं है कि कौन से टिकट कम किराये पर बेचे गये हैं ।

अनुसूचित किराये को लौटाने की अनुमति नहीं है । क्योंकि टिकटों पर पूरा किराया नहीं दिखाया गया है इसलिए इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था अभिकर्त्ता स्वयं किरायों पर छूट नहीं दे सकते हैं उनको उन एयर लाइनों की अनुमति लेनी होती है जिन पर यात्रा करनी हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था का एक कार्यकारी तंत्र है जो कदाचारों की जांच करता है । परन्तु कागज़ी गवाही न होने के कारण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विमान संस्था का प्रवर्तन अधिकारी ऐसा करने वाली एयर एलाइलों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर सका है ।

राष्ट्रीय पक्षी

*५७३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच राष्ट्रीय पक्षी के निर्धारण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बात का निर्णय करने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) इस बारे में कोई निर्णय करने में देर इस लिये हुई कि भारतीय वन्य प्राणि मण्डल के सदस्य किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके । मण्डल के यह निर्णय किया था कि राज्य सरकारों की राय ली जाये । उनकी राय का पता लगने पर निर्णय किया जायेगा ।

ग्राम की कुरचना

†*५७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश में ग्राम की कुरचना की जांच की जिस योजना पर विचार कर रही थी उसमें क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) १ अप्रैल, १९६२ से पांच वर्षों के लिए योजना स्वीकार कर ली गई है । कार्य का टक्निकल प्रोग्राम बना लिया गया है और परिषद् की वैज्ञानिक समिति द्वारा इस पर विचार कर लिया गया है और इनके सुझाव प्रोग्राम में शामिल कर लिये गये हैं ।

(ख) परिणाम बताना इस समय संभव नहीं है ।

कोचीन पत्तन पर हड़ताल

†१५११. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन भारवाही मजदूर संघ (कोचीन पोर्ट कार्गो लेबर यूनियन) के भारवाही जहाज़ों के कर्मचारियों और नाविकों ने २ जुलाई, १९६२ को १२ घंटे की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) कितने कर्मचारियों ने हड़ताल की ; और

(ग) क्या उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) कोचीन पत्तन के भारवाही मजदूर संघ के हल्के जहाज़ों के कर्मचारियों और नाविकों ने २२ जुलाई, १९६२ की दिन की पारी में सांकेतिक हड़ताल की थी ।

(ख) लगभग १५०० कर्मचारी ।

(ग) मजदूर संघ की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :

(१) हल्के पोतों के सभी लोगों को पंजीबद्ध करना ।

(२) मजूरी और काम के समय से अधिक काम की मजूरी ।

(३) असुविधा भत्ते का भुगतान ।

(४) छुट्टियां देना आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यह विवाद नौका कर्मचारियों और उनके मालिकों अर्थात् नौकाओं के स्वामियों के बीच है। कोचीन स्थित समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) ने दोनों पक्षों में समझौते के लिए विवाद को अपने हाथ में लिया था किन्तु समझौते की कार्यवाही विफल हो गई। सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत विवाद को निर्णय के लिये स्थानीय न्यायाधिकरण को भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

राजस्थान में पोकरन और जैसलमेर के बीच रेल मार्ग

१५१२. श्री तनसिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पोकरन से जैसलमेर तक कोई रेल मार्ग खोलने का विचार किया गया था ;

(ख) क्या इस मार्ग के लिये सर्वेक्षण भी किया गया था ; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण कब किया गया था और उसके विस्तृत निष्कर्ष क्या थे ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) १९४९–५० में यातायात और अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण किये गये थे। लेकिन वित्तीय दृष्टि से इस लाइन का बनाना उचित नहीं समझा गया।

त्रिपुरा में कृषि भूमि

†**१५१३. श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है ; और

(ख) १९६१–६२ तक वास्तव में कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) क्रमशः ५,८३,००० एकड़ और ९,५७,००० एकड़ भूमि।

(ख) लगभग ५,६१,००० एकड़ भूमि।

कुल्लू घाटी में भेड़ पालन केन्द्र

१५१४. श्री हेमराज : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पंजाब सरकार से कुल्लू घाटी में केन्द्रीय सरकार के अधीन एक भेड़-पालन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव आया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक खोला जायेगा, कहां पर स्थापित किया जायेगा और उस पर क्या खर्च होगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार को पंजाब सरकार से कुल्लू घाटी में एक भेड़ प्रजनन केन्द्र खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। हां, भारत सरकार कुल्लू घाटी में केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसन्धान संस्थान, मालपुरा (राजस्थान) की देखरेख में एक भेड़ प्रजनन उप-केन्द्र खोल रही है। उप-केन्द्र के लिये गेरसा घाटी में भुन्टर गांव के पास एक स्थान चुन लिया गया है। उप-केन्द्र स्थापित करने का कार्य शीघ्र ही

---

†मूल अंग्रेजी में

शुरू किया जायेगा और आशा है कि यह ५ वर्ष की अवधि में पूरा हो जायेगा। इस उप-केन्द्र की स्थापना पर किया जाने वाला कुल खर्च १० लाख रुपये अनुमानित है।

उत्तर रेलवे में विक्रेताओं के स्टालों के निर्माण की लागत

†**१५१५. श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर विक्रेताओं के स्टालों (वेन्डर्स स्टाल्स) के निर्माण पर कितनी लागत आई ;

(ख) ऐसे प्रत्येक स्टाल पर प्रति मास कितना किराया लिया जाता है ;

(ग) क्या रेलवे स्वयं अपने स्टालों का निर्माण करती है अथवा खोम्चे वालों को स्टाल बनाने की अनुमति दे देती है ; और

(घ) क्या इसके लिए कोई नमूना निर्धारित है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) खोम्चे वालों के स्टालों के निर्माण की लागत उनको दी गई जगह और अपनाए गये विशिष्ट विवरण के अनुसार भिन्न भिन्न है ;

(ख) किराया निर्धारित करना पड़ता है ताकि वह सबके लिये समान हो और पूंजीगत लागत का ६० प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो।

(ग) सामान्यतः खोम्चे वालों के स्टाल रेलवे प्रशासन द्वारा ठेकेदारों को किराये पर देने के लिए बनाये जाते हैं। जिन स्टेशनों पर ऐसे स्टालों का निर्माण नहीं किया जा सकता वहां खोम्चे-वाले ठेकेदारों को लकड़ी के अस्थायी ढांचे बनाने की अनुमति दी जाती है जिसके नमूने की मजूरी सम्बन्धित रेलवे प्राधिकारी देता है।

(घ) नहीं श्रीमान।

त्रिपुरा में मोटर दुर्घटना

†**१५१६. श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–६० और १६६०–६१ में त्रिपुरा में कितनी मोटर दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) अग्रतला और त्रिपुरा में इस अवधि में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुईं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें कम हों इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) क्रमशः ७१ और ८१।

(ख) अग्रतला में २२ और १२।

(ग) लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी से कहा गया है कि वह ड्राइवरों को लाइसेंस देने मोटर-गाड़ियों के कार्य के योग्य होने का प्रमाण पत्र देते अधिक सख्ती से नियमों का पालन करे। ट्रकों के मालिकों को चेतावनी दी गई है कि वे ड्राइवरों को सावधान कर दें कि वे गाड़ी तेज न चलायें। गाड़ियों की रफ्तार की स्थान स्थान पर जांच की जाती है, और जो यातायात नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाये उस पर अभियोग चलाया जाता है। मामलों का संक्षिप्त जांच द्वारा निबटारा करने के लिए चलते फिरते न्यायालयों की व्यवस्था भी की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में विस्थापितों को ऋण

†१५१७. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीला भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाने के लिए त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रवार पुनर्वास हेतु कितनी धनराशि दी गई ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम और पुनर्वास केन्द्र जिन्हें सीढ़ीदार खेत तैयार करने के लिए और ऋण मिलने हैं ; और

(ग) ये ऋण प्राप्त करने के लिए विस्थापित व्यक्तियों पर यदि कोई शर्त लगाई गई है तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) प्राय: सभी पुनर्वास केन्द्रों को सीढ़ीदार खेती के लिए और ऋण मिलेगा ।

(ग) सीढ़ीदार खेती का काम त्रिपुरा प्रशासन के विभाग द्वारा किया जाता है । जहां तक संभव होता है जिन विस्थापित व्यक्तियों की भूमि में सीढ़ीदार खेती करनी होती है उन्हें काम पर लगाया जाता है और उन्हें २५० रुपये प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से प्रगति के साथ साथ किश्तों में ऋण दिया जाता है । काम समाप्त होने पर भूमि पर किया गया व्यय विस्थापित व्यक्तियों को उन द्वारा अधिकृत भूमि के अनुपात में दिया गया ऋण समझा जाता है । उस समय उन्हें ऋण-पत्र भरना होता है ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

†१५१८. **श्री दशरथ देव** :
श्री बीरेन दत्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास केन्द्रों में जिन व्यक्तियों के पास ५ कनीस से कम भूमि है उनके लिए बाजार भाव से भूमि खरीदने के लिए त्रिपुरा में कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि खरीदी गई है ; और

(ग) ऐसी जमीनें खरीदने के लिए यदि कोई कठिनाई है तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) लगभग ४५० एकड़ ।

(ग) पुनर्वास केन्द्रों के निकट धान की खेती के उपयुक्त भूमि का अभाव ।

व्हीलर बुक स्टालों के एजेंट

†१५२०. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्हीलर बुक स्टालों के एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों का निबटारा करने के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी कितनी शिकायतों का निबटारा किया जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६१ में उनके विरुद्ध कितनी और किस प्रकार की शिकायतें मिली और उनका किस प्रकार निबटारा किया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख) सर्वश्री ए० एच० व्हीलर एंड कम्पनी लिमिटेड द्वारा संथापित रेलवे के पुस्तक स्टालों के विरुद्ध शिकायतों के निबटारे के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। रेलवे के शिकायत सम्बन्धी संगठन और/अथवा उनके लोक सम्पर्क विभाग पुस्तकों के स्टालों के ठेकेदारों के विरुद्ध शिकायतों की विभागीय जांच करते हैं और उपयुक्त कार्यवाही करते हैं।

(ग) १९४१ में ४१ शिकायतें मिली थी। वे सामान्यत: इस बारे में थी कि पुस्तकों के स्टाल समय पर नहीं खोले जाते। कुछ विशेष पुस्तकें, पत्रिकाएं, समय सारणियां आदि उपलब्ध नहीं हुईं, मूल्य अधिक लिया गया, मूल्य चुकाने पर रसीद नहीं दी गई, उदण्डतापूर्ण व्यवहार किया गया, पुस्तक बेचने वाले अपने गणवेश में नहीं थे और अन्य इस तरह की विविध बातें। सम्बन्धित रेलवे प्रशासन ने इन सब बातों की भली प्रकार जांच की और जिन मामलों में शिकायतें प्रमाणित हो गईं उनके बारे में ठेकेदारों से कहा गया।

त्रिपुरा की दम्बोरू जल विद्युत् परियोजना

†१५२१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की दम्बोरू जलविद्युत परियोजना के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक काम कब आरम्भ किया जाना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख) परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। चालू योजना काल में कुछ प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने की आशा है।

गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, त्रिपुरा

†१५२२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अगरतला स्थित गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल में रोगियों के लिए कितनी जगहें खोली गई हैं ;

(ख) क्या क्षय रोग वार्ड चालू कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो जनवरी से मई, १९६१ तक की अवधि में कितने रोगियों को अस्पताल में रखा गया है ; और

(घ) किन कठिनाइयों के कारण गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल को पूरी तरह चालू करने में विलम्ब हुआ है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क), (ख), (ग) तथा (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रखी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

†१५२३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति द्वारा आरम्भ किये गये अनुसन्धान का मुख्य सम्बन्ध मूल समस्याओं से है और केरल की स्थानीय समस्याओं की ओर समिति के अनुसन्धान केन्द्र ध्यान नहीं दे रहे ;

(ख) क्या स्थानीय समस्याओं के अनुसन्धान को और अधिक महत्व देने के लिये सरकार के समक्ष कोई नया प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) केन्द्रीय नारियल समिति द्वारा कायमंगलम और कसारा गोड के केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्रों में आरम्भ किया गया नारियल गवेषणा कार्य मुख्यतः मूल स्वरूप के बारे में है। नारियल उत्पादकों की सर्वथा प्रादेशिक समस्याओं के बारे में गवेषणा प्रादेशिक नारियल अनुसन्धान केन्द्रों द्वारा भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति और राज्य सरकार दोनों से संयुक्त रूप में वित्त सहायता प्राप्त करके की जाती है। केरल राज्य में ऐसे दो केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में समुद्र द्वारा मिट्टी का कटाव रोकने का काम

†१५२४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के लिये अब आरम्भ किये कार्य के प्रभाव के बारे में विशेषज्ञों में भिन्न भिन्न मत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूना के अनुसन्धान केन्द्र में किये गये अनुसन्धान से अभी तक इस विषय में कोई निर्णायिक परिणाम नहीं निकला है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में इस प्रयोजन के लिये कोई गवेषणा केन्द्र खोलने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तथा (ख) नहीं श्रीमान्।

(ग) नहीं श्रीमान्। किन्तु तट के कटाव के सम्बन्ध में केरल इंजीनियरिंग अनुसन्धान केन्द्र पीची में अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है।

केरल में जल अनुसन्धान

†१५२५. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में उपलब्ध जल को प्रथागत तरीके की बजाय अधिक बचत और कैलाश से प्रयोग करने के बारे में अनुसन्धान सम्बन्धी प्रयोगों के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि अन्य स्थानों पर इसी तरह किये गये अनुसन्धान के परिणाम कैरल की स्थिति पर लागू नहीं होते; और

(घ) केन्द्र ने इस विषय में क्या किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

बीकानेर डिवीजन में इंजनों में खराबी

†१५२६. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में इतनी बार इंजन खराब हुए कि उसका कहीं उदाहरण नहीं मिलता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पहले के महीनों की अपेक्षा मई और जून १९६२ में उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में इंजनों में खराबी औसत आधार पर बहुत अधिक बार हुई ;

(ख) हर बार जांच की गई और कारणों का पता लगाया गया।

(ग) जिन मामलों में इंजनों में खराबी शेडों/कार्यशालाओं में किये गये गये खराब काम या इंजन चलाने वालों की गलती के कारण हुई उनमें सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

जिन मामलों में इंजनों में खराबी उसके ढांचे या सामान आदि की खराबी के कारण हुई उनमें उपचार सम्बन्धी उपयुक्त कदम उठाये गये।

दिल्ली में अवैध भवन-निर्माण

†१५२७. **श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री २० जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किलोकरी में खसरा संख्या १३१ और १३६ के (श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली—१४) प्लाट मालिकों की ओर से उनकी अर्जित भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना पत्र मिले हैं ;

(ख) क्षतिपूर्ति देने के लिये क्या कार्यवाही की गई और इसमें कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या अवैध रूप से बनाये गये मकान गिरा दिये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) अभी तक भूमि अर्जन कलेक्टर, दिल्ली प्रशासन दिल्ली के भूमि की क्षति के लिये दो ही प्रार्थना पत्र मिले हैं।

(ख) सच्चे दावेदार के बारे में विवाद के सम्बन्ध में भूमि अर्जन कलेक्टर के क्षतिपूर्ति की राशि सहित मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली को निर्णय के लिये भेज दिया है। चूंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

मामला न्यायाधीन है अतः यह बताना सम्भव नहीं कि क्षतिपूर्ति के भुगतान में कितना समय लगेगा जबकि भुगतान का उक्त न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।

(ग) अभी नहीं ।

राजस्थान में बागबानी का विकास

†१५२८. **श्री ब्रज राज सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागबानी के विकास विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्षवार) राजस्थान सरकार को कितनी राशि के अनुदान दिये गये ; और

(ख) किन योजनाओं के लिये ये अनुदान दिये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) बागवानी के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में (वर्षानुसार) आय-व्ययक उपबन्ध निम्नलिखित थे :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अनुदान	ऋण	कुल
१९५६–५७	—	—	—
१९५७–५८	०.५१	१.५०	२.०१
१९५८–५९	०.५५	३.००	३.५५
१९५९–६०	०.८०	३.००	३.८०
१९६०–६१	०.९२	२.५०	३.४२
कुल	२.७८	१०.००	१२.७८

उपरोक्त उपबन्ध में से राजस्थान सरकार के वास्तव में बागबानी के विकास पर ११.९२ लाख रुपये व्यय किये (अनुदान १.१९ लाख रुपये और १०.७३ लाख रुपये) जिसका व्यौरा नीचे दिया जाता है :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अनुदान	ऋण	कुल
१९५६–५७ . . .	—	—	—
१९५७–५८	०.२२	१.५०	१.७२
१९५८–५९ .	०.२९	३.७३	४.०२
१९५९–६० .	०.२६	३.००	३.२६
१९६०–६१	०.४२	२.५०	२ ९२
कुल	१.१९	१०.७३	११.९२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बागबानी के विकास की योजना जिसमें (१) बागबानों का प्रशिक्षण और (२) फल विकास के कार्यक्रम शामिल हैं।

इम्फाल जल सम्भरण योजना

†१५२६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल जल सम्भरण योजना के लिये नवम्बर, १९६० में अथवा उससे पूर्व विभिन्न आकार के कुल कितने पाइप लिये गये ;

(ख) परिवहन के खर्च सहित पाइपों की कुल लागत क्या है ; और

(ग) इस समय प्राप्त उपयोगी पाइपों का अनुचित मूल्य क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) तीन हजार छः सौ चौदह।

(ख) लागत का अभी हिसाब नहीं लगाया गया।

(ग) उपयोगी पाइपों की संख्या तीन हज़ार दो सौ तिरासी है। उपरोक्त भाग।

(ख) को दृष्टिगत रखते हुए पाइपों का मूल्य बताना सम्भव नहीं।

मनीपुर में मत्स्य पालन सहकारी समितियां

†१५३०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ने भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि मनीपुर की मत्स्यपालन सहकारी समितियों द्वारा देय मत्स्यपालन राजस्व का ५० प्रशित बट्टे खाते डाल दिया जाये।

(ख) क्या मनीपुर के सहकारी समितियों के पंजीयक ने यह प्रतिवेदन दिया है कि सहकारी समितियों द्वारा मत्स्य पालन राजस्व का भुगतान न किये जाने का कारण उक्त समितियों के कुप्रबन्ध के कारण था न कि व्यापार में घाटे के कारण ;

(ग) उन समितियों द्वारा देय राशि कितनी है ; और

(घ) मनीपुर प्रशासन की सिफारिश अथवा मनीपुर की सहकारी समितियों के पंजीयक के प्रतिवेदन या भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मनीपुर प्रशासन से ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला।

(ग) ३७,६३१.५० रुपये।

(घ) पंजीयक का प्रतिवेदन मिलने पर जो कि मंगवाया गया है सिफारिश की जांच की जायेगी।

मुनीगूडा रेलवे स्टेशन (उड़ीसा)

†१५३१. **श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मुनीगुडा रेलवे स्टेशन (उड़ीसा) पर विश्राम गृहों के अभाव के कारण यात्री जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर विश्रामगृह बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) संभवतः मा० सदस्य ऊंची श्रेणियों के यात्रियों के विश्राम गृह की व्यवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो उत्तर 'न' है।

(ख) इस स्टेशन पर आने वाली ऊंची श्रेणी के यात्रियों की संख्या इतनी नहीं है कि पृथक विश्राम गृह बनाया जाय। यात्रियों के लिये एक विश्राम हाल पहले से विद्यमान है।

रायपुर–वाल्टेयर लाइन के स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था

†**१५३२. श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की रायपुर-वाल्टेयर लाइन के स्टेशनों पर पीने के जल की उचित व्यवस्था न होने के कारण यात्री जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्री जनता के लिये इस मलभूत सुविधा की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) इस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को स्टेशनों पर पीने के जल की कमी के कारण कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती। इस लाइन के ४४ स्टेशनों में से, नल के जल का संभरण १६ स्टेशनों पर किया जाता है। शेष स्टेशनों पर जल मिट्टी के घड़ों में भर कर रखा जाता है और पानी पिलाने वाले लोगों के द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। तथापि रेलवे ने बहुत से कामों का कार्यक्रम बनाया है जिनमें इस सैक्शन के अधिक स्टेशनों पर नल के जल के संभरण की व्यवस्था करने के लिये नलकूप लगाने का काम भी सम्मिलित है।

रायगडा (उड़ीसा) में रेलवे बस्तियां

†**१५३३. श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि रायगडा (उड़ीसा) की रेलवे बस्तियों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक उन पर बिजली लगाने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) काम की मंजूरी दी जा चुकी है और काम १९६२-६३ में पूरा हो जाने की संभावना है।

उड़ीसा में सिंचाई की मध्यम परियोजनाएं

†**१५३४. श्री उलाका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ के लिये उड़ीसा के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये सिंचाई की कोई मध्यम परियोजना मंजूर की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें क्या हैं और उन की अनुमानित लागत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार बहुदा सिंचाई परियोजना पर ५७.४ लाख रुपये खर्च आयेंगे। तथा इस प्राक्कलन के ७८ लाख रुपये तक बढ़ जाने की संभावना है।

उड़ीसा में टेलीफोन

†**१५३५. श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में अब तक टेलीफोनों के लिये उड़ीसा में जिला वार जनता से कितनी अर्जियां प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) कितनी अर्जियों पर विचार किया गया और कितनी अर्जियां अभी लम्बित पड़ी हैं ?

†**परिवाहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१]**

उड़ीसा में परिवार नियोजन क्लिनिक

†**१५३६. श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने परिवार नियोजन क्लिनिक चल रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और कितने नगरीय क्षेत्रों में ;

(ग) परिवार नियोजन सलाहकार बोर्ड के कितने सदस्य उड़ीसा में हैं ; और

(घ) उनके क्या काम हैं ? और

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** :(क) और (ख) जून १९६२ तक, ९९ परिवार नियोजन क्लिनिक, (६८ ग्रामीण और ३१ नागरीय) उड़ीसा में चल रहे हैं।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

अम्बाला एक्सचेंज से टेलीफोन

†**१५३७. श्री चुनी लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अम्बाला ऐक्सचेंज से टेलीफोनों के लिये बहुतेरी अर्जियों की अभी तक बारी नहीं आई है ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन शीघ्र देने के लिये क्या कारंवाई की गई है या की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां।

(ख) अधिक टेलीफोनों की व्यवस्था अपेक्षित स्टोर मिलने पर की जायगी और अभी उन की कमी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माडल टाउन, अम्बाला के समीप हाल्ट स्टेशन

†१५३८. **श्री चुनी लाल**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि माडल टाउन, अम्बाला के समीप हाल्ट स्टेशन बनाने की बहुत देर की मांग है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है और पर्याप्त उपयुक्तता न होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया है।

अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम

†१५३९. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्षों (रिटायरिंग रूम) के अभाव के कारण यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है या करने का विचार किया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) १९६३-६४ में एक विश्राम कक्ष बनाने का विचार है।

लाइसेंस प्राप्त भोजन व्यवस्थापकों पर बकाया रकमें

†१५४०. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों के लाइसेंस प्राप्त भोजन व्यवस्थाओं पर बकाया राशि कितनी है जो पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया है, और राशि का पृथक पृथक् ब्योरा क्या है ; और

(ख) अब तक इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान में सामुदायिक विकास खण्ड

†१५४१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कृ० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में सामुदायिक विकास खण्डों की कोई प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा प्रतिवेदन तैयार किया जायगा और संसद् में पेश किया जायगा; और

(ग) ऐसी रिपोर्टों की कब आशा की जाती है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में ३१ मार्च १९६२ तक सामुदायिक विकास खण्डों के कार्य की प्रगति रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० ३६०/६२**]

कलकत्ता में दक्षिण-पूर्व रेलवे के दफ्तरों की इमारतें

†१५४२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा किराये की कितनी इमारतों का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारण कुल २५००० रुपये मासिक किराया दिया जाता है ; और

(ग) इतना भारी व्यय करने का क्या कारण है जबकि रेलवे के अपने खुद के कब्जे में दूसरी सस्ती जगह मौजूद है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह अनुभव किया गया था कि दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कार्यालयों के लिये स्थायी किस्म के अतिरिक्त दफ्तरी स्थान की व्यवस्था के बारे में मंडलीय योजना लागू होने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है जब मुख्यालय दफ्तर की कम कर्मचारी बल का अनुमान लगाया जा सके । अब यह किया जायगा क्योंकि मंडलीय योजना के लागू करने का फैसला किया जा चुका है । बीच की अवधि में, रेलवे को अनिवार्य रुप से ऐसी उचित गैर सरकारी जगह किराये पर लेनी पड़ी जो जितने किराये पर मिल सकती थी ।

कलकत्ता में टेलीफोन

†१५४३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवाहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि अक्तूबर १९५७ में कलकत्ता में प्रार्थित बहुतेरे टेलीफोन अभी तक मंजूर नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) १९६२-६३ में कलकत्ता टेलीफोन विभाग द्वारा कितनी नवीन लाइनें लगाई जायेंगी ; और

(घ) क्या एक नवीन स्वचालित टेलीफोन ऐक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां। अर्जियां अक्तूबर १९५७ से पहले दी गई लगभग १८०० अर्जियां अभी लंबित पड़ी हैं।

(ख) विस्तार के लिये सीमित वित्तीय साधन।

(ग) लगभग १०००

(घ) जी हां। तीसरी योजना के अन्दर पानीहाटी और उलूबेरिया में वर्तमान मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचालित प्रणाली में बदलने तथा नरेन्द्रपुर में एक नवीन स्वचालित ऐक्स्चेंज खोलने का का प्रस्ताव है।

सहकारी खेती संस्थाएं

†१५४४. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा
श्री स० चं० सामन्त
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अग्रिम परियोजनाओं के बाहर कितनी सहकारी खेती संस्थाएं बनाई गईं ;

(ख) इन में से कितनी संस्थाएं सामुदायिक विकास खंडों के अन्दर थीं;

(ग) उन में से कितनी सेवा सहकारी संस्थाओं में परिवर्तित की गईं, और

(घ) उन में से कितनी सहकारी संस्थाओं का खाद्यान्न उत्पादन से संबंध है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) ५०७ सहकारी खेती संस्थाएं अग्रिम परियोजनाओं के बाहर आयोजित की गई थीं। आयोजित संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२)**।

(ख) से (घ) : सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा को दे दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६

†१५४५. **श्री सु० भू० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलाघाट से खड़गपुर तक राजमार्ग संख्या ६ की मिट्टी की जांच और सर्वेक्षण के संबंध में कोई प्रगति की गई है,

(ख) इस के कब तक पूर्ण होने की संभावना है,

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) क्या सड़क के निर्माण के लिये कोई अतिरिक्त प्राक्कलन किया जा चुका है, और

(घ) यदि हां, तो इसकी राशि कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौबहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) सामान्य परियोजना सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, और सितम्बर १९६२ तक मिट्टी की जांच का काम पूरा होने की आशा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) १४२ लाख रुपये ।

गन्ना पेरना

†**१५४६. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३० अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के संबंधमें यप बत[illegible] कृपा करेंग कि केन्द्र और राज्यों ने एक तरफ तथा चीनी कारखानों ने दूसरी [illegible] बिहार राज्य में खड़ सब गन्ने के पेरे जाने के लिये किस प्रकार की सहायता की व्यवस्था की है तथा क्या तरीके निकाले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने निम्न उपाय किये हैं :—

(१) गन्ना आयुक्त बिहार की सिफारिशों के अनुसार तथा फैक्टिरियों की आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त चीनी उत्पादन अभ्यंश पूरे आवंटित किये गये थे ।

(२) १ मई, १९६२ से राज्य सरकार के अधिकार दिया गया था कि वह ९ प्रतिशत से कम प्राप्ति पर प्रति दशमलव एक प्रतिशत कमी के लिये प्रति मन १.५ नये पैसे की दर पर न्यूनतम गन्ना कीमत में छूट दे दे किन्तु वह छूट प्रति मन अधिकतम १९ नये पैसे हो सकती है, जिसे २५ नयें पैसे प्रतिमन तक बढ़ाया जाना होता है, यदि राज्य सरकार द्वारा वह सर्वथा अनिवार्य समझा जाए । राज्य सरकार ने १ मई से ३१ मई १९६२ तक फैक्टिरियों द्वारा खरीदे गये सम्पूर्ण गन्ने पर १९ नये पैसे अधिकतम तक १ जून १९६२ से मौसम के अन्त तक की अवधि में खरीदे गये सब गन्ने पर २५ नये पैसे तक छूट दी,

(३) १ मई १९६२ से फैक्टिरियों द्वारा तैयार की गई चीनी, जिसकी प्राप्ति ९ प्रतिशत से कम थी, नियममित निकासी के अतिरिक्त साप्ताहिक आधार पर बिक्री के लिये दी गई थी ;

(४) ९ प्रतिशत से नीचे प्राप्ति में प्रति दशमलव एक प्रतिशत कमी के लिये प्रतिमन गन्ने पर १ नये पैसे की छट पर गन्ना खरीद कर की अनुमति राज्य सरकार ने दी किंतु १५ अप्रैल, १९६२ तक को या उस के पश्चात् पिराई के लिये चीनी फैक्टरी की स्थानीय सीमा में प्रवेश करने के लिये गन्ने के प्रति मन पर अधिकतम छूट १९ नये पैसे की थी ।

(५) गन्ना आयुक्त बिहार के आदेशानुसार, इस के साधारण क्षेत्रों के बाहर के से पिराई के लिये फैक्टरी की स्थानीय सीमाओं में आने वाले सब गन्ने के लिये भी सम्पूर्ण गन्ना खरीदकर भेज दिया गया, और

†मूल अंग्रेजी में

(६) राज्य सरकार को अनुमोदित किस्मों के गन्ने और बीमारी वाले गन्ने की मिम्न-तम कीमत में प्रतिमन २५ नये पैसे तक रिबेट देने के लिये अधिकार दिया गया था। इस प्राधिकार के अधीन, अनुमोदित किस्मों के गन्ने तथा बीमारी वाले गन्ने की कीमत में, केवल हसन चीनी फैक्टरी द्वारा खरीदे गये सरपटिया गन्ने को छोड़कर, जिस में छट २५ नये पैसे प्रति मन तक की गई थी, राज्य सरकार ने १२ नये पैसे प्रति मन तक दी गई थी, राज्य सरकार ने १२ नये पैसे प्रति मन तक दी गई थी, राज्य सरकार ने १२ नये पैसे प्रति मन तक छूट दी।

चीनी फैक्टिरियों ने उत्पादन जारी रखा, उन में से कुछ ने जून १९६२ के तीसरे सप्ताह तक और सारा उपलब्ध गन्ना, समाप्त कर दिया। चम्पारन जिले के धनबाद क्षेत्र में कुछ छूटा गन्ना, जो बिहार या उत्तर प्रदेश में किसी भी फैक्टरी द्वारा पेरा नहीं जा सका, 'गुड़ में' बदला गया।

नये मेडिकल कालेज

१५४७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने नये मेडिकल कालेज किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों में अस्पताल तो हैं परन्तु डाक्टर नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पता लगाया है कि ऐसे अस्पतालों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) इन अस्पतालों में डाक्टर रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) १९६२ में खोले गये मेडिकल कालेज

राज्य	स्थान
१९६२ में खोले गये मेडिकल कालेज	
१. महाराष्ट्र . .	(क) सशस्त्र-सेना मेडिकल कालेज, पूना (ख) मेडिकल कालेज मिराज।
२. केरल . . .	मेडिकल कालेज, कोट्टयम।
१९६२-६३ में स्थापित किये जाने वाले मेडिकल कालेज	
१. उत्तर प्रदेश . . .	(क) अलीगढ़ (ख) मेरठ
२. मध्य प्रदेश . . .	एक मेडिकल कालेज, स्थान के बारे में अभी राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाना है।
३. केरल . .	मेडिकल कालेज, अलेप्पी।
४. हिमाचल प्रदेश . .	शिमला, प्री-क्लिनिकल कक्षाओं में प्रवेश १९६४ में शुरू किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) (ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मेडिकल कालेज

†१५४८. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में भारत में (राज्यवार) मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये कितने लोगों ने प्रार्थना की; और

(ख) कितने लोगों को प्रवेश दिया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या ४३**]।

माल परिवहन सहकारी सस्थायें

†१५४९. { **श्री वारियर**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेकार लोगों के लिये माल परिवहन सहकारी संस्थाएं स्थापित करने के लिये एक और "अग्रिम योजना" मंजूर करने के संबंधमें केरल सरकार की प्रार्थना पर क्या निर्णय किया गया है , और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

डेनमार्क की सहायता से प्रयोगात्मक फार्म

†१५५०. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में ३०० एकड़ का एक प्रयोगात्मक फार्म स्थापित करने के लिये डेनमार्क सरकार की पेशकश स्वीकार कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो फार्म कहां स्थापित की जाएगी और उस का क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) डेनमार्क सरकार द्वारा कोई औपचारिक पेशकश नहीं की गई है ?

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

मासिक टिकट

†१५५१. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कलकता में सफर करने वाले यात्री मासिक टिकटों की खरीद के लिए बारह या सोलह एकतरफा किराया दे रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली सेक्शन में सफर करने वाले यात्री माहवार टिकटों की खरीद के लिए चौबीस एकतरफा टिकट देते हैं ;

(ग) इन जगहों में माहवार टिकटों की दरों में अन्तर के क्या कारण है ;

(घ) क्या दिल्ली सेक्शन में सफर करने वाले यात्रियों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि माहवार टिकटों की दर इस प्रकार बदल दी जायें कि वह बम्बई और कलकत्ते में विद्यमान दरों के बराबर हो जाय ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जब कि बम्बई और कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्रों में माहवार सीजन टिकटों की दर ९ से १६ एकतरफा किराया होता है, दिल्ली सेक्शन में वह दर १५ से २० एकतरफा किराये के बीच होती है।

(ग) बंबई और कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्रों के लिए स्वीकृत निचली दरें जो पिछले बीस साल से प्रचलित हैं, अब भी लागू है, जिसका कारण यह है कि इन बड़े बड़े शहरों की स्थानीय परिस्थितियां अपवादात्मक है।

(घ) और (ङ). जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए है उनकी छानबीन की गयी है और पर्याप्त औचित्य न होने के कारण उन्हें मंजूर नहीं किया जा सका।

अनाज का संग्रह

†१५५२. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आयात किया हुआ गेहूं दोषपूर्ण संग्रह के कारण प्रायः हर साल काफी अधिक मात्रा में मानवीय उपभोग के योग्य नहीं रह जाता ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : जी, नहीं। आयात किये हुए गेहूं में से बहुत थोड़ी मात्रा में, लगभग ९०० टन गेहूं, जो बाढ़ के कारण नष्ट ३५० टन गेहूं के अलावा है, मानवीय उपभोग के लायक नहीं रह गया था। १९६१ की विभिन्न अवधियों में संग्रह किये गये करीब ४० लाख टन में से केवल उतनी ही मात्रा में गेहूं खराब हो गया था। यह नुक्सान मुख्यतः किराये के गोदामों में पानी चूने के कारण हुआ। पहले के वर्षों में नुक्सान इसी प्रकार बिल्कुल नगण्य रहा।

दूषित ट्यूबरक्यूलिन

†१५५३. **श्री प० कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनाथ में काजू कारखाने के कर्मचारियों को इन्जेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किये गये दूषित ट्यूबर क्यूलिन के संबंध में जांच पड़ताल के परिणामों के बारे में गिन्डी स्थित किंग-रिसर्च इंस्टिट्यूट से रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) एनाथ में काजू कारखाने में इस्तेमाल किये गये ट्यूबरक्यूलिन की जांच पड़ताल किंग रिसर्च इंस्टिच्यूट , गिन्डी में और सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टिच्यूट , कसौली में की गयी थी । उस रिपोर्ट का सारांश यह था कि उस में ऐसे कोई दोष नहीं पाये गये जिसके कारण कारखाने के कर्मचारियों में उस प्रकार के चिह्न दिखायी पड़ें । फिर भी उस में और प्रकार के सामान्य जीव हो सकते थे जो साधारणतः किसी भी तरल पदार्थ में बोतल खोलने पर और उसे थोड़ी देर खुला रखकर और फिर बन्द कर देने पर , पाये जा सकते हैं ।

(ग) आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

बिना डाक्टरों के अस्पताल

†१५५४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने अस्पताल बिना स्नातक डाक्टरों के चलाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : जानकारी इक्कठ्ठी की जा रही है और वह प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पुल

†१५५५. **श्री प० कुन्हन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पालघाट-कोचीन फ्रांटियर रोड के १३/२ मील पर पुल के लिए कितनी रकम नियत की गयी है ;

(ख) क्या काम आरम्भ किया जा चुका है, ; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस जगह पर एक पुराना पुल है । राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पालघाट-कोचीन फ्रांटियर रोड के १३/२ मील पर इस पुल के निर्माण के लिए कोई रकम अभी नियत नहीं की गयी है क्योंकि यह काम तीसरी योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पुल

†१५५६. **श्री प० कुन्हन** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर एम० सी० रोड के १५२/४ मील पर पुल के लिए कितनी रकम नियत की गयी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या काम आरम्भ किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर एम० सी० रोड़ के १५२/४ मील पर नये पुल के लिये अभी तक कोई रकम नियत नहीं की गयी है क्योंकि यह काम तीसरी योजना में शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल वहां लकड़ी के एक पुल का उपयोग किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अभी उत्पन्न नहीं होता ।

मछली फार्म

†१५५७. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में मछली फार्म खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी और देश में वे संभवत कहां कहां होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) भारत सरकार फिलहाल ऐसे मछली फार्मों की किसी निश्चित संख्या पर विचार नहीं कर रही है। फिर भी सारे देश में कुछ ऐसे मछली फार्म खोलने की योजनाएं राज्य सरकारों की तीसरी योजना में शामिल की गयी हैं।

(ख) १९६२ में संभवतः स्थापित किये जाने वाले फार्मों की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अगरतला में बाजार

†१५५८ { **श्री दशरथ देब :**
श्री बीरेन दत्त : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में चालू किये गये जी० बी० अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा, के पास एक बाजार बसाने की त्रिपुरा प्रशासन की कोई योजना है;

(ख) क्या इस नये अस्पताल के कर्मचारियों के लिए ऐसा बाजार अत्यावश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां।

(ग) पुनर्वास मंत्रालय ने धन की व्यवस्था की है और दूकाने बनाने के लिए अनुमान तैयार किया गया है। इस प्रयोजन के लिये स्थान चुनने के संबंधमें कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य स्थिति

†१५५९. **श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले जून में दिल्ली में भारतीय अनाज व्यापारी संघ के एक सम्मेलन में देश में अनाज की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गये थे जिन में अन्य बातों के साथ साथ, अनाज के लाने-लेजाने पर निर्बन्धनों और नियंत्रण पर विचार करने तथा नयी नीति बनाने के विषय प्रस्तुत किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयीं है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) : जून १९६२ में दिल्ली में अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघ के चौथे सम्मेलन ने ११ संकल्प पारित किये थे जिन में से संकल्प संख्या २ से १० में सरकार द्वारा विचार के लिए प्रस्ताव थे। उन में से प्रत्येक संकल्प के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :—

संकल्प संख्या २ में देश में चावल के स्थानान्तरण पर क्षेत्रीय निर्बन्धन हटाये जाने का भी सुझाव था। इस संबंध में सरकार की नीति २०मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७९ के और २०अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर में बतायी जा चुकी है।

संकल्प संख्या ३ में फसलों के बीमे का निर्देश है। इस विषय पर सरकार विचार कर रही है।

संकल्प संख्या ४ में उन कृषि उत्पाद बिक्री अधिनियमों की जो विभिन्न राज्यों में अभी बनाये जा रहे हैं समीक्षा और विभिन्न प्रपत्रों की, जिन्हें भरना व्यापारियों के लिए आवश्यक होता है, संख्या कम करने का सुझाव था। सरकार ने संघ की राय पर ध्यान दिया है।

संकल्प संख्या ५ में बिक्री कर का निर्देश है। अन्तर्राज्यीय बिक्रीकर को छोड़कर यह मुख्यत: राज्य का विषय है। इसलिए यह राज्य सरकारों के लिए विचारणीय विषय है।

संकल्प संख्या ६ और ७ क्रमश: रेलवे और स्वास्थ्य मंत्रालय के सम्बन्ध में हैं।

संकल्प संख्या ८ तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी संस्थाओं के संबंध में सरकार की मान्य नीति के संबंध में है और इसलिए किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

संकल्प संख्या ९ में यह सुझाव था कि सरकार द्वारा अनाज का वितरण, सस्तेदाम की दूकानों के जरिये नहीं, बल्कि संघ के सदस्यों की मार्फत सामान्य व्यापारिक तरीकों से किया जाये। सरकार की राय यह है कि अभी वह स्थिति नहीं आयी है जबकि सस्ते दाम की दूकाने बंद कर दी जायें।

संकल्प संख्या १० में यह सुझाव था कि सरकार सामान्य व्यापारिक तरीकों से दाल और अच्छे किस्म के चावल का निर्यात करे। सरकार ने संघ की राय पर ध्यान दिया है।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् परियोजनायें

†१५६०. { श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार से अनुमति के लिए आन्ध्र प्रदेश में तीसरी योजना की विद्युत् परियोजनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) वे कब प्राप्त हुई ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किस तारीख को अनुमति दी ;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में तीसरी योजना में विद्युत् परियोजनाओं की योजनाओं के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा चाहिये ;

(ङ) कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई ; और

(च) विदेशी मुद्रा की स्वीकृति देने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (च). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]।

कोठागुडम और रामगुण्डम तापीय विद्युत् योजनायें

*१५६१. { श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक प्राधिकारियों तथा विकास ऋण निधि प्राधिकारियों ने क्रमानुसार कोठागुडम तापीय योजना तथा रामगुण्डम विस्तार योजना की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) स्वीकृति देने में शीघ्रता करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) योजना की स्वीकृति के लिये विश्व बैंक प्राधिकारियों तथा विकास ऋण निधि प्राधिकारियों के साथ कब से वार्ता चल रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) से (घ). कोठागुडम तथा रामगुण्डम तापीय योजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था का प्रश्न वर्ष १९६१ से विश्व बैंक के विचाराधीन है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास की एजेन्सी ने रामगुण्डम योजना के लिये ऋण की स्वीकृति दे दी है। कोठागुडम योजना के लिए शीघ्र ही ऋण-व्यवस्था निश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में विद्युत् सम्भरण

†१५६२. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन ने मनीपुर में विद्युत् संभरण बढ़ाने के लिए वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में अब तक बिजली के कितने इंजन खरीदे हैं ;

(ख) इंजनों की कितनी क्षमता है और वे कहां लगाये गये हैं ; और

(ग) तीसरी योजना की शेषावधि में और कितने इंजन प्राप्त किये जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). जानकारी निम्न तालिका में दी है :—

क्षमता (किलोवाट)	संख्या
५०० (डीज़ल)	२
१०० (डीजल)	२
३०० (जल)	२

डीजल यंत्र इम्फाल में वर्तमान बिजली घर में लगाये जायेंगे और जल-यंत्र प्रस्तावित दूसरे लीकाखांग बिजली घर में लगेंगे ।

(ग) **जल यंत्र :** एक ८०० किलोवाट का, दो ४००,४०० किलोवाट के ।

माइक्रो सेट : २० से ४० किलोवाट वाले तीन सेट ।

कठुआ में डाक तथा तार घर की इमारत

†१५६३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कठुआ में डाक तथा तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज की नई इमारत के निर्माण में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) :** आजकल डाक घर एक किराये के मकान में है जो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार से कमी दूर करने के लिए उपयुक्त वृद्धि तथा परिवर्तन करने की प्रार्थना की गई है । डाक घर के लिए विभागीय इमारत बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है । जहां तक टेलीफोन एक्सचेंज का प्रश्न है, उसके लिये उपयुक्त स्थान चुनने का प्रयास किया जा रहा है ।

सेवा अवधि का बढ़ाया जाना

†१५६४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में देश में विभिन्न कृषि अनुसन्धान संस्थाओं में कितने गज़ेटेड पदाधिकारियों की सेवावधि बढ़ाई गई ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सेवावधि कितनी बढ़ाई गई ; और

(ग) रिटायर्ड होनेवाले अधिकारियों को यह सेवावधि किन कारणों से दी गई ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारतीय कृषि-अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली के छः गजेटेड पदाधिकारियों की वर्ष १९६१–६२ में सेवावधि बढ़ाई गई ।

(ख) एक से दो वर्ष तक ;

(ग) जन कार्य के हित में इन अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाई गई ।

नलकूप

†१५६५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली और दूसरी योजना काल में पूरी तरह या आंशिक रूप में सरकारी सहायता से केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में बनाये गये कितने नल कूप बेकार पड़े हैं और बेकार सिद्ध हुए हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : केन्द्र में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । नलकूपों का प्रयोग करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर है ।

लाख के फार्म

†१५६६. **श्री तन सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लाख उपकर समिति ब्रुड लाख के कितने फार्म चलाती है ;

(ख) कितने फार्मों में हानि हो रही है और कितनी हानि हो रही है ; और

(ग) हानि होने के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चौदह ।

(ख) और (ग). ब्रुड लाख के फार्म वाणिज्यिक फार्म के लिये नहीं अपितु प्रदर्शन तथा विस्तार एककों के रूप में बनाये गये थे और उन के उद्देश्य थे : (१) ब्रुड लाख को आर्थिक सहायता प्राप्त (घटी) दर पर देना, (२) अभाव काल में सहायक फार्म के रूप में बनाये रखना, (३) बाज़ार मूल्य को नियंत्रित करना, और (४) लाख विस्तार द्वारा व्यक्तियों की, विशेषकर आदिम जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना । इस रूप में हानि का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अनुसंधान की भांति विस्तार का व्यय भी विनियोग है ।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

†१५६७. **श्री हेम राज** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशनों की बड़ी राशि आयकरों में एकत्रित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह सच है कि इस कार्य के लिये डाकघरों में सी० डी० ए० (पी०) के स्वीकृत संस्थापन कर्मचारी हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि डाक अधिकारी अपने कर्मचारियों की कमी के कारण इन कर्मचारियों को भी अन्य ब्रान्चों को भेज देते हैं और उन्हें परेशान करते हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कर्मचारियों की स्वीकृति सी०डी० ए० (पी०) नहीं देता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में कुष्ठ रोग चिकित्सालय

†**१५६८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और दोषनिवारक शल्य चिकित्सा की व्यवस्था वाले कुष्ठ रोग चिकित्सालय के निर्माण में, जिस के लिए संघ सरकार ने दो पूर्व दिल्ली प्रशासन को १५ लाख रु० दिये थे, क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस के पूरा होने में कितना समय लगने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) दिल्ली नगरपालिका निगम ने शाहदरा में पर्यवेक्षण विस्तरों, व्यावसायिक केन्द्रों वाले औषधालयों की व्यवस्था वाला एक कुष्ठ रोग चिकित्सालय बनाने के प्राक्कलन स्वीकार किये हैं ; और टेण्डर मांगे गये हैं।

(ख) अभी निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती परन्तु विचार है कि इस में दो या तीन वर्ष लगेंगे ।

नौवहन समवायों में कर्मचारियों की छटनी

†**१५६९. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में नौवहन समवायों ने थोड़े समय में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन नौवहन समवायों के क्या नाम हैं ;

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). परिवहन विभाग को हाल में कलकत्ता के कुछ मजदूर संघों से प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिन में उल्लेख है कि होरे मिलर एण्ड को० लि०, मकीनोन मेकेन्जी एण्ड को० प्राइवेट लि० आदि जैसे कुछ नौवहन उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों की बड़ी संख्या में काम से छंटनी कर दी है या करने वाले हैं क्योंकि

†मूल अंग्रेज़ी में

वे अपना कार्य धीरे धीरे कम कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने मजदूर संघों से कहा है कि प्रभावित व्यक्ति उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार के लिये सरकारी क्षेत्र के नौवहन समवायों तथा नौवहन महा-निदेशक, बम्बई को प्रार्थना पत्र भेजें। जनवरी, १९६१ और जुलाई १९६२ के बीच सरकारी नौवहन निगम ने अपने कलकत्ता कार्यालय में चालीस व्यक्तियों को काम दिया है। ये व्यक्ति मेकिनान के भूतपूर्व कर्मचारी थे। छंटनी किये हुए कार्मचारियों को यथासम्भव नौवहन निगम में काम पर लगाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

गार्लेडिन आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना

†१५७०. **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२–६३ में आन्ध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में गार्लेडिन सिंचाई परियोजना (मध्यम दर्जे की) का कार्यान्वित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि इसे राज्य की योजना में शामिल किया गया है।

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं।

(ख) यह परियोजना तीसरी योजना में शामिल नहीं है।

चीनी कार्य मछलियों का प्रजनन

†१५७१. **श्री प्र० के० देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक में अन्तर्देशीय मीन क्षेत्र अनुसन्धान संस्था मत्स्य पिट्यूइटरी धर्मोन के इन्टरा मस्कुलर इंजेक्शन लगाकर तालाबों में चीनी कार्य मछलियों और भारतीय कार्य मछलियों का प्रजनन करने में सफल हो गई है;

(ख) क्या इस प्रकार प्रजनन के ढंग का और कहीं प्रयोग किया गया है; और

(ग) प्रजनन के इस ढंग को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या किया जा रहा है?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) हां।

(ख) हां। वस्तुतः सभी राज्य सरकारें और केन्द्रीय मीन क्षेत्र विस्तार यूनिट, जो विभिन्न स्थानों पर हैं; भारतीय कार्यों पर ऐसे प्रयोग कर रहे हैं;

(ग) पिछले चार वर्षों से प्रजनन काम में इस कार्य के बारे में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह कार्य राज्यों के मीनक्षेत्र अधिकारियों, केन्द्रीय मीन क्षेत्र विस्तार अधिकारियों और सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के मीन क्षेत्र अधिकारियों तथा अन्य प्रशिक्षणार्थियों के लाभ के लिए चलाये जा रहे हैं।

गुण्टाकल डिवीजन में रेलवे दुर्घटनायें

†१५७२. { **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री सोलंकी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ के मध्य से अब तक गुन्टाकल डिवीजन में कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या एक स्थान पर तीन वर्ष की सेवा के बाद अधिकारियों की बदली करने के सिद्धान्त का इस डिवीजन में पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) टक्कर, लाइन से उतरना, रेलवे फाटक पर दुर्घटनायें, और रेल गाड़ियों में आग लगने की श्रेणियों की दुर्घटनाओं की संख्या जो गुन्टाकल डिवीजन में अप्रैल, १९६२ के मध्य से जुलाई, १९६२ के अन्त तक हुई, २६ हैं ।

(ख) और (ग). बदली का नियम केवल कुछ अधीनस्थ कार्मचारियों पर लागू होता है । यह अधिकारियों पर लागू नहीं होता । अधिकारियों की बदली सेवा की आवश्यकता होने पर और लोकहित में की जाती है ।

आसाम में विद्युत् की कमी

†**१५७३. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि आसाम के कछार और दक्षिण आसाम के समीपवर्ती क्षेत्रों में जल विद्युत् संसाधनों के अत्याधिक मात्रा में होते हुए भी वहां विद्युत् का अत्यधिक अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्षेत्र में जल विद्युत् योजनायें आरम्भ करने का है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन्नीस विद्युत् जनक यंत्रों में से, जिन में से प्रत्येक पचास हजार किलोवाट का है, और जिन्हें रूस से खरीदने के क्रयादेश दिये गये थे, अधिकतर के संभरण में देर हो गई है जिस से देश में विद्युत् संभरण की समस्या बढ़ गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)**: (क) हां । उस क्षेत्र में बिजली की मांग को उभियम जल विद्युत् परियोजना से १३२ के० वी० की अकेली सर्किट लाइन द्वारा बिजली पहुंचाकर पूरा करने का विचार है ।

(ख) कोपिलि जल विद्युत योजना तीसरी योजना में शामिल कर दी गई है । फिर भी, इस से लाभ चौथी योजना काल में प्राप्त होंगे ।

(ग) नहीं ।

लक्कदीव द्वीपसमूह में पीने का पानी

†**१५७४. श्री अ० के० गोपालन** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्कदीव समूह के व्यक्तियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये कोई योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). हां। लक्कदीव, मिनिकाय और अमींनदीव द्वीप समूहों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए दो योजनायें स्वीकार की गई हैं।

स्वास्थ्य प्रोग्राम के अन्तर्गत एक योजना में दूसरी योजना काल में ड्रा कुओं और आर० सी० सी० रिंग की व्यवस्था थी। यह योजना तीसरी योजना में जारी रही है परन्तु देश से आर० सी० सी० रिंग प्राप्त करने में कठिनाई होने के कारण द्वीप समूह के प्रशासन ने यह निश्चय किया है कि निर्धन द्वीप निवासियों के घरों में लगभग २४२ रु० प्रति कुआ के हिसाब से कुएं बनाये जायें। ये कुंए ऐसे निवासियों के घरों में होंगे जो स्थानीय सामान के भी व्यय नहीं उठा सकते।

स्थानीय विकास कार्य प्रोग्राम के अन्तर्गत अन्य योजना में उन द्वीप निवासियों के घरों, आदि में कुओं के निर्माण करने का उपबन्ध है जो स्थानीय सामान के रूप में व्यय में अपना भाग दे सकते हैं। सरकार छः बोरी सीमेन्ट और ५० रू० नकद देकर प्रति कुएं का आधा व्यय उठाती है।

दुग्ध उत्पादन

†१५७५. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री दातार सिंह (मंत्रालय में परामर्शदाता) के हाल के एक वक्तव्य की उन्हें सूचना मिली है जिस में उन्होंने यह कहा है कि बताया जाता है कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन कम हो रहा है और ढोरों की अच्छी नस्ल पाकिस्तान चली गई है ;

(ख) क्या उपरोक्त वक्तव्य वस्तुतः सही है ; और

(ग) यदि हां, तो बिगड़ती स्थिति को रोकने और ढोरों की नसल सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) श्री दातार सिंह ने आकस्मिक बात कही थी कि विभाजनोपरान्त भारत में दुग्ध का उपभोग कम हो गया है क्योंकि कुछ दुधारे ढोरों और भैंसों के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि अब उत्पादन कम हो रहा है।

(ख) यह सच है कि साहीवाल, थापरकर और जेबु ढोर की लाल सिन्धी नसलें और नीली-रवि भैंसें विभाजन के बाद देश में न रहीं। फिर भी, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा किये गये निर्धारण अनुसार दुग्ध का उत्पादन वर्ष १९५१ में ४६६३.५ लाख मन से बढ़कर वर्ष १९५६ में ५२८२.६ लाख मन हो गया। हाल में अखिल भारतीय आधार पर दुग्धोत्पादन का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और ढोरों, भैंसों, आदि का लगभग औसत दूध उत्पादन संबंधी अन्तिम जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। विचार है कि ढोरों की संख्या बढने और बड़ी संख्या में विकास योजनाओं के आरम्भ होने के कारण, भारत में दूध का उत्पादन और भी बढ़ गया है। वर्ष १९५६ में दूध के उत्पादन जो औसतन लिया गया था, और वर्ष १९६१ की पशुओं की संख्या को लेते हुए, दूध का वर्तमान उत्पादन अस्थायी रूप से ५८११.८ लाख मन आता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पहली पंच वर्षीय योजना के आरम्भ होने के बाद ढोरों के विकास और उन के दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनायें आरम्भ की गई हैं ; अर्थात्, अखिल भारतीय मुख्य ग्राम योजना, गौशाला विकास योजना, खिलाओ तथा चारा विकास योजना, रिण्डर-पेस्ट निवारक योजना, पहाड़ी तथा अधिक-वर्षा वाले क्षेत्रों में संकरण योजना, प्रजनन साण्ड वितरण योजना, आदि। बड़े नगरों को दूध पहुंचाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से दूध एकत्रित करने के लिए अनेक योजनायें आरम्भ की गई है ।

दिल्ली में पश्चिमी यमुना को मिलाने वाला नाला

१५७६. श्री बागड़ी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से लगभग १४ मील दूर जी० टी० रोड पर अलीपुर नामक गांव के सिंचाई संकट को निपटाने के लिये सन् १९५४ में दिल्ली प्रशासन ने पश्चिमी यमुना से एक नाला खुदवाया था जिस में अभी तक पानी नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक सरकार इस में पानी देने का विचार रखती है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). नाहरी मुख्य उपनहर का १९५४–५५ में निर्माण हुआ था और १९५५ में चालू कर दी गई थी । इस उपनहर में विविध ग्रामों की ४१४८ एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इस में दिल्ली राज्य में अलीपुर भी सम्मिलित है । इस चैनल का चलना नदीं के पानी की मात्रा पर निर्भर है और चूंकि नदी का पानी इस वर्ष कुछ देर बाद चढ़ा, यह नहर १७ जून से पहले नहीं खोली जा सकी ।

डाक सेवा

१५७७. श्री उटिया : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायुयानों द्वारा देश में डाक भेजने की व्यवस्था करने में सरकार को क्या अड़चनें हैं ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती): सामान्य रूप से कोई अड़चनें नहीं हैं, किन्तु कभी-कभी किसी विशेष वायुयान में स्थानाभाव के कारण कुछ डाक रोक लेनी पड़ती है ।

मालगाड़ी से यात्रा के लिये क्षतिपूरण बन्ध लिखना

१५७८. श्री हेमराज : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई मुसाफिर सवारी गाड़ी से रह जाये और उस को माल गाड़ी से जाना पड़े तो उस के लिये स्टाम्प पर क्षतिपूरण बन्ध भर कर देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पहाड़ी लाइनों पर जहां अदालतें दूर-दूर स्थित हैं इस प्रकार के स्टाम्प लेने की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, और

(ग) क्या सरकार ऐसी स्थिति में इस शर्त को हटाने का विचार करेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जिन यात्रियों की गाड़ी छूट जाती है वे उस के बाद की दूसरी सवारी गाड़ी से यात्रा कर सकते हैं । माल गाड़ी के ब्रेक यान में

यात्रा करने की अनुमति केवल विशेष और आपातिक परिस्थितियों में और क्षतिपूरण-बन्ध भरने के बाद ही दी जाती है । इन क्षतिपूरण-बन्धों पर स्टाम्प जरूरी नहीं है और इन के भरने में कोई कठिनाइयां या शिकायतें नोटिस में नहीं आई हैं ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

रेलवे डाक सेवा अनुभाग

†*१५७६. { **श्री उमानाथ :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविध डाक व तार मंडलों में चालू वर्ष में नवीन रेलवे डाक सेवा अनुभाग खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या चिदांबरम मद्रास मंडल का ऐसा सैक्शन है ; और

(घ) क्या डिंडीगुल, नगरकोयल और विरुद्धनगर भी शामिल हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती)** (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ग) चिदांबरम नाम का कोई सैक्शन नहीं । तथापि १-८-६२ से चिदांबरम में एक रेलवे डाक सेवा दफ्तर खोला गया था ।

(घ) डिंडीगुल के अतिरिक्त नहीं ।

प्रत्येक राज्य में सिंचाई और बिजली

१५८०. **श्री उटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में कितने-कितने एकड़ जमीन नहरों से सींची जाती है और उन में क्रमशः कितने किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है ;

(ख) जन संख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात से किस राज्य में सब से कम सुविधायें हैं ; और

(ग) विद्युत् एवं सिंचाई की सुविधा के आधार पर पिछड़े राज्यों को आगे बढ़े राज्यों की बराबरी में लाने के लिये उन पिछड़े राज्यों को केन्द्रीय सरकार क्या विशेष सुविधा प्रदान कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जलप्रपात का सर्वेक्षण

१५८१. **श्री उटिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी से बिजली प्राप्त करने की दिशा में देश के कितने जलप्रपातों का सर्वेक्षण कराया गया है और कौन-कौन प्रपात ऐसे हैं जिन का सर्वेक्षण बाकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन): स्थल रूपरेखीय नक्शों पर प्राथमिक अध्ययनों तथा अन्य तत्काल उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि देश में ६० प्रतिशत भार अनुपात पर ४.१ करोड़ किलोवाट की विद्युत् शक्यता की २३८ स्कीमें बनाना आर्थिक रूप से सम्भव होगा। इन में से, कुल २५ लाख करोड़ किलोवाट की प्रतिष्ठापित क्षमता ३८ बड़ी जल विद्युत् स्कीमें पहले से ही चालू हैं। ४५ स्कीमें तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं। इनमें से अधिकों पर जांच हो चुकी है। उन जल प्रपातों के नामों के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है, जिन का सर्वे अभी करना है।

कच्छ मरुस्थल का विकास

†१५८२. **श्री मानसिंह प० पटेल**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की सहायता से गुजरात राज्य में कछ मरुस्थल के बिन्नी क्षेत्र का विकास करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में खाद्य उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). गुजरात सरकार ने पंजीकृत फार्म की स्थापना के लिये कुछ के बिन्नी क्षेत्र में भूमि की पेशकश की है। प्रस्ताव बड़े आकार के यंत्रीकृत फार्मों सम्बन्धी समिति के विचाराधीन है। रूस या किसी अन्य देश से फार्म चलाने के लिये सहायता प्राप्त करने का प्रश्न इस समय नहीं उठता।

पूर्व के राज्यों में सहकारिता आन्दोलन

†१५८३. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा**: क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व के राज्यों में सामान्यतः और विशेषतः बिहार में, सहकारिता आन्दोलन को तेज करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ;

(ख) किस सीमा तक सहकारिता आंदोलन विविध राज्यों में सरकारी प्रभुत्व के अधीन है ;

(ग) किस राज्य के सहकारिता आंदोलन में अधिकतर सरकारी प्रभुत्व है ; और

(घ) इस आन्दोलन को सरकारी प्रभुत्व से मुक्त करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) मैं ३६ अप्रैल १६६२ को तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर का उल्लेख करूंगा। बिहार सरकार ने इस बीच विस्तृत कार्यक्रम बना लिया है। संस्थाओं को अधिक वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव भी आसाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारों द्वारा तैयार किये गये हैं। बिहार सरकार को संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप देना है।

(ख) से (घ). आंदोलन पर सरकारी नियंत्रण की मात्रा और स्वरूप प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न हैं जो सामान्यतया सहकारिता की भावना, आंदोलन की संगठनात्मक शक्ति अपेक्षित मात्रा में गैरसरकारी नेतृत्व की उपलब्धि, सहकारी संस्थाओं अधिनियमों, नियमों और प्रक्रियाओं के

†मूल अंग्रेज़ी में

उपबन्धों के ढांचे, इन उपबंधों के चलने आदि पर निर्भर होता है । आंदोलन पर से सरकारी नियंत्रण को कम करने के लिये मोटे तौर पर ये उपाय किये गये हैं :—

(१) सहकारी संस्थाओं के संधानीय संगठन को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(२) सहकारी संस्थाओं के सदस्यों, अधिकारियों और भावी सदस्यों की शिक्षा का बड़े पैमाने का कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है । आशा की जाती है कि सहकारी शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप गैरसरकारी लोगों में अपने उत्तरदायित्वों और अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न होगी ।

(३) सरकारी और गैर सरकारी लोगों की शिक्षा और प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी संघ को सौंपा गया है । राज्य सरकारों को मंत्रणा दी गई है कि वे राज्य सहकारी संघों को राज्य स्तर पर यह काम सौंप दें ।

(४) राज्य सरकारों से कहा गया है कि सहकारी संगठनों में उत्तरदायित्व वाले पद धारण करने वाले मंत्रियों और सरकारी अफसरों को वे पदं छोड़ देने चाहियें ताकि गैर सरकारी लोग उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकें ।

(५) राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे विधियों, नियमों और प्रक्रियों में उपबंधित रुकावटों को हटा दें, जिन में संविहित उपबंध भी शामिल हैं, जिन से गैरसरकारी लोगों द्वारा उत्तरदायित्व ग्रहण किये जाने में वृद्धि होगी ।

(६) कुछ राज्यों में सहकारिता के संबंध में सरकार के कुछ फार्म विकेन्द्रित किये जा रहे हैं और समुचित स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को दिये जा रहे हैं ।

डमडम छावनी स्टेशन पर ऊपरी पुल का विस्तार

†१५८४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे प्लेटफार्म को घेरने के लिये और स्टेशन के बाहर जाने का मार्ग बनाने के लिये ताकि यात्री लाइनों को लांघे बिना सुरक्षित अवस्था में पहुंच सकें, डमडम छावनी स्टेशन में प्लेटफार्म संख्या १ और २ के बीच ऊपर के पुल का विस्तार करने के लिये अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) ऊपर के पुल का विस्तार करने का एक प्रस्ताव रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है ।

कांडला पत्तन

†१५८५. **श्री कपूर सिंह** :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) कांडला पत्तन की पूर्णता की अनुसूची क्या है ;

(ख) क्या इस अनुसूची को कायम रखना सम्भव हो सका है ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). कांडला पत्तन के बड़ी बंदरगाही काम १ सितंबर १९५६ तक पूरे होने थे । पूर्णता की तिथि २५ नवम्बर १९५७ तक बढ़ा दी गई थी। मुख्यतः निम्न कारणों से :—

(१) मशीनरी लगाने के लिये ठेकेदार को छः महीने देने का सरकार का निर्णय;

(२) ठेकेदार को समय पर सीमेंट और इस्पात जैसे नियंत्रत माल का प्राप्त न होना;

(३) शीट पाइलवाल का काम चलते समय असफल रहना ;

(४) १९५६ में भूकम्प;

(५) अतिरिक्त कामों की क्रियान्विति मुख्य इंजीनियर कांडला पत्तन द्वारा आवश्यक समझी गई। ठेकेदार के काम, कुछ छोटी चीजों को छोड़ कर २५ नवम्बर १९५७ तक पूरे हो गये थे ।

पौधा विषाणु अनुसन्धान संस्था[1]

१५८६. { **श्री कपूर सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार एक पौधा विषैला तत्व अनुसंधान संस्था स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, कहां और कब ; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (ग). पूना में पौधा विषैला तत्व अनुसंधान संस्था स्थापित करने की योजना तीसरी योजना में शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत २० लाख रुपये है । अभी स्थान के बारे में अन्तिम रूप में कोई फैसला नहीं किया गया और न ही लागत का अनुमान लगाया गया है ।

घास के मैदान और चारा अनुसन्धान संस्था

†१५८७. { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री कपूर सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने देश में एक घास के मैदान और चारा अनसंधान संस्था स्थापित करने का फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी देश से लोगों और सहायता की कोई सहायता मिलने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी विदेशी सहायता ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) सरकार ने एक घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्था स्थापित करने का निर्णय किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Plant Virus Research Institute.

(ख) और (ग). प्रयोगशाला या क्षेत्रीय उपकरण, परिवहन, पुस्तकालय की पुस्तकों, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सुविधाओं के रूप में १० लाख डालर की सहायता की प्रार्थना संयुक्त राष्ट्र के विशेष परियोजना निधि प्राधिकारों से की गई है ।

औद्यानिक संस्थाओं और नर्सरियों को सहायता

†१५८८. { **श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :**
श्री कपूर सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृषि एवं औद्यानिक संस्थाओं एवं नर्सरियों को सहायक अनुदान दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६१-६२ में अब तक ऐसी संस्थाओं को सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) १५००० रुपये की राशि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा १९६१-६२ में भारत में कृषि और औद्यानिक संस्थाओं एवं नर्सरियों को दी गई थी ।

उत्तर प्रदेश में रेल फाटकों के दोनों ओर पुलिस की नियुक्ति

१५८९. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से लेवल क्रासिंग के दोनों ओर पुलिस के सिपाही तैनात करने को कहा है ताकि रेल-दुर्घटनाओं की इन स्थानों पर रोक-थाम हो सके ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या उत्तर दिया है ;

(ग) उत्तर प्रदेश में रेलवे के लेवल क्रासिंग की संख्या कितनी है ;

(घ) इन लेबल क्रासिंग पर तैनात करने के लिए कितने पुलिस सिपाहियों की आवश्यकता होगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते पर कितना वार्षिक खर्चा होगा ; और

(ङ) क्या इस खर्चे का कुछ हिस्सा उनका मंत्रालय देगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) लगभग ५८७१, जिनमें मवेशियों के लिये बनाये गये "डी" श्रेणी के समपार भी शामिल हैं ।

(घ) और (ङ). सवाल नहीं उठता ।

त्रिपुरा में डाक्टर

†**१५९०. श्री बीरेन दत्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन में सी० ए० एस० ग्रेड २ के डाक्टर कितने हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सी०ए०एस०ग्रेड २ के कितने डाक्टर ऐसे हैं जिन्होंने त्रिपुरा में दस वर्ष से अधिक सेवा की है ; और

(ग) उनको असिस्टेंट सर्जन संवर्ग १ के पद पर पदोन्नत न करने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) चार ।

(ख) दो त्रिपुरा शासन में और १२ त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद के अधीन ।

(ग) असैनिक सहायक सर्जन ग्रेड २ मेडिकल लाइसेंस प्राप्त डाक्टरों को ग्रेड १ के पद पर पदोन्नत दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर किया जाता है यदि स्थान रिक्त हों और वे उच्च पदों को संभालने के लिये योग्य हों । चिकित्सा स्नातकों की पदोन्नति पहले की जाती है । सी०ए०एस० ग्रेड २ के सब पदों को ग्रेड १ में बदलने के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

मुरादाबाद के समीप रेलवे स्टेशन का लूटा जाना

†१५९१. { **श्री बसुमतारी** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सही है कि मुरादाबाद के समीप सेहल नाम के एक स्टेशन को ४ अगस्त, १९६२ को सशस्त्र डाकुओं के गिरोह ने लूटा ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच का आदेश दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ३/४ अगस्त, १९६२ की रात्रि को बन्दूकों से लैस नौ व्यक्तियों ने सेहल स्टेशन पर धावा किया, स्टेशन मास्टर को, कुली को, भंगी को पीटा तथा उनको रस्से के साथ बांध दिया । तदुपरान्त उन्होंने तिजोरी की कुंजी प्राप्त कर ली और १९५ रुपये ४५ नये पैसे तिजोरी में से निकाल लिये । उन्होंने २७० रुपये की लागत का स्टेशन मास्टर का सामान भी लूट लिया । पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सक्रिय रूप से इसकी जांच कर रही है ।

केन्द्रीय भैषजालय संस्था[1]

†१५९२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भैषजालय संस्था कब स्थापित होने वाली है ;

(ख) क्या सरकार के पास भैषजिकों की संस्था[2] की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि यह संस्था पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाए और इसके नाम के साथ डा०बी०सी० राय का नाम लगाया जाए ; और

(ग) इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में [1]Central Institute of Pharmacy [2]Institute of Pharmacists

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केन्द्रीय भैषजालय संस्था की स्थापना का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) पश्चिम बंगाल औषध निर्माण परिषद का एक संकल्प, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार को सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय भैषजालय संस्था पश्चिम बंगाल में स्थापित की जानी चाहिये और उसके नाम डा० बी० सी० राय का नाम जोड़ा जाए, अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है ।

(ग) यह अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

यूकलिप्टस के वृक्ष

†१५६३. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने केरल में यूकलिप्टस के वृक्ष उगाने के लिए वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जहां तक भारत सरकार को पता है, खाद्य तथा कृषि संगठन ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

जल संभरण तथा सफाई योजना

†१५६४. **श्री तन सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जल संभरण तथा सफाई योजना के लिये अपेक्षित सामग्री की कमी है ;

(ख) क्या इस समस्या के भावी स्वरूप का अनुमान लगाने तथा उन कार्यक्रमों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) क्या तीसरी योजना में मांग तथा संभरण रखने के लिये अपेक्षित उद्योग आरम्भ करने की कोई व्यवस्था की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम की गुरुता का, जो अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका, मोटे तौर पर अनुमान राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई समिति द्वारा किया गया है । राज्यवार, ग्राम्य तथा नागरीय स्थिति का अधिक पूर्ण एवं सही अनुमान लगाने के लिये समिति ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य के लिये नागरीय एवं ग्राम्य समितियां पृथक पृथक स्थापित की जानी चाहियें । इस समस्या की भावी गुरुता तथा इस कार्यक्रम के हेतु अपेक्षित सामग्री और उपकरण की आवश्यकताओं का समुचित दिग्दर्शन, इस सम्बन्ध में एक व्यापक योजना बनाये जाने तथा एक निश्चित अवधि के अन्दर समूचे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्णय दिये जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी योजना में, सफाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल संभरण और सफाई परियोजनाओं से सम्बन्धित अपेक्षित उद्योग आरम्भ करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

आंध्र प्रदेश में रामागुन्डम बिजली घर

†१५९५. **श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में रामागुन्डम का बिजली घर अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने बुआयलर के सहायक यंत्रों के सब पुर्जों के लिये आयात का लाइसेंस देने में विलम्ब कर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: रामागुन्डम बिजली घर अपनी पूरी क्षमता पर नहीं चल रहा किन्तु इसका कारण यह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने आयात लाइसेंस देने में विलम्ब किया है। विदेशी मुद्रा देने की मंजूरी मार्च १९६२ में दी गई थी। अभी तक आन्ध्र प्रदेश से आयात लाइसेंस की अर्जी नहीं आई है।

कलकत्ता पत्तन आयुक्त

†१५९६. { **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों (पोर्ट कमिश्नर्स) की वर्कशापों में कितने स्थायी कर्मचारी थे तथा १९६२ मार्च में कितने स्थाई कर्मचारी हैं ; और

(ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की वर्कशापों में १९६० और १९६१ में कितने अस्थाई कर्मचारी नियुक्त किये गये और इन अस्थाई कर्मचारियों की सेवा अवधि क्या थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) आयुक्तों की वर्कशापों में (दक्षिण वर्कशाप, आइलैंड वर्कशाप, उत्तर वर्कशाप और वैगन रिपेयर वर्कशाप) में १९५० में २११९ कर्मचारी तथा १९६२ में २७०७ कर्मचारी थे ।

(ख) १९६० और १९६१ में वर्कशापों में नियुक्त अस्थाई कर्मकारियों तथा उनकी सेवावधि नीचे दी जाती है :—

१९६०

५५० कर्मचारी मासिक . . .	चार महीने के लिए
३२५ कर्मचारी मासिक . . .	छः महीने के लिए
२०० कर्मचारी मासिक . . .	दो महीने के लिये

१९६१

४५० कर्मचारी मासिक . .	चार महीने के लिए
३५० कर्मचारी मासिक . . .	छः महीने के लिए
२०० कर्मचारी मासिक . . .	दो महीने के लिए

†मूल अंग्रेजी में

अस्थाई काम के लिये समय समय पर अस्थाई कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को तभी तक के लिए रखा जाता है जब तक काम हो। जब स्थाई पद रिक्त होते हैं तो अस्थाई कर्मचारियों के उन पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के जहाज आदि

†१५६७. { **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५० में कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों द्वारा रखे गये जहाजों आदि की संख्या कितनी थी और १६६१ में यह संख्या कितनी थी ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में नौवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : १६५० और १६६१ में कलकत्ता बन्दरगाह पर आयुक्तों द्वारा रखे गये जहाजों आदि की संख्या इस प्रकार थी :—

जहाजों के विवरण	कलकत्ता बन्दरगाह में देखभाल के लिये जहाज	
	१६५०	१६६१
१. सक्सैन हापर ड्रेजर .	३	८
२. बकेट ड्रेजर	३	४
३. ग्रैब ड्रेजर .	१	—
४. सैंड पम्प ड्रेजर . .	१	—
५. गैर ड्रेजर . . .	१	१
६. पाइलैट वैसल . .	२	२
७. डिस्पैच वैसल . .	३	२
८. एन्कर वैसल . .	३	४
९. सर्वे वैसल .	३	३
१०. सर्वे लान्च .	२	५
११. मोटर सर्वे लान्च .	३	३
१२. रिवर सर्वे लान्च .	२	२
१३. स्टीम लान्च . .	१४	१०
१४. मोटर लान्च . . .	३	१४
१५. डीजल आयल लान्च . . .	४	४
१६. हापर बार्ज	६	७
१७. ग्रेबे हापर बार्ज	१	१
१८. फ्लोरिंग क्रेन .	३	३
१९. टर्ने पोण्टून क्रेन .	१	१
२०. स्टीम टग . .	८	७
२१. डाक टग	२	५
२२. फायर फ्लोट . .	१	१
जोड़	७०	८७

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रेल संग्रहालय

†१५९९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में रेलवे संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मथुरा रोड, नई दिल्ली के प्रदर्शनी स्थान पर स्थायी रेलवे संग्रहालय तथा प्रदर्शनी बनाने के आरम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा उद्योगों के साथ मिल जुल कर बनाई जाने वाली स्थाई प्रदर्शनी का ही यह भाग होंगे। आशा है कि इसके प्रबन्ध को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

मत्स्य पालन निगम

†१६०१. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मत्स्य पालन निगम स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां तो इसका स्व रुप कैसा होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरा अभी नहीं बताया गया है।

दक्षिण रेलवे के मालूर स्टेशन के निकट माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना

†१६०२. **श्री कजरोलकर** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर १ अगस्त, १९६२ को मेलूर के निकट वैगनों के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ; और

(ख) रेलवे को कितना नुकसान हुआ था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). दुर्घटना की जांच हो रही है। जांच समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) लगभग दो हजार और आठ सौ रुपये।

काजीपेट रेलवे स्टेशन

†१६०३. **श्री प० कुन्हन** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के काजीपेट रैलवे स्टेशन में परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मास्टर प्लान बनाया जा रहा है ; और

(ग) इसको कब तक अन्तिम रुप दे दिया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लगभग अप्रैल १९६३ तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

काजीपेट रेलवे स्टेशन के लिये बिजली का ट्रैक सर्किट

†१६०४. श्री प० कुन्हन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काजीपेट रेलवे स्टेशन पर बिजली का ट्रैक सर्किट बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक लगा दिया जायेगा?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वारंगल स्टेशन

†१६०५. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में वारंगल रेलवे स्टेशन में सुधार करने के लिये अग्रवाल समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेलवे मन्त्रालय में इस समिति तथा दूसरी सिफारिशों की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

फाइलेरिया उन्मूलन

†१६०६. श्री द० ब० राजू : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे फाइलेरिया उन्मूलन में सहायता मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो योजना किन राज्यों में लागू की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) फाइलेरिया उन्मूलन के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है। परन्तु कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फाइलेरिया को रोकने के लिये एक प्रारम्भिक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फाइलेरिया के नियन्त्रण के लिये प्रारम्भिक कार्यक्रम बनाया है :—

राज्य	संघ राज्य क्षेत्र
१	२
१. आन्ध्र प्रदेश	१. अन्दमान निकोबार द्वीप समूह
	२. लक्कदीव, मिनीकाय और अमनिदीवी द्वीप समूह
२. आसाम	३. पांडिचेरी
३. बिहार	
४. गुजरात	

†मूल अंग्रेजी में

१	२
५. केरल	
६. मद्रास	
७. मध्य प्रदेश	
८. महाराष्ट्र	
९. मैसूर	
१०. उड़ीसा	
११. उत्तर प्रदेश	
१२. पश्चिम बंगाल	

दिल्ली के चिड़ियाघर में पशु-पक्षियों की कम खाद्य सामग्री का दिया जाना

१६०७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर मैं रहन वाले पशु-पक्षियों की खाद्य सामग्री उनको दी जाने वाली मात्रा से कम मिलती है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वयं कृषि मंत्री ने खाद्य वस्तुओं का निरीक्षण किया जिसमें शेरों को दिये जाने वाले मांस और हाथियों की घास आदि के लिए एक दिन में कई सेर कम पाया गय था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) कृषि मंत्री ते चिड़ियाघर के अपने एक दौरे के दौरान में पशु-पक्षियों को दिये जाने वाले मांस और हरी खाद्य वस्तुओं को कम पाया । आमतौर पर पूरी खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी परन्तु कम प्राप्त होने पर ऐसी कमी उसी दिन ठेकेदार द्वारा पूरी की जाती थी। यदि वह बकाया सामग्री को पूरा करन में असमर्थ होता तो उस हालत में यह ठकेदार के खर्चे पर बाज़ार से खरीदी जाती थी । अब यह आदेश दिया गया है कि ठेकेदार पूर्ण सामग्री का एक ही बार इकट्ठा और ठीक वज़न में सम्भरण करे ।

शाहदरा, दिल्ली में मानसिक रोग चिकित्सालय

†१६०८. श्री नि० रं० लास्कर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शाहदरे में मानसिक रोग चिकित्सालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अस्पताल के लिए अब तक कुल कितनी धन राशि स्वीकृत हुई है ;

(ग) कुल कितन पलग होंगे ;

(घ) क्या सरकार का वचार इसी प्रकार के अन्य अस्पताल बनाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कहां ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन को अस्पताल के निर्माण के लिए विभागीय व्यय के अतिरिक्त १४, ६४, १०० रुपये के प्राक्कलित व्यय की स्वीकृति दे दी गई है ।

(ग) ११६ ।

(घ) जी नहीं । इस समय नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जीव विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्र मंडलीय संस्था

†१६०६. **श्री नि० रं० लास्कर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताते की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि कुलु में जीव विज्ञान संबंधी राष्ट्र मंडलीय संस्था का सब-स्टेशन खोला गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या विशेष अध्ययन होगा ;

(ग) क्या भारत के अन्य स्थानों पर भी ऐसा कोई सब-स्टेशन खोला जायगा ; और

(घ) यदि हां, तो एसे सब-स्टेशन कुल कितने हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां । कुलु में एक अस्थाई सब-स्टेशन हाल में ही खोला गया था ।

(ख) सेब के पेड़ में लगने वाले सानजोस कीड़े को मारने की देसी प्राकृतिक दवाई का पता लगाने के लिए और कीड़े के नियंत्रण के लिए कीटाणुनाशक दवाई देने में पंजाब सरकार की सहायता करने के लिए । फसल तथा वन वृक्षों के विभिन्न कीटाणुओं के प्राकृतिक शत्रुओं का सर्वेक्षण भी इस केन्द्र में होगा ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के सन्दूर में तथा राजस्थान के पिलानी में दो और नये स्टेशन शीघ्र स्थापित होंगे ।

(घ) दो एकत्रीकरण केन्द्रों के अतिरिक्त पन्द्रह ।

पश्चिम रेलवे की वैगनों का संभरण करने की स्थिति

†१६१०. **श्री बृजराज सिंह-कोटा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के कोटा-बरन और कोटा राजगंज मंडी-भवानी मंडी क्षेत्र में वैगनों का संभरण करने की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या वैगनों की अनुपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में बड़ी कठिनाई और नुकसान के संबंध में गल्ला व्यापारियों की कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्नों का लदान सुविधापूर्वक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) पश्चिम रेलवे के कोटा-बरन और कोटा-रामगंज मंडी-भवानी मंडी विभाग के स्टेशनों से, १-१-१९६२ से ३१-७-६२ की अवधि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

में ३६०१ खाद्यान्नों के वैगनों का लदान हुआ था। ३१-७-६२ से इन विभागों पर खाद्यान्नों के केवल ११ इंडेंड बकाया ह।

(ख) संभवतया माननीय सदस्य ने गल्ला व्यापारियों की शिकायतों की ओर इशारा किया है। कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ग) प्राप्त संसाधनों से ही बकाया यातायात को हटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

†१६११. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** । क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: जहाजों का अर्जन करने के लिए भारत सरकार से ठेका पूरा करने में जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने अब तक क्या प्रगति की है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : संभवतया माननीय सदस्य शिपिंग डैवलप फन्ड कमेटी तथा जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच हुए १८ फरवरी, १९६२ को हुए समझौते की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसमें १३ जहाजों के अर्जन के लिए धन देने के लिए पहले द्वारा दूसरे को २०.२५ करोड़ रुपये का ऋण दिए जाने की व्यवस्था है। इस समझौते की शर्तों में नौवहन कम्पनी को १.५० करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी बनानी है और तभी उसको समिति से ऋण मिल सकेगा। कम्पनी ने २-८-१९६२ को सरकार को बताया है कि उनकी पूंजी १.५० करोड़ रुपये हो गई है। सरकार इसकी जांच कर रही है।

मछली की आवश्यकता

†१६१२. **श्री रा० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत (राज्यवार) के लिए प्रतिवर्ष मछली की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या हमारे देश में अपेक्षित मात्रा में उत्पादन हो सकेगा;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी कमी है; और

(घ) सामिष भोजन करने वालों के लिए खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए मछली का उत्पादन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) यह अनुमान लगाते हुए कि भारत की काफी जनता मछली खाती है यदि पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्यों पर मिल जाये, तो भारत की मछली की आवश्यकता लगभग ४० लाख मीट्रिक टन होगी। राज्यवार आंकड़े मालम नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) १९६१ में ३० लाख मीट्रिक टन;

(घ) मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण काम किए है:—

१. सभी प्रकार के तालाबों आदि में मछली उत्पादन लागू करना;

२. हारमोनों से कृत्रिम रूप से छोटी मछली की सफलतापूर्वक नस्ल बनाना;

३. जल्दी बढ़ने वाली किस्म की मछली का उत्पादन;

४. मछली के बीज का सुधार करने के लिए टैकनीको में सुधार करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैडिकल कालिज

†१६१३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैडिकल कालिजों में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिय कुछ सीटें विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के लिये रक्षित होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ सीटें इन राज्यों के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये रक्षित की जाती हैं;

(ग) उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (घ) संघ राज्य क्षत्रों (दिल्ली के अतिरिक्त) के विद्यार्थियों के लिय विभिन्न राज्यों में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिय मैडिकल कालिजों में रक्षण के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष के समान ही अब भी सामान्य व्यवस्था है। उन राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उपलब्ध सीटों में से २० प्रतिशत रक्षित हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का चुनाव विश्वविद्यालयों अथवा संबंधित कालिजों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता होने पर ही होता है।

कुछ राज्य सरकारों ने जम्मू तथा काश्मीर के विद्यार्थियों के लिय अपने मैडिकल कालिजों में सीटें रक्षित कर रखी हैं। इनके लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार विद्यार्थियों का नाम निर्देशन करती है।

लखनऊ के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

१६१४. { **श्री रामसेवक यादव** :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भक्त दर्शन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० अगस्त, १९६२ को लखनऊ से दस मील की दूरी पर मल्हौर रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी के बीच के २२ डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण कितनी क्षति हुई; और

(ग) इस दुर्घटना का कारण क्या था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) लगभग १९ हजार रुपये।

(ग) एक जांच-समिति कारण की जांच कर रही है।

भाखड़ा परियोजना

†१६१५. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा परियोजना के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण कर लिया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) परियोजना के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) भाखड़ा नंगल परियोजना के स्वीकृत प्राक्कलनों का पुनरीक्षण हो रहा है और आशा है कि पुनरीक्षित प्राक्कलनों को मार्च, १९६३ तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ग) निम्नलिखित के अतिरिक्त अन्य सभी कामों को इस प्रकार लिया गया है :—

१. स्पिलवे पुल, रेडियल दरवाजे, पारापेट घाटी, भाखड़ा, बाँध के ऊपर।

२. कुछ ट्रांसमिशन लाइनें और सब स्टेशन भाखड़ा का दायें किनारे का बिजली का प्लाट बन रहा है और यह परियोजना ही अलग है।

गंडक परियोजना

†**१६१६. श्री बी०चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गंडक परियोजाना का निर्माण किस स्थिति पर है;

(ख) क्या निर्माण अनुसूची के अनुसार हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) पूना अनुसन्धान में लिये गये नमूना अध्ययन के आधार पर बांध के स्थापना स्थान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। बांध पर निर्माण कार्य नवम्बर, १९६२ तक आरम्भ हो जाने की आशा है।

नहरों में से मिट्टी निकालने का काम आरम्भ हो गया है और तिरहत नहर में से १४.२३ करोड़ क्यूबिक फीट डान शाखा नहर में से ४.७५ क्यूबिटक फीट, तथा सरन नहर से १.५० करोड़ क्यूबिक फीट मिट्टी निकाली गई है। पश्चिम गंडक नहर में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भाग में सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है ? उपनगर में भवनों का निर्माण, सामग्री मशीनों का समाहार और हो रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर रेलवे के 'क्लेटम्स आफिस'

†**१६१७. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकरण के बाद वरिष्ठता निर्धारण के मामलों में ३३५–४२५ रुपये के वेतन क्रम से अधिक और कम रखने का भेदभाव किस आधार पर किया गया है;

(ख) क्या निकट भविष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ५३ सी/१/८/३ दिनांक २१ नवम्बर १९५३ के पत्र के अनुसार जो स्थिति एकीकरण की तिथि १४ अप्रैल, ६१ को थी उसी के अनुसार ३३५–४२५ रुपये के वेतन क्रम से कम वेतन वालों की वरिष्ठता करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। प्रशासनिक कारणों से पदोन्नति के अलग एकक नहीं बनाये गये हैं।

(ख) जी नहीं। जोनल रेलवे को बनाने के समय एकीकरण यूनिटों के कर्मचारियों की वरिष्ठता इकट्ठा करने के आदेश उस पत्र में हैं।

(ग) भाग (क) के उत्तर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

गोरखपुर लोको शैड के मजदूर की मृत्यु

†१६१८. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोको शैड, गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का श्रीराम नैन नामक एक मजदूर बायलर के निकट काम करते हुए २३ जुलाई, १९६२ के आस पास मर गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मजदूर को लोकों के उस बायलर पर स्वतन्त्र रूप से काम करने को कहा गया था जिसमें २५ से ३० पौण्ड प्रति वर्ग के भाप का दबाव था;

(ग) क्या यह सच है कि अत्याधिक दबाव के कारण दुर्घटना हुई और वह मर गया;

(घ) यदि नहीं, तो उसकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) श्रीराम नैन, एक बेलेक फिटर एक इंजन के बायलर से निकलने वाले गर्म पानी से जल गया था और १३ घंटे बाद अस्पताल में मर गया था;

(ख) आरम्भिक जांच से पता लगता है कि उनको यह आदेश दिये गये थे कि वह बायलर में काम एक फिटर तथा अन्य कर्मचारियों के साथ मिल कर करें।

(ग) और (घ). पानी अधिक गरम होने के कारण वह मर गये थे।

(ङ) इस समय भी ऐसे आरोप हैं कि बायलरों के जोड़ तभी खोले जाने चाहियें जब बायलर पर्याप्त ठंडा हो जाय। इन आदेशों का कठोरता से पालन करान के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली के अस्पतालों में बिजली सप्लाई में कमी

†१६१९. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही दिल्ली में बिजली की कमी के संकत में राजधानी के सभी अस्पतालों में बिजली का संभरण करने में अनुसूची का पालन नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कुछ अस्पतालों के मामलों में अनुसूची का पालन क्यों किया गया था तथा अन्य अस्पतालों के मामलों में क्यों नहीं किया गया था ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम ने समाचार दिया है कि उन्होंने सभी अस्पतालों जैसे इरविन अस्पताल, टी० बी० अस्पताल, किंग्सवे कैम्प, इन्फैक्शस डिर्जाज अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल और विलिंग्डन अस्पताल में बिजली का पूरा पूरा संभरण किया है। कुछ अन्य अस्पतालों जैसे सेन नर्सिंग होम, और सर गंगाराम अस्पताल को पूरा संभरण करने का प्रयत्न किया गया। परन्तु आपात-काल में टैक्नीकल कारणों से बिजली काटनी पड़ी थी। छोटे अस्पतालों तथा क्लीनकों जिनको

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्डरों से बिजली दी जाती थी उन को भी बिजली काटने के प्रोग्राम के अनुसार बिजली का संभरण किया गया था। बिजली के संकट काल में इन स्थानों को बिजली देने के विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये थे।

पश्चिम बंगाल के खाद्यान्न का विषाक्त होना

†१६२०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय हाईजीन और जन स्वास्थ्य संस्था का प्रतिवेदन मिला है कि माल्दा में पक्षाघात रोग गेहूं के आटे के कारण नहीं अपितु दूषित सरसों के तेल के कारण फैला था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे तेल के निर्माण और उपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां। माल्दा में पक्षाघात के मामले किस के कारण हुए थे इसकी अग्रेतर जांच हो रही है।

(ख) संदेहात्मक गेहूं का आटा और सरसों का तेल जब्त कर लिया गया है और सभी संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दे दी गई है।

आसाम में टिड्डी का आक्रमण

†१६२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग एक महीने के बाद आसाम में टिड्डी के आक्रमण का अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो इन से बचने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) देश में टिड्डियों के बहुत बढ़ जाने के कारण इन के आसाम तक पहुंच जाने की संभावना है।

(ख) टिड्डियों को मारने के लिये टिड्डी विरोधी सभी काम किये गये हैं परन्तु इन सभी कामों के बावजूद इन का पूर्व में जाना रोका नहीं जा सकता है। आसाम में टिड्डी के विरुद्ध काम करने के लिये राज्य सरकार को चेतावनी दे दी गई है। गोहाटी में केन्द्रीय पौधा संरक्षण केन्द्र को पर्याप्त शक्ति शाली बना दिया गया है जिस से आसाम सरकार को वह सभी सभावित सहायता दे सके।

खम्भात की खाड़ी का जल वर्णना सम्बन्धी सर्वेक्षण

†१६२२. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण समिति द्वारा बंगाल की खाड़ी के जलव र्णना संबंधी सर्वेक्षण पर विचार करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** २७ जुलाई, १९६२ को नई दिल्ली में हुई नेशनल हार्बर बोर्ड की जल वर्णना सर्वेक्षण समिति की बैठक में खम्भात की खाटीड़ी के जलवर्णना सम्बन्धी सर्वेक्षण के प्रश्न पर चर्चा हुई थी। नौबल जलवर्णना संबंधी शाखा के पास

---

†मूल अंग्रेजी में

उपलब्ध यंत्रों से सर्वेक्षण तट से ७ से १० मील की दूरी में किया जा सकता है। खम्भात की खाड़ी लगभग ३० मील चौड़ी है इसलिये दोनों तटों से ७ से १० मील की दूरी का सर्वेक्षण कर लिया गया है और बीच की दस से १६ मील की चौड़ाई का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका है। इसलिये समिति ने निर्णय किया है कि आवश्यक इलैक्ट्रानिक उपकरण मिल जाने के बाद ही सर्वेक्षण हो सकेगा।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कलकत्तीघाट—अगरतला रेलवे लाइन

†१६२३. **श्री नि० र० लास्कर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के कलकत्तीघाट—अगरताला' की नई रेलवे लाइन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) काम को पूरा करने की लक्ष्य तिथि क्या है और क्या काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कलकत्ती घाट—धर्मनगर लाइन पर ३७ प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) लाइन पर अप्रैल, १९६३ में माल गाड़ी चलने लगेगी और नवम्बर, १९६३ से यात्री गाड़ी। काम अनुसूची के अनुसार हो रहा है।

दूध की प्रति व्यक्ति खपत

†१६२४. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन कारणों से ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार भारत में दूध का उत्पादन १९५१ में ४९६३.५ लाख मन था जो १९५६ में बढ़ कर ५२८२.६ लाख मन हो गया। हाल में ही दूध के उत्पादन का अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है और इसीलिए प्रति गाय/भैंस द्वारा दिए जाने वाले दूध के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु ऐसा अनुमान है कि ढोरों की संख्या बढ़ जाने से तथा कई विकास योजनाओं का आरंभ हो जाने से भारत में दूध का उत्पादन और बढ़ जायेगा। १९५६ के औसत तथा १९६१ के ढोरों की गणना के आधार पर दूध का वर्तमान उत्पादन अस्थाई तौर पर ५८११.८ लाख मन है। इन आंकड़ों के आधार पर जन संख्या बढ़ जाने पर भी दूध की प्रति व्यक्ति खपत कम नहीं हुई है।

पूर्व रेलवे के लिलुआ क्षेत्र में बनाये गये फ्लैट

†१६२५. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पूर्व रेलवे में लिलुआ क्षेत्र में कितने नये फ्लैट बनाये गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि लिलुआ के जेनीसन रोड और पीयर्स रोड के नये क्वार्टरों में बिजली और पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया है जब कि लगभग दो वर्ष पहले निर्माण पूरा हो गया था और कर्मचारियों को प्रतिमाह ४० रुपये से ४५ रुपये महावार किराया देना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) बैरकों तथा हौस्टलों में विभिन्न प्रकार के क्वार्टर बनाये गये हैं । गत दो वर्षों मैं लिलुआ क्षेत्र में लगभग १९० क्वार्टर बने हैं ।

(ख) जी नहीं । क्वार्टरों में पानी संभरण की व्यवस्था करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था । बिजली लगाने में कुछ विलम्ब हुआ है परन्तु आशा है कि यह शीघ्र ही लग जायेगी । इन सड़कों पर क्वार्टरों के जो टाइप—२ प्रकार के हैं; किराये १५ रुपये बिना बिजली तथा १६ रुपये २५ नये पैसे बिजली वाले मासिक हैं और ४० रुपये से ४५ रुपये मासिक नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†१६२६. **श्री बूटा सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिविजनल इंजीनियर, अम्बाला के दफ्तर के डाक तथा तार के अनुसूचित जाति के कर्मचारी वर्ष में केवल एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठ सकते है ;

(ख) क्या यह सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो मामले को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भागवती)** : (क) जी नहीं । परन्तु ग़लती से अम्बाला इंजीनियरिंग डिवीजनल आदि में एक ऐसा मामला हो गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़

†**श्री ब्रजराज सिंह** (बरेली) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें ।

"असम और उत्तर प्रदेश में हाल की बाढ़ जिसके कारण सहायता कार्यों में मदद के लिये सेना भेजनी पड़ी"

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, असम में भी बाढ़ है, बिहार में भी बाढ़ है । मैं चाहता हूं कि सब के सम्बन्ध यहां एक साथ बतलाया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इन माननीय सदस्यों ने तो नोटिस दिया था इस लिये मैं ने मिनिस्टर साहब से स्टेटमेंट देने को कहा। अगर आप कहते तो मैं बिहार के लिये भी कह देता।

श्री विभूति मिश्र : आप की आज्ञा तो पहले से ही है कि जब भी ऐसा कहीं हो तो यहां पर स्टेटमेंट दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मिनिस्टर साहब का जवाब सुन लीजिये। फिर मैं उन से कह दूंगा ।

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** मेरे पास जो कुछ भी जानकारी है मैं उसे सभा के सम्मुख रखता हूं। विस्पृत जानकारी आने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जहां तक सेना भेजने का प्रश्न है मुझे ज्ञात हुआ है कि स्थानीय क्षेत्र के कमांडर ने आसाम में एक इन्फेंटरी बटालियन, १० मोटर बोट आसाम को भेजी हैं। उसने ४० व्यक्ति और तीन मोटर बोटें उत्तर प्रदेश को भेजे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सभा इस विषय पर चर्चा करना चाहती है।

†**श्री अध्यक्ष महोदय :** विवरण प्राप्त होन के पूर्व मैं इस संबंध मैं किस प्रकार निश्चय कर सकता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या आसाम के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को सहायता के लिये तार भेजा गया है ?

†**श्री अलगेशन:** आसाम के मुख्य मंत्री का प्रधान मंत्री के नाम एक तार आया है कि केन्द्र को इस संबंध में राज्य की सहायता करनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञ वहां भेजे जायें। उन्होंने मंत्री महोदय को भी राज्य में दौरा करने का निमंत्रण दिया है। हम केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के दो इंजीनियर वहां भेज चुके हैं तथा हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत):** मैं श्री मोरार जी देसाई की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं।

> "कि भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करनें और उसके परिणामस्वरूप भारत के राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित की अनुमति दी जाये।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

२. भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने और उसके परिणाम-स्वरूप भारत के राज्य बैंक एक्ट, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाले विधेयक को पुर थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं :

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** :

३. कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदयय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर अधिनियम संशोधन करने वाले बिल को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संघ राज्य क्षेत्र नाटय प्रदर्शन (निरसन) विधेयक

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर-संघ राज्य-क्षेत्र में लागू नाट्य-प्रदर्शन अधिनियम, १८७६ के निरसन का उपवन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मनीपुर-संघ राज्य-क्षेत्रों में लागू नाट्य-प्रदर्शन अधिनियम १८७६ के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भाषायी अल्प-संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : २२ अगस्त, १९६२ को श्री दातार द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर और आगे विचार किया जायेगा, अर्थात :

"कि यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर जो क्रमशः ८ अगस्त, १९६० और २४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

माननीय गृह-कार्य मंत्री।

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : प्रतिवेदन पर बहुत से भाषण हुये हैं। बहुत से रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुये हैं। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और जिन बातों का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से है उन्हें भी सूचित करेंगे। भारत की स्वतन्त्रता के बाद हम अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैं कि अब आगे चलना जरूरी हो गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों का प्रश्न राज्य पुनर्गठन के पश्चात् बड़े सजीव रूप में सामने आया है। कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि १९४७ के बाद देश में कोई परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने सामान्य शब्दों में ही 'भावात्मक एकता' तथा उसकी आवश्यकता पर बल दिया है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं इन भावनाओं की सराहना करता हूं। परन्तु यह प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बाद देश के सामने आया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये विशेष संरक्षणों की सिफारिशें की गयी थीं। बहुत से राज्यों के विलय के बाद भाषा का प्रश्न बड़े जोर से उठा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में जो सिफारिशें प्रस्तुत की थीं उसकी ओर गृह-कार्य मन्त्रालय ने एक अभ्यावेदन द्वारा राज्यों का ध्यान आकृष्ट करवाया और उन्हें कार्यान्वित करने का आग्रह किया।

यह समस्या बिल्कुल नयी थी। क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न ही बहुत जटिल था। क्षेत्रीय भाषा के साथ भाषायी अल्प संख्यकों के हितों का भी ध्यान रखा जाता था। बात कुछ परस्पर विरोधी दिखाई देती थी परन्तु हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आयोग की सिफारिशों के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक के लिये एक आयुक्त नियुक्त किये गये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस आयुक्त के प्रथम दो प्रतिवेदन तो भाषायी अल्पसंख्यकों एवं राज्यों के विभिन्न प्रदेशों अथवा क्षेत्रों द्वारा की गयी शिकायतों का संग्रहमात्र थे। परन्तु तीसरा प्रथम दो से बिल्कुल भिन्न है। उसमें निश्चित रूप से संकेत किया गया है कि संघीय गृह मन्त्रालय द्वारा निर्धारित कतिपय सिद्धान्त और नीतियां राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं। और अब वे उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय का कहना है :—

> "सामान्यतः राज्य सरकारें भाषायी संरक्षण को स्वीकार करती हैं। यदि कोई इस दिशा में भूल भी हुई है तो शीघ्र ही उसका सुधार हो जायेगा। यह ठीक है कि भाषायी अल्पसंख्यकों में असन्तोष की भावना है। कई मामलों में भाषायी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को इस बात का पता नहीं कि विभिन्न राज्यों में उन्हें अब तक क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हो चुकी हैं। कुछ धीमी चाल का कारण सरकारी मशीनरी की सुस्ती भी है.........."

मतलब यह कि आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि अन्तोगत्वा राज्य सरकारें गृह-कार्य मन्त्रालय की संरक्षण देने की नीति को स्वीकार कर रही है। यह भी आयुक्त ने कहा है कि इस बारे में सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

मशीनरी तनिक ढीली रही है, क्योंकि राज्य स्तर पर अथवा जिला स्तर पर विभिन्न प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही नहीं हो सकी। परन्तु मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आगामी छः मास में हम इस दिशा में सक्रिय कार्यवाही करने जा रहे हैं।

मैंने स्वयं यह अनुभव किया कि इस प्रश्न को उच्च स्तर से ही हल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर मुख्य मन्त्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई गयी थी जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी थी। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को मुख्य मन्त्री सम्मेलन के निर्णयों और सिफारिशों का पूर्ण ज्ञान होगा। क्षेत्रीय परिषदों में भी इन सब बातों की जांच एवं चर्चा की गयी। मैं यह भी बता दूं कि राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने भी मुख्य मन्त्री सम्मेलन के निर्णयों को पसन्द किया। अब इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों की कार्यान्विति के प्रश्न पर क्षेत्रीय परिषदों के उप-सभापतियों की बैठक में, जो २६ अगस्त, को बम्बई में होने जा रही है, पुनः विचार किया जायेगा। कई राज्य सरकारों से रिपोर्टें मिली हैं कि उन्हें इस मामले में कार्यवाही करने में कुछ कठिनाई हो रही है। इस प्रकार के राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को उसमें बुलाया गया है। समिति की पिछली बैठक काफी उपयोगी सिद्ध हुई थी। और यह दूसरी बैठक भी काफी लाभदायक सिद्ध होगी, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

क्षेत्रीय परिषदों के उप सभापतियों की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया था कि भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी कार्य मुख्य मन्त्रियों को सौंप दिया जाये। और यह निर्णय किया गया है कि सचिवालय में मुख्य सचिव इस कार्य का चार्ज लेगा। उनकी सहायता के लिये एक विशेष अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय परिषद् की एक स्थायी समिति भी होगी जिसमें मुख्य मन्त्री अथवा सम्बद्ध मन्त्री होंगे। जहां भी कठिनाइयां होंगी मतभेद होंगे, उन्हें उच्च स्तर पर सोचा विचारा जायेगा और उसका हल निकाला जायेगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् ने स्थायी समिति बनाई है और उसमें शिक्षा मन्त्रियों को भी सदस्य रखा है। राज्य के शिक्षा मन्त्री को भाषायी अल्पसंख्यक लोगों की समस्याओं का बहुत अधिक ज्ञान होता है।

मेरा व्यक्तिगत विचार है कि गत छः मास में सरकार ने इस दिशा में जो विशेष कदम उठाये हैं उससे स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कम से कम तीन मामलों में निश्चित कदम उठाये गये हैं। प्रथम यह कि समस्त राज्यों में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था हो गयी है। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुविधाओं के उपलब्ध करने से सम्बन्धित परिणामों को कार्यान्वित करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकारें नगरपालिका आदि में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग किये जाने के लिये कदम उठा रही हैं। बहुत से राज्य अपने भर्ती नियमों को मुख्य मन्त्रियों तथा केन्द्रीय मन्त्रियों की गत वर्ष की बैठक में निर्धारित किये गये सिद्धान्तों के अनुरूप बनाने के लिये कदम उठा चुके हैं, अथवा वे ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। आदिवासियों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने अपनी संथाली इत्यादि भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपनाये जाने का हमेशा स्वागत किया है।

आदिम जाति के लोग, जो कि आसाम में रहते हैं, स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि जब तक हिंदी न आ जाये, वे अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे और इसके बदलने पर वे हिन्दी का स्वागत करेंगे उन्होंने सदा देवनागरी लिपि अपनाने का भी स्वागत किया है। वे चाहते हैं कि सरकारी काम के लिये और स्कूलों और कालेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का ही प्रयोग हो।

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा के इस आरोप के बारे में काचार में सिलचार के जिले में बंगला का प्रयोग नहीं किया जा रहा, जांच करनी पड़ेगी और मैं आयुक्त से भी कहूंगा कि वे भी इसकी जांच करें। यदि यह सत्य हुआ, तो राज्य सरकार को स्थिति ठीक करने के लिये कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने

यह भी कहा है कि गृह-काय मन्त्रालय के ज्ञापन में दिये गये परित्राणों का आसाम सरकार पालन नहीं कर रही। इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि पिछले ६ महीनों में आसाम सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यकों या काचार के बंगला भाषी लोगों की सन्तुष्टि के लिये कोई पग उठाये हैं। मुझे मालूम है कि अंग्रेजी के माध्यम वाले प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ गई है। श्री देशपाण्डे की इस शिकायत की भी आयुक्त द्वारा जांच की जायेगी कि मैसूर राज्य में मराठी के माध्यम वाले स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ी।

आयुक्त का कार्यालय शुरू से ही इलाहाबाद में था और उसे कई वर्ष हो चुके हैं। श्री प्र०के० देव का यह सुझाव ठीक नहीं कि यह कार्यालय वहीं होना चाहिये जहां बहुत गड़बड़ हो। मेरे विचार में इलाहाबाद कोई बुरा स्थान नहीं है और वहां उन्हें हर तरह की जानकारी प्राप्त हो सकती है। मेरे विचार में यह कार्यालय दिल्ली से और गड़बड़ वाले इलाकों से दूर होना चाहिये।

जहां तक आयुक्त की शक्तियों का सम्बन्ध है, भाषाई अल्पसंख्यकों के परित्राण मुख्यतः राज्यों के प्रशासन क्षेत्र में आते हैं। इन को लागू करने के लिये उन्हें कार्यपालिका अधिकार देना सम्भव न होगा। उनका काम तथ्य मालूम करना है और यह देखना है कि क्या अल्पसंख्यकों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सब काम राज्य सरकारों द्वारा किये जाने हैं यदि केन्द्रीय नियन्त्रण रख दिया जाये, तो इससे बहुत समस्यायें पैदा होंगी और सब चीजों में देरी हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि हमें यह भावना भी उत्पन्न नहीं करनी चाहिये कि सब चीजों का निर्णय केन्द्र द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकारों और वहां के लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करनी चाहियें। इसलिये सारे उत्तरदात्वि का राज्य सरकारों पर होना आवश्यक है। केन्द्र खंडीय परिषदों और उनके उपाध्यक्षों की समिति के द्वारा उन से सम्पर्क रख सकता है।

मैं श्री हेडा से बिलकुल सहमत हूं कि आयुक्त शिकायतों की प्रतीक्षा न करे बल्कि स्वयं विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों का दौरा करे। मैं ने आयुक्त को यही सुझाव दिया है और उन से खंडीय परिषदों की बैठकों में शामिल होने के लिये भी कहा है। पश्चिमी खंडीय परिषद् की बैठक में शामिल हुए थे। और यह बहुत उपयोगी था। मैं ने उन्हें मुख्य मंत्रियों की बैठक में आने के लिये भी निमंत्रण दिया था और वे राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भी आये थे। मैं ने यह इसलिये किया है कि उन्हें सब की राय मालूम हो सके। उन्हों ने मुझे कहा है कि उन्हें राज्य सरकारों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है—राज्यों के मंत्रियों और पदाधिकारियों दोनों का। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने उन्हें अपनी स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया था।

श्री हेडा के इस सुझाव को पहले से ही क्रियान्वित किया जा रहा है कि राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के ५० प्रतिशत पदाधिकारी राज्य से बाहर के हों।

श्री मोहसिन के इस प्रश्न पर कि प्रादेशिक भाषा के राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनने की हालत में भाषायी अल्पसंख्यक उम्मेदवारों की क्या हालत होगी, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया है कि राज्य सेवा में भरती के लिये भाषा कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये और राज्य की शासकीय भाषा के अतिरिक्त उम्मेदवार का हिन्दी या अंग्रेजी को माध्यम बनाने का अधिकार होना चाहिये। दक्षिण की खंडीय परिषद के निर्णय के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक उम्मेदवार अपनी भाषाओं को परीक्षाओं में प्रयोग कर सकेंगे।

तार विभाग के भर्ती सम्बन्धी नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। जिन उम्मेदवारों ने अपना माध्यमिक पाठ्यक्रम उर्दू में लिया था, उन को कोई नुकसान नहीं है। श्री विद्यालंकार ने कहा था कि यह प्रत्यावेदन राज्य विधान मंडलों के सामने भी रखा जाना चाहिये। किन्तु मैं समझता हूं कि यहां इस की चर्चा करना अधिक अच्छा है। राज्यों में इस की चर्चा करने से उत्तेजना बढ़ सकती है। यहां वह बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम ने अखिल भारतीय दृष्टि से इस को देखना है। तथापि यदि कोई राज्य सरकारें इस पर चर्चा करना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निर्णय हो चुके हैं, उन को क्रियान्वित किया जाय। यहां जो चर्चा हुई है, उस की प्रतियां राज्य सरकारों को भेजी जायेंगी।

श्री सोम का यह आरोप सत्य नहीं कि बिहार में ३८ लाख आदिवासियों के लिये शिक्षा सुविधायें कम हो गई हैं। सन्थाली माध्यम में शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या १९६०-६१ में ३१४ से ३८६ हो गई है और विद्यार्थी १३,००० से १८,००० हो गये हैं।

श्री जाधव ने कहा है कि जांग एक मराठी भाषी क्षेत्र है किन्तु मराठी स्कूलों और अध्यापकों की संख्या कम होती जा रही है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा और आयुक्त भी जांच करेंगे।

श्री त्यागी की यह बात ठीक है कि हमें भाषायी अल्प-संख्यकों की नहीं, एकता और राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिये। किन्तु हमें यथार्थवादी होना चाहिये। आजादी के बाद लोग अपने अपने क्षेत्रों की भाषा का विकास देखना चाहते हैं। उन की भावनाओं को दबाना उचित नहीं होगा। हमें प्रजातंत्रात्मक तरीके से प्रगति करनी है और धैर्य से काम लेना है। यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाय। उन के भी अपने कर्तव्य और दायित्व हैं। बहुसंख्यक समुदाय को भी सावधान रहना है। अन्त में हमें प्रादेशिक हितों को स्थानीय हितों के पीछे रखना है और राष्ट्रीय हित को आगे रखना है।

मैं सदन का इस के सुझावों के लिये आभारी हूं। भविष्य में प्रतिवेदन पर विचार करने में विलम्ब नहीं किया जायगा। मुझे आशा है कि संसद की सहायता से हम अल्पसंख्यकों को संतुष्ट कर सकेंगे और इस तरह सच्ची राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकेंगे।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी): क्या दक्षिण खंडीय परिषद् की तरह अन्य परिषदें भी अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को सुरक्षित करने के लिये पग उठा रही हैं। दूसरे उन अल्पसंख्यकों के लिये जो किसी खंडीय परिषद में नहीं आते, कौन सा निकाय है। उदाहरणतया मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में उड़िया हैं? क्या इन के मामले में पूर्वी खंडीय परिषद में उठाये जा सकते हैं?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: पूर्वी खंडीय परिषद् की बैठक १२ सितम्बर को हो रही है, इस में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मामले उठाये जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की उड़िया-भाषी लोगों के बारे में राज्य सरकार और आयुक्त से पूछ ताछ की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः ८ अगस्त, १९६० और २४ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले बिधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि राज्य विधिजीवी परिषदें अभी तक कोई नियम नहीं बना सकी है जिसके परिणामस्वरूप उन विद्यार्थियों को जिन्हें फरवरी १९६२ के बाद अपनी परीक्षायें पास की थीं, अपने को अधिवक्ता के रूप में पंजीबद्ध कराने में बहुत कठिनाई हो रही है ।

चूंकि वे नियम नहीं बनाये गये हैं, इसलिये अखिल भारतीय विधिजीवी संघ ने इससे प्रार्थना की थी कि हमें अधिनियम की धारा २४ में तारीख को २८ फरवरी, १९६२ से बढ़ा कर २८ फरवरी १९६३ करने का उपबन्ध करना चाहिये । चूंकि हमने यह देखा है कि हमें सभा में बारबार संशोधन लाने पड़ते हैं इसलिये हम ने अखिल भारतीय विधिजीवी परिषद एवं राज्य विधिजीवी परिषदों द्वारा नियम बनाये जाने तक के लिये नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे देना अधिक अच्छा समझा ताकि हमें हर बार सभा में संशोधन न लाना पड़े । इसी कठिनाई के कारण यह संशोधन पुरःस्थापित किया गया है । हमने यह संशोधन किया है कि ये नियम भारत की विधिजीवी परिषद् के परामर्श के साथ बनाये जायेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास ने जो संशोधन दिया है, सरकार उसे स्वीकार कर लेगी । क्योंकि हमारा आशय भी यही था । ये कठिनाइयां न केवल भरती के मामले में बल्कि और विषयों के बारे में भी उत्पन्न होती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : संशोधन प्रस्तुत किये जाने से पहले विधि स्नातक संघ ने विधि मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया था, क्योंकि जिन्होंने २८ फरवरी, १९६२ के बाद पास किया था, उनके मन में शंका थी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संशोधन का स्वागत है, क्योंकि राज्य विधि जीवी परिषद् ने कोई नियम नहीं बनाये ।

इस अधिनियम से केवल उन्हीं लोगों को सहायता मिलती है जो २८ फरवरी १९६२ से पहले अपनी परीक्षा पास कर चके हैं ।

मैं ने इस सम्बन्ध में उपविधि मंत्री से भी बातचीत की थी और विधि मंत्री को इस संबंध में कई संसद् सदस्यों ने एक पत्र भी भेजा था । उनमें यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने चाहियें और एक ऐसा संशोधन किया जाये जिस से कि ऐसे परीक्षार्थियों को भी जिन्होंने २८ फरवरी के पश्चात् परीक्षा पास की उन्हें इससे लाभ हो सके ।

†**श्री अ० कु० सेन**: मैं यह बता चुका हूं कि हम नियम बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले रहे हैं । और उन नियमों के अधीन उन स्नातकों को जिन्हों ने २८ फरवरी १९६२ के बाद परीक्षा दी है उन्हें उन्मुक्ति दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन नियमों को यथाशीघ्र बनायें ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : मैं सरकार के इन प्रयत्नों की सराहना करता हूं । हमें कोई शिशिक्षु की व्यवस्था को अधिक महत्व नहीं देना तथा विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मेरे लिये आवश्यक नहीं है ।

जब विश्वविद्यालय ने किसी व्यक्ति को उसकी कानूनी जानकारी की परीक्षा ले कर डिगरी प्रदान करदी है तो राज्य विधिजीवी परिषद् की और कोई शर्त नहीं लादनी चाहिये क्योंकि वह विश्वविद्यालय की परीक्षा पर कलंक होगा ।

मेरे विचार से शिशिक्षु बनने की शर्त अनिवार्य नहीं है । क्योंकि इससे वे परीक्षा पास होते ही कमा नहीं सकेंगे । यह स्मरण रखना चाहिये कि वकालत के व्यवसाय में बहुत प्रतिद्वंदिता हो रही है अतः इन नये वकीलों को तत्काल वकालत करने का अवसर देना चाहिये ।

पंजीयन में भी देर नहीं की जानी चाहिये ।

संशोधित कानून के अधीन नियम बनाने की शक्ति दो अधिकारियों की होगी । अर्थात् केन्द्रीय सरकार और राज्य विधिजीवी परिषद् को सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित नियमों को उचित समय पर कौन लागू करेगा ताकि विद्यार्थियों का नुकसान न हो ।

केन्द्रीय सरकार के लिये नियम बनाने के मामले में विधिजीवी परिषद से परामर्श करना अनिवार्य नहीं होना चाहिये । तथा हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि कभी कभी ज्येष्ठ वकील लोग नये वकीलों के मार्ग में बाधक होते हैं । अतः प्रशिक्षण तथा परीक्षा पर अधिक जोर नहीं किया जाना चाहिये ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने यह विधेयक तत्काल प्रस्तुत किया है । इस विधेयक के अनुसार जिन व्यक्तियों ने विधि स्नातक की परीक्षा पास की है उन्हें कुछ समय प्रशिक्षण लेना होगा तथापि स्थिति यह है कि कई राज्यों में विधि परिषदें ही नहीं बनी हैं और बहुत स्थानों में विधि परिषदों ने नियम नहीं बनाये हैं । अतः संतोष की बात है कि विधि मंत्री ने उचित समय पर यह विधेयक पेश किया है जिसमें यह कहा गया है कि नौजवान विधि स्नातकों के लिये जो कार्य राज्य विधिजीवी परिषदें नहीं कर सकी वह केन्द्रीय सरकार करेगी ताकि उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें । समस्त देश में ऐसे स्नातकों की संख्या कई हजार तक पहुंचेगी । केवल मध्य प्रदेश में उनकी संख्या २५० है । सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि इस कानून में और कोई खामी न रह जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह अधिनियम अभी हाल पारित हुआ है तथा विधि मन्त्री इसमें तीसरी बार संशोधन कर रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि अधिनियम के उपबन्धों में कोई आधारभूत दोष है ।

सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों से इस बात की जानकारी मांगे कि राज्य विधिजीवी परिषदों का निर्माण क्यों नहीं हुआ । अधिनियम की इस दृष्टि से जांच की जानी चाहिये कि विधिजीवी परिषदों का निर्माण सरल एवं यथासम्भव शीघ्र हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक विधि स्नातकों का प्रशिक्षण देने को सम्बन्ध है मैं इससे सहमत हूं तथापि राज्य विधि परिषदों को यह बताना चाहिये कि केवल नियम बनाने में इस सम्बन्ध में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल लाया गया है उसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं । हमारे मध्य प्रदेश में कम से कम तीन सौ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एल० एल० बी० पास किया हुआ है लेकिन जो अनएम्प्लायड बैठे हैं, जिनको करने के लिये कोई धंधा नहीं है । उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस लेने के लिये दे रखे हैं लेकिन अभी तक वे मंजूर नहीं हुए हैं । वहां की बार काउंसिल ने जो रूल यहां भेजे हुए हैं, मुझे मालूम हुआ है, कि उनको अभी मंजूर नहीं किया जा सका है । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या अड़चन पैदा हो रही है और क्या यह सच नहीं है कि वहां की बार काउंसिल ने यहां रूल मंजूरी के लिये भेजे हुए हैं अगर हां तो उनको मंजूर करने में देरी क्यों लग रही है । इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

इसमें जो पैरा ३ है और जो इस प्रकार से है, वह बहुत अच्छा है :—

> "इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वे राज्य की विधि जीवी परिषदों के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण और परीक्षा के सम्बन्ध में नियम बनाये ।"

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और वह ट्रेनिंग के बारे में है । मैंने भी तीस साल वकालत की है । हमारे यहां जितने भी मध्यप्रदेश में वकील हैं, उन्होंने कभी भी बार काउंसिल के सामने एग्जेमीनेशन नहीं दिया है । एक वकील साहब को शौक आया और उन्होंने बम्बई प्राविन्स में वकालत करनी चाही और उसके लिये लाइसेंस मांगा । लाइसेंस पाने के लिए वह परीक्षा में बैठे और बराबर ना-पास हुए । उनका ऐसा कहना था कि इतना अनुभव होते हुए भी वे वहां के एग्जेमीनेशन में जो पास नहीं हो सके हैं, इसका कारण यह है कि वहां पर प्राविन्शलिज्म है और मध्य प्रदेश के लोग वहां जाकर वकालत करें, ऐसा बम्बई के लोग नहीं चाहते हैं । इसलिये उनको नापास किया गया है ।

लेकिन मेरा कहना दूसरा है । यदि कोई डाक्टर है तो उसको तो परीक्षा की जरूरत नहीं लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करनी होती है । यदि वह कोई गलती कर देता है तो जो मरीज़ होता है वह एक दम से हेल में जा सकता है और यदि ठीक से इलाज करता है तो हैवन में जा सकता है । वह मरीज़ को यमराज के पास भेज सकता है, अपनी गलती से । लेकिन जो वकालत करता है और किसी केस की ठीक से पैरवी नहीं करता है तो जो मुवक्किल होता है वह एप्पेलेट कोर्ट में जा सकता है, एक कोर्ट के बाद दूसरी में, दूसरी के बाद हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है । इस तरह से वह बारबार कोर्ट्स के सामने जा सकता है । जो वकील है उसको मौका दिया जाना चाहिये कि वह मिस्टेक्स कमिट करके लर्न कर सके और इस तरह का प्राविज़न इसमें रखा जाना चाहिये । लेकिन जो प्राविज़न रखा गया है कि बार-काउंसिल में उसको एग्जेमीनेशन देना चाहिये इसको ऐसा कर दिया जाना चाहिये कि एक साल वह एग्जेमीनेशन में बैठ चुके तो सैकिंड यीअर में फिर उसको बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिये और इस प्रकार से लीनियेंट व्यू लिया जाना चाहिये ।

[श्री बड़े]

माननीय मन्त्री जी बहुत अच्छे और चोटी के वकील हैं और बहुत विद्वान् भी हैं । वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वकील कभी भी कसी के पास बैठ कर सीख नहीं सकता है, कभी काम को पिक अप नहीं कर सकता है । जब तक वह खुद काम नहीं करेगा, जब तक उसको पता नहीं होगा कि किस प्रकार से विटनेस को क्रास-एग्जेमिन करना है, तब तक वह सीख नहीं सकता है । इस वास्ते यह जो ट्रेनिंग की बात या एग्जेमीनेशन की बात रखी गई है यह ठीक नहीं है । लेकिन चूंकि इसको रख दिया है, इस वास्ते मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जो कुछ किया गया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी रूल्ज़ (अधिनियम) तैयार किये जायें ताकि आज जो अनएम्प्लायमेंट (बेकारी) है, वह दूर हो सके । जो एक बार एल० एल० बी० की परीक्षा पास कर लेता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको एम्प्लायमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा । इस वास्ते जो रूल्ज़ अभी तैयार नहीं हुए हैं या जिनको मंजूरी नहीं दी गई है, उनको जल्दी तैयार किया जाए और उनको जल्दी मंजूरी दी जाए । इन्दौर में तथा मध्यप्रदेश के दूसरे इलाकों में जहां भी मैं जाता हूं लोग मुझ से कहते हैं कि तुम पार्लियामेंट में हो, तुम इन चीज़ों को मन्त्री महोदय के सामने नहीं रखते हो । लेकिन जब यहां पर प्रश्न पूछा जाता है तो माननीय मन्त्री जी की तरफ से कह दिया जाता है कि अभी विचार हो रहा है और कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है । केवल यही उनका हमेशा जवाब होता है । मैं चाहता हूं कि जो कुछ करना हो, वह आप जल्दी कर दिया करें ताकि लोगों में निराशा न फैले ।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी एग्जेमीनेशन पास करके बेकार बैठे हुए हैं उनके लिये कोई न कोई व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जानी चाहिये और जो रूल मध्य प्रदेश की बार काउंसिल ने आपके पास भेजे हैं और जिनको भेजे हुए बहुत दिन हो गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी मंजूरी दी जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि वे तैयार कर लिये गये हैं लेकिन कुछ अड़चन आ गई है जिसके कारण वे अभी तक स्वीकार नहीं किये गये । मैं चाहता हूं कि उनको शीघ्र से शीघ्र स्वीकार किया जाय ।

मैं फिर से इस बिल को सपोर्ट करता हूं और माननीय मन्त्री जी को इसे यहां पर लाने के लिये धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : मैं इस अधिनियम से सहमत हूं तथापि यह विधि मन्त्रालय पर एक प्रकार का आक्षेप है कि इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने के पहिले उसकी ठीक प्रकार से जांच नहीं की जाती है । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक का आनुसंगिक संशोधन बहुत सोच समझ कर लाया जायेगा जिससे इस प्रकार की कार्यवाही का अन्त हो ।

मैं आशा करता हूं कि विधि मन्त्री के आश्वासन देने के पश्चात् से विधि स्नातकों को परेशानी उठाने का कोई कारण नहीं होगा ।

दुख की बात है कि राज्य की विधि परिषदें उस सीमा तक सहयोग नहीं कर रही हैं जितना कि हम उनसे चाहते हैं । तथापि हम चाहते हैं कि राज्य की विधि जीवी परिषदों को तत्काल समुचित रूप दिया जाये और उनसे निकटतम सहयोग की तत्काल व्यवस्था की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : आधुनिक समाज दो ही स्तम्भों पर खड़ा है एक कानून और दूसरा विज्ञान। यदि किसी व्यवसाय ने अपने आचरण को प्राचीन काल से अब तक निबाहा है तो वह वकालत ही है।

मेरे विचार से सबसे अच्छा यह था कि केन्द्र में एक न्याय मन्त्रालय होता और सारी परीक्षायें उसके अन्तर्गत होतीं। सारे विधि विश्वविद्यालय भी सीधे उसी के अधीन होते। विधिका पाठ्यक्रम भी पांच वर्ष का होना चाहिये।

मेरे विचार से इस अभिप्राय के लिये संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी इससे यह अच्छा होता कि उच्च न्यायालयों को ये आदेश जारी किये जायें कि जब तक विधि जीती परिषदें नहीं बन पाती हैं वे किसी व्यक्ति द्वारा २५० रु० जमा कर देने पर लाइसेंस जारी कर सकते हैं। फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। मैंने इसके सम्बन्ध में अपना संशोधन दिया है। इसका कारण यह है कि इस विधेयक में जो तारीख दी गयी है वह २८ फरवरी १९६२ है जब कि इसके पश्चात् विधि स्नातकों की बहुत बड़ी संख्या ने परीक्षायें पास की हैं। इससे उन्हें भी उन्मुक्ति दी जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जायेगा।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं निस्सन्देह बहुत बड़ी संख्या में अभी हाल विधि स्नातकों ने परीक्षायें पास की हैं तथापि वे अभी वकालत नहीं कर सकते हैं।

संविधान में जब विधायकों के लिये शिक्षा या अर्हता की कोई न्यूनतम सीमा विहित नहीं की है तो मेरे विचार से इस व्यवसाय के लिये भी नहीं की जानी चाहिये।

अभी हाल विश्वविद्यालयों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत काफी गिर गया है केवल २० से लेकर ५० प्रतिशत तक विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तब पुनः विधि जीवी परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने की शर्त अनुचित है।

अतः मेरा सुझाव है कि विधि स्नातकों के लिये अनिवार्य परीक्षा तथा प्रशिक्षण की शर्त से उनकी कठिनाई बहुत अधिक बढ़ जायेगी तथा उस व्यवसाय में दाखिल होने वाले नये व्यक्तियों के प्रति उसे बहुत अन्याय होगा।

†**श्री मोहसिन** (धारवाड़-दक्षिण) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आज की स्थिति को देखते हुए मैं परीक्षा पास करने के उपरान्त प्रशिक्षण और एक परीक्षा पास करना उचित समझता हूं। आज यह स्थिति है कि बहुत से वकील पास करने के कई वर्ष उपरान्त पुनः इस पेशे पर आते हैं उनके लिये किसी ज्येष्ठ वकील के नीचे प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि व्यावहारिक प्रशिक्षण न होने से वे अधिकांश इस प्रकार की गलतियां करते हैं जिनसे उनके मुवक्किलों को हानि उठानी पड़ती है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : इस संशोधन अधिनियम को देखने के बाद यह प्रकट होता है कि मानों हम अधिनियम तो जल्दी में पारित कर देते हैं और संशोधन आराम से करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सरोजिनी महिषि]

कुछ राज्यों में आजकल बार काउन्सल परीक्षाएं हो रही हैं। और कुछ राज्यों ने अपने यहां १९५८ अथवा १९५९ से पहले ही बार काउन्सिल बना दी थीं। राज्य पुनर्गठन के बाद कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उनकी ओर में विधि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कुछ राज्यों में बार काउंसिल है और कुछ में नहीं परिणाम यह होता है कि कुछ विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं में बैठना पड़ता है और जहां ये बार काउंसिलें नहीं हैं वहां के विद्यार्थियों को मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार की कठिनाई को यथाशीघ्र दूर किया जाना चाहिये।

अब केन्द्रीय सरकार बार काउंसिल परीक्षा सम्बन्धी नियम बनाने के सभी अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन मेरा विचार है कि यदि ये नियम समान हों तो बहुत अच्छा हो। इसके लिये अच्छा यह होगा कि हम सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम देखें और विधि की महत्ता का अध्ययन करें। और यह प्रयत्न करें कि नियम समान रूप से बनाये जायें।

२८ फरवरी १९६२ अन्तिम तिथि रखी गई है। जिन विद्यार्थियों ने इस तारीख से पहले अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं वे बार काउंसिल में बैठने से मुक्त हो जायेंगे। ये कठिनाइयां कुछ राज्यों के सामने आई हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि राज्यों को बार काउंसिल बनाने में क्या कठिनाई थी।

इस वर्तमान विधेयक के द्वारा यह समय बढ़ा दिया गया है। साथ ही केन्द्रीय सरकार यह अधिकार भी अपने हाथ में ले रही है कि यदि राज्य सरकारें अपने यहां बार काउंसिल बनाने में देर कर रही हैं तो वहां के लिये केन्द्रीय सरकार नियम बनायेगी और बार काउंसिल परीक्षायें करायेगी। मैं समझती हूं कि केन्द्रीय सरकार का यह रुख उदार है।

यह विधेयक उन विद्यार्थियों के लिये अच्छा है जो २८ फरवरी १९६२ के बाद परीक्षाओं में बैठे हैं। लेकिन मैं यह आशा करती हूं कि यह तिथि अब और आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।

इस वर्तमान विधेयक के द्वारा धारा ५८ में संशोधन किया जा रहा है। यह अच्छी बात है। विधि परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को वकालत शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह प्रशिक्षण वरिष्ठ वकीलों के साथ लिया जाना चाहिये। कानून का निर्वचन भी बहुत जरूरी है। इसलिये निर्वचन की जानकारी प्राप्त करने के लिये वरिष्ठ वकीलों के नीचे काम करना बहुत जरूरी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वकालत शुरू करने से पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्यों ने जो इस विधेयक का आम तौर पर स्वागत किया है उस के लिये मैं उन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

जब अधिवक्ता अधिनियम पारित किया गया था तो हमारा उद्देश्य यह था कि स्वायत्तशासी बार की स्थापना हो। ताकि बार में काम करने वाले एडवोकेटों की भर्ती तथा अन्य शर्तों के बारे में बार काउंसिल स्वयं नियम बना सकें। यदि हम चाहते तो उस समय भी ये अधिकार अपने पास ले सकते थे।

इस अधिनियम पर १९ मई १९६१ को स्वीकृति दी गई लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालयों ने निर्वचन सम्बन्धी नियम बनाने में बहुत समय लिया। फलस्वरूप कुछ स्थानों पर दिसम्बर १९६१ तक निर्वाचन ही नहीं हुए। हालांकि कुछ राज्यों में बार

---

†मूल अंग्रेजी में

काउंसिलें तो पहले ही बन गई थीं लेकिन कुछ राज्यों में ये जनवरी और फरवरी १९६२ तक बनीं । लेकिन अभी तक बहुत सी बार काउंसिलों ने नियम नहीं बनाये हैं । कुछ ने नियम बनाये भी हैं तो वे अखिल भारतीय बार काउंसिल ने स्वीकृत नहीं किये हैं । अब इस में सरकार का क्या कसूर है । ये वकील लोग सरकार की तो आलोचना करते हैं और अपनी कार्यकुशलता की चर्चा करते हैं । यहां यह देखना है कि वे स्वयं अपने बारे में भी नियम नहीं बनाते हैं । अतः दूसरों की आलोचना करने से पूर्व उन्हें यह बात ध्यान में भी रखनी चाहिये । यही बात उच्च न्यायालयों की है कि उन्हों ने नियम बनाने में इतना अधिक समय लिया ।

इन नियमों के अभाव के कारण ही हमें यह विधेयक लाना पड़ा क्योंकि जब कोई कमी रह जाती है तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उसे दूर करे और संसद् को यह अधिकार है कि वह उस भूल को सुधारे ।

सरकार श्री श्रीनारायण दास के संशोधन को मानने को तैयार है । सरकार का भी वही इरादा था । हम चाहते थे कि सरकार उन सभी स्नातकों को मुक्त कर दे जो फरवरी १९६३ तक विधि परीक्षा पास करते हैं । महान्यायवादी ने भी मुझे यही लिखा था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि अधिवक्ता अधिनियम १९६१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी ।

खण्ड २ (धारा ५८ का संशोधन)

श्री हेम राज का एक संशोधन है क्या वह उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा): स्पष्टीकरण जानने के लिये मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मेरा संशोधन पहले है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड २ और ३ के बाद हम उसे लेंगे ।

†**श्री हेम राज** : खंड ५८ के अन्तर्गत आजकल वकालत करने वाले वकीलों के अधिकारों पर उस तिथि तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि अध्याय ४ जिस दिन से लागू होता है । उस में हम कुछ शब्द रखने जा रहे हैं । वह उपबन्ध अधिनियम की धारा ५५ में वर्तमान है । अतः इन शब्दों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । धारा ५५ ही काफ़ी है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम ने इस की अच्छी तरह जांच कर ली है । और इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ये शब्द आवश्यक हैं क्योंकि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपुरा और मनीपुर के वकील नहीं आते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य इस संशोधन के रखे जाने पर बल देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम राज : जी नहीं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को इसे वापस लेने के लिये सभा की अनुमति है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(नई धारा ६० का रखा जाना)

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री म० प० स्वामी का एक संशोधन है क्या वह इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†श्री म० प० स्वामी (टंकासी) : माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए मैं इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २२,—

शब्द "the Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] के पश्चात् "after consultation with the Bar Council of India" ["भारत की बार काउंसिल से परामर्श करने के बाद"] शब्द रख दिये जायें । (३)

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १, पंक्ति २२,—

शब्द "the Central Government" ["केन्द्रीय सरकार"] के पश्चात "after consultation with the Bar Council of India" ["भारत की बार काउंसिल से परामर्श करने के बाद"] शब्द रख दिये जायें । (३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खण्ड १—क

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनारायण दास आप के दो संशोधन हैं । उन की क्या स्थिति है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं इन का संशोधन संख्या ५ स्वीकार करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप धारा २४ में संशोधन नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन**: खंड ३ में संशोधन हो जाने के कारण यह धारा २४ से सम्बद्ध है । खंड ३ स्वतः ही धारा २४ तथा २८ को सम्बद्धित करती है । धारा २४ जटिल धारा है । इसलिये उस में संशोधन करना आवश्यक है । चूंकि धारा २८ के अधीन कोई नियम नहीं बनाया गया है इसलिये धारा २४(१)(घ) का पालन करना कठिन है । इसलिये हम मुख्य खंड ३ के अन्तर्गत नियम बनाने का अधिकार अपने पास ले रहे हैं । धारा २४ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो नहीं है किन्तु सम्बद्धित अवश्य है । इस कठिनाई के कारण ही हम यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो अमेंडमेंट है, वह सैक्शन २४ के सम्बन्ध में है, जबकि यह बिल सैक्शन ५८ में अमेंडमेंट करने और सैक्शन ६० इन्सर्ट करने के लिये लाया गया है । अगर कोई अमेंडमेंट बिल के स्कोप के बाहर हो, तो इस सदन के रूल्ज़ के अनुसार वह अमेंडमेंट आउट आफ़ आर्डर है, क्योंकि इन रूल्ज़ के अनुसार पेयरेंट एक्ट को अमेंड नहीं किया जा सकता है :

†**श्री अ० कु० सेन** : इस का उत्तर मैं दे चुका हूं ।

†**श्री बड़े** : यह हमारे नियमों के अनुकूल नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं ?

†**श्री बड़े** : जी हां ।

†**श्री शं० शा० मोरे** : जब सभा के सामने संशोधन विधेयक हो तो संसद् सबस्य उस विधेयक की खंडों के बारे में संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । प्रक्रिया नियम ८० के अनुसार अन्य बातें भी आ जाती हैं । क्योंकि उस का क्षेत्र बहुत व्यापक है अतः मेरा निवेदन यह है कि यह संशोधन संशोधन विधेयक की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्यतः तो यह संशोधन विधेयक के क्षेत्र से बाहर है । यह संशोधन धारा २४ और २८ के बारे में है और इस के द्वारा सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । इसलिये श्री श्रीनारायन दास का संशोधन धारा २४ और २८ से सम्बद्ध है । इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय भी है । अतः इन सब बातों को देखते हुए मैं इस की अनुमति देता हूं । क्या यह संशोधन विधि मंत्री को मान्य है ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जी हां ।

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ १, पंक्ति ४ के पश्चात्—

'**1 A. Amendment of Section 24**—In Sub-section (1) of Section 24 of the Advocates Act, 1961 (hereinafter referred to as the principal Act) for the figures, letters and words "28th day of February 1962" wherever they occur, the figures, letters and words "28th day of February, 1963" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted'

25 of 1961

["**१क धारा २४ का संशोधन** : अधिवक्ता अधिनियम (जो अब मुख्य अधिनियम कहा जायेगा) १९६१ की धारा २४ की उपधारा (१) में "२८ फरवरी

†मूल अंग्रेज़ी में

१९६२" शब्द तथा अंकों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आयें "२८ फरवरी
१९६१ का २५ १९६३" शब्द तथा अंक रख दिये जायें और यह समझा जायेगा कि सदैव ही ये शब्द उन के स्थान पर रखे हुए थे शब्द जोड़ दिये जायें । "]

[श्री श्रीनारायण दास]

नया खण्ड १क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

निर्वाचनों का संचालन (दसरा संशोधन)नियम, १९६२ में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री श्रीनारायण दास द्वारा १९ जून, १९६२ को प्रस्तावित संशोधित पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी । यह प्रस्ताव इस प्रकार है ।

"यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में, जो १९ अप्रैल, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात :—

'नियम ३ का लोप किया जाये ।"

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं इस पर दो संशोधन प्रस्तुत करता हूं । यह संदेह प्रगट किया गया था कि पेटियों में तोड़ फोड़ की जा सकती है । अतः यह आवश्यक है कि न्यायालय के नियमों के अधीन जो भी उन्हें खोले, उसे संबंधित पक्ष को पूरा अवसर देना चाहिये कि जो कुछ भी किया जाये उनकी उपस्थिति में किया जाये । यह भी आवश्यक समझा गया कि चुनाव आयोग कारणों को लिख लेने के पश्चात् ही इस प्रकार का आदेश देवें । अतः मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६२ में, जो १९ अप्रैल, १९६२ को पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

'नियम ३ के उप-नियम (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये,—

(२) नियम ९३ के उप-नियम (१) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु कि —

(क) जब ऐसा कोई आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाये तो निर्वाचन आयोग ऐसा करने से पहले लिखित रूप में उसके कारण बतायेगा ; और

(ख) निर्वाचन आयोग के ऐसे किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उसके सामने ऐसा कोई पैकेट नहीं खोला जायेगा और न उसके भीतर की चीज़ों का निरीक्षण किया जायेगा या उन्हें पेश किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी ने उम्मीदवारों या उनके द्वारा विधिवत् अधिकृत अभिकर्ताओं को, उसे खोलने, उसका निरीक्षण करने या पेश किये जाने के समय उपस्थित होने का उचित अवसर न दे दिया हो।" '

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संकल्प से सहमत हो।"

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री बड़े : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यहां पर इस पर डिसकशन हुआ था तब कहा गया था कि इलैक्शन कमिश्नर अगर पैकेट्स को ओपन करें, तो ओपन करने के बाद वह क्या करने वाले हैं, इस पर प्रकाश डाला जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि ओपन करने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। एक बार अगर रिटर्निंग आफिसर ने कह दिया कि फलां कैंडीडेट, चाहे उछल कूद से ही सही, सफल घोषित किया जाता है, उसके बाद अगर पैकेट्स को खोला जाता है तो खोलने के बाद क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं। कोई भी अधिकार उसके बाद इलैकशन कमिश्नर को नहीं दिया गया है। इसलिए उस रोज़ जो डिसकशन हुआ था उस में यही कहा गया था कि यह जो प्राविज़न है, पैकेट्स को खोलने का यह रिडंडेंट है और इसलिए इसको वापिस लिया जाए, इसको ओमिट किया जाए। यह सैंस उस रोज़ इस हाउस की थी। उस रोज़ यह प्रामिज़ किया गया था कि इस पर विचार किया जा रहा है। हम बड़ी आशा से बैठे हुए थे कि शायद इसको ओमिट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई है। रिटर्निंग आफिसर ने एक बार जब रिजल्ट डिकलेयर कर दिया, उसके बाद भी पैकेट्स को ओपन किया जा सकता है, यह जो प्राविज़न रखा जा रहा है, यह बहुत ही खतरनाक है। इस वास्ते उस रोज़ कहा गया था कि यह एक रिडंडेंट प्राविज़न है क्योंकि इस में इसके बाद कुछ हो नहीं सकता है, उसको कोई भी किसी किस्म के अधिकार नहीं दिये गये हैं। अब जो एमेंडमेंट लाया गया है, उसमें कहा गया है कि पार्टी के सामने इन पैकेट्स को खोला जाएगा। मैं समझता हूं कि यह मीअर आई वाश है। यह भी कहा गया है कि ऐसा करने के लिए रीज़ंज़ लिखे जायेंगे। लेकिन उसके बाद क्या करने वाले हैं आप, इसके बारे में कोई भी प्राविज़न इस में नहीं रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बड़े]

हम देखते हैं कि ला मिनिस्टर साहब एमेंडमेंट आफटर एमेंडमेंट लाते रहते हैं। अभी आज ही उन्होंने एडवोकेट्स बिल में थर्ड एमेंडमेंट लाई थी और उसको लाने के बाद भी एक और एमेंडमेंट की है जिसके अनुसार १९६२ के स्थान पर १९६३ कर दिया गया है। इसी प्रकार से मैं समझता हूं कि यह जो कैंडीटेड्स के सामने पैकेट खोलने का अधिकार दिया गया है, उनके खोल लेने के बाद आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इस वास्ते इस प्राविज़न से इस हाउस को कोई सैटिसफैक्शन नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाए ताकि फिर एमेंडमेंट लाने की जरूरत महसूस न हो

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अनुसरण में, निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में, जो १९ अप्रैल, १९६२ को पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

'नियम ३ के उप-नियम (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये,—

(२) नियम ९३ के उप-नियम (१) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु कि—

(क) जब ऐसा कोई आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाये तो निर्वाचन आयोग ऐसा करने से पहले लिखित रूप में उसके कारण बतायेगा ; और

(ख) निर्वाचन आयोग के ऐसे किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा या उसके सामने ऐसा कोई पैकेट नहीं खोला जायेगा और न उसके भीतर की चीजों का निरीक्षण किया जायेगा या उन्हें पेश किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी ने उम्मीदवारों या उनके द्वारा विधिवत् अधिकृत अभिकर्ताओं को, उसे खोलने, उसका निरीक्षण करने या पेश किये जाने के समय उपस्थित होने का उचित अवसर न दे दिया हो।" '

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संकल्प से सहमत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं सभा से अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छटे प्रतिवेदन से जो २१ अगस्त, १९६२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छटे प्रतिवेदन से, जो २१ अगस्त १९६२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शहरों तथा गावों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा श्री नम्बियार द्वारा १० अगस्त को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर विचार करेगी :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि शहरों और ग्रामीण आवास और गन्दी ब को हटाने की योजनाओं की प्रगति की जांच करने और उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने के उपाय सुझाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये ।"

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मुझे बहुत दुख से यह कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पन्द्रह वर्ष बाद भी इस संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । मैं आंकड़ों के आधार पर यह बता सकता हूं कि हमारे देश में गृह निर्माण की जो प्रगति हो रही है वह भी विशेष नहीं है क्योंकि हमारे देश में प्रतिवर्ष केवल १ लाख मकान बनते हैं जब कि अमेरिका में १० लाख और इंगलेंड में ३ लाख मकान प्रतिवर्ष बनते हैं ।

यदि सरकार गृह निर्माण के लिये आवश्यक सुविधायें दे तो जनता और भी अधिक तेजी से मकान बना सकती है । वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आज भी हमारी आवास समस्या हल नहीं हो सकी है और उक्त रफ्तार को देखते हुए हमारी आवश्यकतायें कभी पूरी नहीं हो सकती हैं ।

भारत के बड़े बड़े नगर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं । बम्बई में ७०० मकानों को खतरनाक घोषित कर दिया गया किंतु वहां के निवासियों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी । दिल्ली में आये दिन गंदी बस्तियों के निवासी मंत्रियों तक अपने अभ्यावेदन पहुंचाते रहते हैं और मंत्री भी बहुत उदारता से उन्हें वचन देते रहते हैं ।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का यह हाल है कि अभी भी ६०००० निवासियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं और तीसरी योजना के दौरान केवल ८५८८ व्यक्तियों को क्वार्टर मिल सकेंगे । इस प्रकार अल्प आय भोगी कर्मचारियों की आवास समस्या कभी हल नहीं हो पायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नम्बियार]

जहां तक गन्दी बस्तियों का प्रश्न है, दिल्ली या गम्बई में इसे राजनैतिक चाल का माध्यम बनाया जाता है । वहां प्रशासक दल के नेता लोग पहुंचते हैं और उनके सम्मुख बड़ी बड़ी बातें बधारते हैं और उनके सम्मुख गंदी बस्तियों की सफाई की बड़ी बड़ी योजनायें रखी जाती हैं परन्तु अंत में एक दिन पुलिस का दल टिड्डी दल की तरह टूट पड़ता है और उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया जाता है । दूसरी योजना में २५० करोड़ रुपये तीसरी योजना में ४५० करोड़ रुपये इस कार्य के लिये रखे गये हैं । तथापि स्थिति को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समस्या का संतोषजनक रूप से हल हो सकेगा ।

जहां तक मकान बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने का प्रश्न है बड़े शहरों में भूमि प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है । वहां केवल भूमि वही प्राप्त कर सकते हैं जो कि अपने संसाधनों से उन्हें खरीद सकें जो भूमि नहीं खरीद सकते हैं उनके लिये सरकार ने कोई सुविधायें प्रस्तुत नहीं की हैं। मेरे विचार से सरकार को इस प्रकार के विधान इत्यादि पारित करने चाहियें कि जिससे अल्प आय वर्ग या मध्यम वर्ग के कोई भी कर्मचारी मकान के लिये भूमि प्राप्त कर सकें ।

सीमेंट तथा अन्य मकान बनाने के लिये आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं । यह आश्चर्य की बात है कि बड़ी बड़ी इमारतें तो बन जाती हैं तथापि छोटे मोटे मकान बनाने के लिये सीमेंट उपलब्ध नहीं होता है ।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किस प्रकार गंदी बस्तियों में रहने वालों की समस्या को हल किया है । उन में से कितने व्यक्तियों को फिर से बसाया जा चुका है तथा तीसरी योजना में वह समस्या को किस प्रकार हल करने जा रहे हैं ।

जहां तक गृह निर्मान के लिये ऋण का प्रश्न है यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये ऋण की व्यवस्था की गयी है तथापि लाल फीता शाही के कारण उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

जहां तक औद्योगिक आवास योजनाओं का संबंध है इस क्षेत्र में सरकार बहुत असफल रही है । औद्योगिक मजदूरों के लिये पिछले दस वर्षों में १८३३२ मकान ही बन पाये हैं ।

अतः यह आवश्यक है कि आवास तथा सफाई की योजनाओं में की गयी प्रगति के संबंध में जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये ।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प स्वीकृत किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रेजोल्यूशन को पेश करने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार आप के सामने आंकड़े दे कर बतलाया कि रूरल और अरबन हाउसिंग के बारे में और स्लम क्लिअरेंस के बारे में बहुत काम नहीं हुआ, हो सकता है कि किसी हद तक यह बात सही हो, लेकिन आंकड़ों को देखन से मालूम होगा कि सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन यें जो ८४ करोड़ रुपयं का प्राविजन था उस में से ७० करोड़ ४२ लाख रुपयै खर्च किये गये हैं । तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी १४२ करोड़ रु० का प्राविजन किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस मामले में जो मुश्किल होती है वह यह है कि जो मकान बनाने वाली अलग अलग सोसायटियां होती हैं या जो लो इनकम या मिडल इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उन के लिये जमीन जल्दी नहीं मिलती है। उस की एक बड़ी वजह यह है कि २, २, ३, ३ और ४, ४ साल तक काम वैसे ही पड़ा रहता है और उसको आरम्भ नहीं किया जाता है। मैं अपने जिले की बात बतलाऊं कि वहां पर एक सोसाइटी का काम १० वर्ष से वैसे ही पड़ा है जिससे कि जमीन नहीं मिलती है। जरूरी रकम का प्राविजन करने के बाद भी बीच में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और वह दूर नहीं होती हैं। पीछे हाईकोर्ट में भी ऐसा कुछ निर्णय हुआ कि सरकारी काम के लिए पब्लिक परपज के लिए जो जमीन दी जा सकती है इस तरह के कामों के लिए तो जमीन मिल सकती है लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग हैं उन के लिए जमीन मिलती नहीं है और यही मूल कारण है कि जिसकी वजह से बहुत सी सोसाइटियों का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है।

यह सन् १९६१-६२ की रिपोर्ट आप के सामने है। इस के पेज १० पर जो एक कोष्ठक दिया है उस को देखने से आप को ज्ञात होगा कि १,४९,८५५ मकान सैक्शन किये गये जिस मैं से १,१४,८८२ मकान बनाये गये। इन आंकड़ों को दृष्टि में रखते हुए सरकार की जो टीका की गई है कि कुछ काम नहीं हुआ है और यह कि हाउसिंग का काम बहुत पिछड़ा हुआ है, यह क्रिटिसिज्म कुछ ठीक मालूम नहीं देता है। लेकिन एक बात में इस के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि सरकारी पैसे का किस तरह से सही उपयोग हो और काम तेजी से आगे बढ़े उस के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को जो दिलचस्पी लेनी चाहिए थी उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इस के अलावा जो दूसरे खानगी लोग होते हैं जिन्हें कि स्वयं अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है उन के रास्ते में दिक्कतें पैदा होती हैं जिसके कि कारण मकान जितने बनने चाहिएं नहीं बन पाते हैं और हाउसिंग प्रोग्राम तेजी नहीं पकड़ पाता है। यह भी सही है कि रूरल एरिया में मकान ज्यादा नहीं बनते। गवर्नमेंट ने जो रकम दी है और लोगों का हिस्सा जो उस में मिलना चाहिए वह हिस्सा नहीं मिलता है। देहात में सरकारी पैसे से जो मकान बनाने वाले लोग होते हैं वह बड़े गरीब होते हैं और उन के पास पैसा नहीं होता है जिसके कि कारण वहां मकान नहीं बन पाते हैं। शहरों का भी कमोबेश यही हाल है। हालांकि वहां पर म्युनिसपैल्टीज और अन्य लोकल सैल्फ गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं और उनके पास पैसा भी होता है तो भी वहां पर जल्दी जल्दी यह हाउसिंग का काम नहीं होता है और चूंकि शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है इसलिए वहां की समस्या भी जटिल ही बनी हुई है। शहरों में आबादी बढ़ने का कारण यह है कि चूंकि लोगों को गांव में रोजी उपलब्ध नहीं होती है इसलिए लोग गांव छोड़कर शहरों में बसते जा रहे हैं। इस के कारण हम देखते हैं कि शहरों में मकानों की समस्या बड़ी गम्भीर है और १० फिट बाई १० फिट के मकानों में १५, १५ और २०, २० आदमी भरे रहते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इस तरह के स्लम्स के क्लिअरेंस की स्कीम हाथ में ली जाय और स्लम ऐरियाज के लोगों के वास्ते सरकार इंसान के रहने लायक मकान बनाये।

दूसरी बात यह है कि जहां ऐसे मकान बने हुए हैं वहां लोग जाते नहीं हैं। उस की वजह यह है कि जिस जगह पर उनके रिश्तेदार आदि रहते हैं वे वहीं पर रहना चाहते हैं और कहीं दूर नहीं जाना चाहते हैं। बाहर दूर जहां उनके लिए मकान बने हुए हैं वहां वह नहीं जाते। अब उदाहरणस्वरूप बम्बई को ही ले लीजिये। बम्बई में फोर्ट से दादर तक सात, आठ मील तक साइड बाई साईड मकान बने हुए हैं लेकिन चूंकि वहां आदमी नहीं जाते हैं इसलिए वे बेकार पड़े हुए हैं . . .

श्री बड़े : चूंकि वहां पर चोरियां होती हैं और डाक्टर नहीं मिलते हैं इस वास्ते लोग वहां नहीं आते हैं ।

श्री तुलसीदास जाधव : माननीय सदस्य ने ठीक कहा । अगर वहां सब उचित व्यवस्था हो जाय तो लोग उन में चले जायेंगे । अब शोसल वर्कर्स का यह काम है कि उन लोगों को समझायें कि वे वहां जाकर रहें और इस के साथ ही वहां पर जो इंतजाम में कमी हो उस के लिए सरकार से कह कर उसको ठीक करवायें ।

यहां में यह जिक्र कर देना चाहता हूं कि सरकारी मकानों का किराया कुछ अधिक होता है । हमारे शोलापुर शहर में वर्कर्स के लिए मकान बने हैं । वर्कर्स को मकान तैयार हो जाने के बाद कहा गया कि उन में जाकर वह बसें लेकिन वह उन में नहीं गये क्योंकि उनको दूसरे छोटे मकान ५, ६ रुपया प्रतिमास भाड़े पर मिलते हैं और चंकि उन सरकारी मकानों का किराया २० और २५ रुपये प्रति मास था इसलिए वर्कर्स उनमें गये नहीं और वह मकान २, २ और ३, ३ वर्ष तक बेकार खाली पड़े रहे। आखिर में सरकार ने लाचार होकर वे मकान पुलिस को भाड़े पर दे दिये । पुलिस को वे मकान कम भाड़े पर उठाये गये । इसलिए एक कारण सरकारी मकानों में वर्कर्स के न जाने का उनका अधिक किराया भी है। इस के साथ ही जैसा कि अभी एक भाई ने कहा था कि चूंकि वहां पर चोरियां होती हैं, पुलिस, पानी और डाक्टरी की व्यवस्था नहीं है इसलिए लोग वहां पर जाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस हाउसिंग स्कीम के लिए जितना पैसा प्रोवाइड किया गया है उस पैसे का अधिक से अधिक और सही उपयोग हो । मकान जो आप बनायें तो उस के साथ ही जितनी भी आवश्यक सुविधाएं होती हैं उनका माकल बंदोबस्त करें । ऐसा होने से ही लोग खुशी से आप के बनाये हुए मकानों में जायेंगे ।

यह तो ठीक है कि मकान जितने भी शहरों की घनी बस्ती से दूर बनाये जायें आरोग्य की दृष्टि हे वह उत्तम रहेंगे लेकिन पानी, पुलिस और डाक्टरी आदि की आवश्यक सुविधाएं वहां पर सरकार को मुहैय्या करनी चाहिएं । मैं ने देखा है कि बम्बई में कितने ही ऐसे मकान बने हुए हैं जिन के पास इतना गंदा पानी रहता है कि लोग वहां रह नहीं सकते । अब मकान बनाने के साथ साथ आप को दूसरी सहूलियतों का भी बंदोबस्त करना होगा । अगर आवश्यक जान पड़े तो आप इस हाउसिंग की मद में से थोड़ा पैसा उन आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए निकाल सकते हैं । ऐसा करने से लोग आप के उन मकानों में जाकर रहेंगे ।

आज से दस वर्ष पहले हाउसिंग और स्लम क्लिएरेंस की तरफ सरकार का ध्यान नहीं था । पंडित जी का भाग्यवश ध्यान इस समस्या की ओर गया । बम्बई आने पर उन्होंने जब इन गंदी बस्तियों को देखा तो उन्होंने ऐलान किया कि गंदी बस्तियों की सफाई होनी चाहिए और इस स्लम क्लिएरेंस की स्कीम को सरकार प्राथमिकता दे । हम देखते हैं कि तब से इस दिशा में थोड़ा बहुत काम हुआ है । गंदी बस्तियों की सफाई हुई है और वहां के लोगों को बसाने के लिए सरकार ने मकान बनाये हैं । मैं इस सम्बन्ध में सरकार से इतना ही अनुरोध करूंगा कि केवल इस काम के लिए पैसे का प्राविजन करना ही काफी नहीं होगा बल्कि इस को जल्द से जल्द अमली रूप भी दिया जाय और जहां जरूरत महसूस हो वहां इस पैसे को लगा कर स्लम क्लिएरेंस और हाउसिंग का काम पूरा किया जाय । बस मुझे इतना ही कहना था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेजोल्यूशन सदन के सामने पेश है मैं इसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ते बताया है कि देश में ६० लाख मकानों की जरूरत है। अब इस बात से तो वैसे इंकार नहीं किया जा सकता कि इस देश के अन्दर मकान बनते नहीं है। मकान बनते तो है लेकिन ज्यादा जोर उन मकानों के लिए दिया जाता है जो कि बड़े होते है। बड़े लोगों और बड़े मकानों की तरफ सरकार का ध्यान जाता है। छोटे मकानों या छोटे इंसानों की तरफ तवज्जह नहीं दी जाती है। देश का निर्माण उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक कि सरकार का ध्यान छोटे मकानों और छोटे इंसानों की तरफ नहीं जाता। देश का सही और वास्तविक निर्माण उस वक्त तक न हो सकेगा जब तक कि देहातों और शहरों में भी वह लोग जो कि देहातियों से भी बदतर जिन्दगी बसर कर रहे है उनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देगी। यह तभी हो सकता है जब कि कोई एक ऐसा बोर्ड बने जो बाकायदा तौर पर इनक्वायरी करे और यह मौजूदा चाल जो मिनिस्टरी की है उस के ऊपर कुछ रोक लगा सके और उसको दुरुस्त कर सके।

आप यहीं दिल्ली की ही मिसाल ले लीजिये। हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए है। क्या यह वाकया नहीं है कि अभी पिछले चुनाव के समय उन्होंने झोंपड़ी झुग्गी वालों से कितने वायदे और इकरार किये थे कि तुम्हारी झुग्गियां यही बनी रहेंगी और तुम्हारी झुग्गियों को पक्का किया जायेगा बस वोट की दक्षिणा डालो। वोट अपना हमें दे दो उसके बाद तथास्तु और स्वर्ग तक तुमको पहुंचा दिया जायेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? रोजाना अखबार में पढ़ते है कि आज फलां जगह १५० झुग्गियां तोड़ दी गयीं, कहीं ५० झुग्गियां गिरा दी गईं तो कहीं ६० गिरा दी गयीं। उनके लिये पक्के मकान बनाना तो दूर रहा जो पहले से उन गरीबों के टूटे फूटे मकान बने हुए है उनको आये दिन तोड़ा जाता है। मैं साफ तौर पर एलान कर देना चाहता हूं कि यह तरीका हाउसिंग की प्राबलम को हल करने का नहीं है।

अभी पिछले दिनों लाल किले के पास जो आग लगी थी और जिसके कि फलस्वरूप १२५ या १५० झोंपड़ियां जल गई थीं उनकी दर्दनाक हालत के सम्बन्ध में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब खत लिखा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ५००० रुपया में अपने फंड से दे रहा हूं और बाकी बन्दोबस्त किया जायेगा। उसको लेकर यहां सदन में काफी शोर मचा था और सरकार ने यह वादा भी किया था कि उनको बदले में मकान बना कर देकर बसायेंगे लेकिन अभी तक उनके लिये कुछ नहीं हो रहा है। दस रुपया फ़ी-महीना तम्बुओं का किराया और उनसे वसूल किया जा रहा है। वे कहां से कमा कर देंगे? चार महीने बीतने को आए। उन में से पांच सात को, जो किसी बड़े आदमी के नजदीक हों, या बड़े आदमियों को सलाम करने वाले हों, कोई कर्ज़ा मिल जाये, तो मिल जाये, लेकिन बाकी को मिलते की कोई उम्मेद नहीं है। आज किसी रीति-नीति और तौर तरीके से काम नहीं चलता है यानी कोई एक तरीका मुकर्रर नहीं है, जिसके मुताबिक काम चले। सब काम अलग अलग तरीकों से चलता है। अगर किसी आदमी को ईंटें मिल भी जायें, तो सिर्फ ईंटों से मकान नहीं बनता है। उसके बाद सीमेंट चाहिए, काठ-किवाड़ चाहिये। आज अलग अलग महकमों के परमिट सिस्टम चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार के उच्चाधिकारियों या बड़े लोगोंके नजदीकी लोगों का ब्योपार चलाते के लिए परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर सीमेंट के परमिट की दुकान खोल दी। परमिट उसकी दुकान के बगैर नहीं मिलता है। जब तक परमिट नहीं मिलता है, तब तक सीमेंट नहीं मिलता और जब तक सीमेंट नहीं मिलता है मकान नहीं बनता है, ईंटें वहे पड़ी रहें।

[श्री बागड़ी]

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिन लोगों को कर्ज़ दे देती है, उन में से बेश्तर लोगों के पास ज़रूरी साधन नहीं होते है और साधन हों भी कैसे, जब कि परमिट सिस्टम का तरीका सरकार ते बनाया हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस परमिट-सिस्टम की रोक के लिये इस बोर्ड की बड़ी जरूरत है। जो कर्ज़ा दिया जाता है, वह दरअस्ल मकान बनाने के लिये नहीं दिया जाता है। मैंने सारे देश में भ्रमण करके देखा है कि ये कर्ज़ तो अपने लोगों को, इलेक्शन में अपने आदमियों को मदद करने वाले लोगों को एक किस्म की बख़शिश या दान के तौर पर, या जैसे बाप अपने बच्चे-बच्चियों को जेब ख़र्च दिया करते हैं, वैसे जेब-ख़र्च के तौर पर दिये जाते है। जिस तरीके से सट्टे में सौ में से एक या दो सटोरियों का नम्बर निकलता है, ख़र्ज़ा देने के मामले में उस तरीके का सटोरिया सिस्टम अपनाने से इस देश का कोई कल्याण नहीं होने वाला हैं। अगर ५०० में से एक का मकान बन गया, तो ४९९ इस इन्तजार में रहेंगे कि उनका नम्बर कब आता है और इसलिए वे कुछ नहीं कर सकेंग और अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर सकेंगे। उनकी आंखें सरकार की तरफ लगी रहेंगी कि उनके लिये कुछ किया जाये।

आज इस देश में करोड़ों की तादाद में ख़ानाबदोश लोग हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं। आज उनकी कोई जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है। इस बात की जरूरत है कि उनके लिए मकान बनें—बेशक छोटे मकान बनें। अगर बिल्डिंग्ज़ के बजाय झोंपड़ियां भी बनें, तो भी ठीक है। इस दिल्ली में एक लाख के करीब झोंपड़ियां हैं। आज दिल्ली की सुन्दरता यह मांग करती है कि उन लोगों को उजाड़ दो, लेकिन दिल्ली की मानवता यह मांग करती है कि उनको बसा दो। सवाल यह है कि इस आजादी से उन लोगों को क्या मिला। जो लोग आजादी से पहले कहीं रह सकते थे, आज़ादी के बाद उनके रहने के लिये जगह नहीं है। हमारे मिनिस्टर साहबान तो मीलों-मील कोठियों में रहें, लेकिन उनकी सुन्दरता खत्म हो जाती है, टूट जाती है, अगर वे गरीब लोग झोंपड़ियों में रहें, आज हालत यह है कि सरकारी कर्मचारी उन लोगों की झोंपड़ियों को ठोकर मार कर तोड़ देते हैं और उनकी औरतों—हामला औरतों—और बच्चों को वहां से निकाल देते हैं। काश, किसी मिनिस्टर के मकान को इसी तरीके से गिराया जाता, तब पता चलता कि न्याय, कानून और कायदा क्या है।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि खूबसूरती इंसानों को उजाड़ने से नहीं हो सकती, खूबसूरती उनको बसाने से होगी, चाहे वह किसी भी तरीके से हो। यह ठीक है कि शक्ति के ज़ोम में आकर मिनिस्टर साहब चाहे कुछ करें, कौन पूछने वाला है? उनके पास शक्ति है, वह चाहे कुछ करें। अगर कोई उनके दरवाजे पर इन्साफ के लिय दस्तक दे, तो उनकी मर्ज़ी है कि सुनें या न सुनें। और सुनें कैसे? उनको बहुत उद्घाटन करने होते हैं। मैंने एक दिन में कम से कम छः दफ़ा टलीफ़ोन किया और हर बार मुझे यह बताया गया कि अब वह इस उद्घाटन के लिये गये है, अब उस उद्घाटन के लिये गये हैं। उनको उद्घाटनों से ही फ़ुरसत नहीं मिलती है। वह किस का उदघाटन करते हें, इसका मुझे पता नहीं। अगर मिनिस्टर महोदय झोंपड़ियों को तोड़ने का उद्घाटन करते हों, तो बेशक कर रहे हों, लेकिन उस के अलावा कोई बात मेरी समझ से बाहर है। हम तो यह देखते हैं कि ग़रीबों के मकान नहीं बनते है।

अगर दिल्ली की झोंपड़ियों और झुग्गियों को उठाने और तोड़ने का प्रश्न शान्तिमय ढंग से तय नहीं किया गया, तो मैं इस सदन के सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह दिल्ली सिर्फ़ चन्द लोगों की नहीं है, यह यहां पर रहने वाले सब लोगों की है और हिन्दुस्तान पर हर हिन्दुस्तानी का एक हैं

और इसलिये कोई ऐसा कायदा-कानून नहीं चलेगा, जिसके मुताबिक इन्सानों को उखाड़ कर बेघर और बेदर कर दिया जाये। हो सकता है कि शक्ति में मदहोश हो कर हमारी सरकार और मिनिस्ट्री उनको उखाड़ कर फेंके, लेकिन वह दिन दूर नहीं होगा, जब ये उखड़े हुए लोग, ये भूखे-नंगे लोग, अगर उनको दिल्ली से उखाड़ कर फेंका गया और अगर उनके दिलों को तोड़ा गया, देश के लिये एक संकट बन जायेंगे, जब कि हमें एक कौमी आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है और चारों तरफ से देश की सरहदों को खतरा पैदा हो रहा है। मैं आपकी मार्फत खन्ना साहब से अर्ज़ करूंगा कि वह उन लोगों के दिलों को खिलौना बनाने की कोशिश न करें और उन झोंपड़ियों और झुग्गियों को तोड़ने की कोशिश न करें। मैं उनसे कहूंगा कि वह खुद अपनी कोठी को छोड़ कर दो दिन उन झुग्गियों में रह कर दिखायें। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वे लोग कठिन तपस्या करते है, फिर भी उनकी झुग्गियों को तोड़ा जाता है, उनके घरों को गिरा दिया जाता है और उनके सामान को बाहर फेंक दिया जाता है। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि विदेशी हुक्मरान आ कर १८५७ की बग़ावत के वक्त का नमूना पेश कर रहे है।

इसी तरह आप देखिए कि रामकृष्णपुरम् में कोई सरकारी दुकानें नहीं है। वहां पर गरीब लोगों ने वहां रहने वाले बाशिन्दों को सौदा मुहैया करने के लिए झुग्गियां और दुकानें बनाई और उन्होंने तरक्की की। सरकार क्या करती है कि दस आदमी जाकर उन दुकानों को तोड़ आते हैं। यह क्या मज़ाक बना रखा है? यह क्या कायदा है और यह क्या तरीका है?

मैं आपकी मार्फत आखिर में यह कहना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ़ मिनिस्टरों की कोठियां या मिनिस्टरों के रिश्तेदारों के घरों को बनाना ही नहीं है। आज भले ही मिनिस्टरों ने अपने घर और कोठियां बना ली हों, चाहे प्राइवेट बना लीहों, लेकिन आने वाला वक्त उन सब बातों को दिखायेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि यह बोर्ड बनाया जाये और वह बड़े कर्मचारियों के खिलाफ़ इन्कवायरी करे और मिनिस्टर तक उसमें आयें, तो उन पर मुकदमे चलें और वे जेलों में भेजे जायें, ताकि देश में एक सही रास्ता बने और आने वाले कोई इस तरह की शरारत न कर सकें।

†श्री ब० कु० दास (कंटाई): विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मकान देने के लिये विभिन्न मकान योजनाएं बनाई गई। औद्योगिक मकान योजना तथा अन्य योजनाओं में नियोजकों को अपने कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये सहायता दी गई है। गन्दी बस्तियों तथा अन्य योजनाओं के लिये भी राज्य सरकारों को सहायता दी गई है। कम आय वाले तथा मध्यमवर्गीय आय वाले लोगों को भी सहायता आदि के रूप में काफी सहायता की गई है। वैसे तो बहुत सी योजनाएं हैं लेकिन उनमें आपस में कोई समन्वय नहीं है इस कारण उनका उचित लाभ नहीं हो रहा है।

सेन्ट्रल हाउसिंग बोर्ड तथा राज्यीय हाउसिंग बोर्ड बनाने का विचार था लेकिन इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इतना सत्य है कि जब तक केन्द्रीय हाउसिंग बोर्ड नहीं होगा तब तक ठीक से समन्वय नहीं हो सकता। केन्द्र ने इस सिलसिले में जो सहायता दी है उसका कोई प्रयोग नहीं किया है। जो मकान बनाये गये हैं वे भी बहुत ही गन्दे हैं इसलिये लोग उनमें रहना नहीं चाहते।

भंगियों के लिये जो मकान आदि बनाने की योजना थी उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिये। लेकिन उन लोगों की दशा बहुत ही खराब है। उनके मकानों की दशा बिकुल भी अच्छी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० कु० दास]

वे बहुत बुरी हालत में रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी दशा में सुधार किया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक केन्द्रीय हाउसिंग बोर्ड बनाया जाये जो इनके मकानों की उचित देखभाल करे।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाये जाने वाले मकानों का भी समन्वय इस केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। तीसरी योजना में मकानों के लिये जो राशि रखी गई है वह पर्याप्त नहीं है। केन्द्रीय हाउसिंग बोर्ड बन जाने से इस बात की संभावना है कि वह अन्य साधनों से भी मकान बनाते के लिये धन की व्यवस्था करेगा।

धन की कमी के कारण ही सरकार ने केवल ६ बड़े बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई का काम शुरू किया है। इस बारे में शीघ्र ही कदम उठाने चाहिये वर्ना स्थिति बहुत ही खराब हो जायेगी।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर): वैसे तो इस प्रस्ताव से मुझे पूर्ण सहानुभूति है लेकिन केन्द्रीय हाउसिंग बोर्ड बनाना व्यावहारिक नहीं है। क्योंकि जिन बातों का उल्लेख इस संकल्प में किया गया है वे काफी व्यापक हैं और एक आयोग अथवा बोर्ड द्वारा सभी का काम करना कोई आसान बात नहीं है।

यह देखने में आया है कि राज-पथ बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि इसके किनारे जो मकान बनाये जाते है वे राजपथ के बीच से १०० फुट की दूरी पर हों। इसलिए इस मंत्रालय को इस बारे में ध्यान देना चाहिय।

गांवों में मकान बनाने की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर अलग से ही विचार किया जाना चाहिये। गांवों के मकानों की देखभाल करने वाले विभाग को वित्तीय सहायता भी मिलनी चाहिये। गांवों की पंचायतों और ज़िला परिषदों को इस दिशा में आदर्श बनाना चाहिये ताकि वे इस काम को अपने हाथ में ले सकें। केन्द्रीय हाउसिंग विभाग इनके काम का समन्वय कर सकता है।

शहरों के मकानो की समस्या और भी निराली है। वहां बड़े बड़े मकान तो बन जाते हैं लेकिन उनके चारों ओर नालियों की उचित व्यवस्था न होने के कारण बड़ी गन्दगी रहती है। उनकी दशा भी गंदी बस्तियों जैसी रहती है। साथ ही उन्हें पानी भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिये। सड़कें भी वहां बनानी चाहिये।

मकान बनाने के लिये धन देते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि प्रत्येक राज्य में क्षमता क्या है एवं वहां मकान बनाने के लिये कितना सामान मिलता है। राज्यों की क्षमता के अनुसार ही धन का आवंटन करना चाहिये। तभी अच्छे परिणाम निकलेंगे।

अंत में मैं यही कहूंगा कि इस संकल्प के उद्देश्य से मुझे सहानुभूति है। लेकिन यदि यह पारित हो गया तो कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां आयेंगी। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को पारित नहीं किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया है, उस के सम्बन्ध में मुझे दो चार बातों की तरफ अपने मंत्री महोदय का ध्यान खींचना है । मैं एक ऐसी गन्दी जगह पर रहता हूं, जहां से अगर कोई भी सज्जन पुरुष निकल जाय, वहां से गुजर जाय, तो उस को अपने मुंह से कपड़ा लगा कर जाना पड़ेगा । मुझे अच्छी तरह अनुभव है कि जो लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं उन का स्वास्थ्य किस प्रकार से बिगड़ता है, और वे इतने गरीब लोग होते हैं कि वे ठीक प्रकार से अपना इलाज भी नहीं करा पाते । इस लिये जहां जहां गन्दी बस्तियां हैं उन की ओर हमारे मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये ।

रही मकानों की बात । जहां सरकार की ओर से मकान बनाये जाते हैं, उन के सम्बन्ध में मजदूर बस्तियों में यह देखा जाता है कि मजदूर हमारी इन्टक का सदस्य है या नहीं, हमारी यूनियन को मानता है या नहीं । यह सारी बातें देखने के बाद जो उस का सदस्य होता है, जो उस को मानता है, जो उस को चन्दा देता है, उसी को मकान दिया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हुं । मकान देने के बाद उन करीबों के साथ हमारे इन्टक के कार्यकर्त्ताओं का बड़ा बुरा व्यवहार रहता है । मिल के अन्दर तो उस गरीब के मकान का किराया काटा हो जाता है, लेकिन हमारे कई मजदूर लोग हैं, इन्टक के सदस्य हैं, जिन को अलग से मकान का किराया देना पड़ता है, चाहे आप उस को रिश्वत समझये या रिश्वतखोरी समझिये या चाहे जो समझिये । यदि वह गरीब आदमी उन को पेसा अलग से नहीं देता तो उस को कई प्रकार से मकान से निकलवाने की साजिशें की जाती हैं । मैं आप के सामने भोपाल का एक उदाहरण देता हूं । जो मजदूरों की कालोनी वहां बनी है वहाँ पर रहने वाले मजदूरों से जो इन्टक के कार्यकर्त्ता हैं वे हमेशा कहते हैं कि तुम को मकान तो मिला है लेकिन हमें शराब पीने के लिये हर माह ३ रु० तुम देते जाओ । मैं यह कोई सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं । मैं ने अपनी आंख से देखा है कि मजदूर ने ३ रु० दिये हैं और इन्टक के कार्यकर्त्ता वह ३ रु० लेकर शराब पीते हैं और उसी मजदूर को गाली देते हैं । यह स्थिति सारे मध्यप्रदेश की है जहां जहां मजदूर वर्ग रहता है, जहां मजदूर कालोनीज बनी हैं, चाहे वह ग्वालियर हो चाहे इन्दौर हो, चाहे भोपाल हो, उज्जैन हो, रतलाम, नागदा मन्दसौर या देवास हो । इन सभी स्थानों पर इन्टक का यह व्यवहार चलता है ।

एक ओर यह हालत है, दूसरी ओर जहां पर गन्दी बस्तियां हैं जब वहां हमारे देश के प्रधान मंत्री जाते हैं तो उन को देख कर गुस्से में आ कर, चिढ़ कर, यह कहते हैं कि इन गन्दी बस्तियों को जला दिया जाय । इस देश के प्रधान मंत्री जैसे महापुरुष भी जब इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो उस से गन्दी बस्तियों के अन्दर कभी भी सफाई तो हो नहीं सकती । चाहिये तो इस प्रकार से था कि सारी गन्दी बस्तियों को देखने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जिन मंत्री महोदय को यह डिपार्टमेंट दिया गया है उन को आदेश देते कि तुरन्त ही वहां सफाई की जाय और उन मजदूरों को जो मकान मिलने की जो व्यवस्था है उसे तुरन्त ठीक किया जाया। इस प्रकार का आदेश उन को देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका उन गन्दी बस्तियों के मजदूरों पर बहुत बुरा असर पड़ता है । वह सोचते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है तो यदि हमारी बस्तियां जला दी गयीं तो हम अपने परिवारों और बाल बच्चों को ले कर कहां जायेंगे । आज स्थिति इस प्रकार की है । मैं दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में घूमा और जिन झुग्गियों में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं वहां गया । मुझ से उनकी दशा देखी नहीं गयी । एक एक झुग्गी में दस दस बारह बारह परिवारों के लोग एक साथ

[श्री कछवाय]

रहते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं ने उनसे पूछा कि तुम इस सम्बन्ध में कुछ क्यों नहीं करते तो मुझे उत्तर दिया गया कि जिस समय इलेक्शन हो रहा था तो खन्ना साहब वहां गए थे और उनसे वोट मांगे थे। उस समय उनको यह आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी झुग्गियां और टापरों के स्थान पर अच्छे दो दो मंजिले मकान बना दिए जायेंगे। उनसे यह वादा किया गया था।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : वह मेरा व्यक्तिगत उल्लेख कर र हैं। वह जो बात कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मैं हिन्दी में भी कहे देता हूं, शायद उनको अंग्रेज़ी न आती हो। तो मैं जनाब की खिदमत में उनकी ही बोली में अर्ज कर दूं कि चुनाव तो मैं ने लड़ा और दिल्लीं में चुनाव जीता और काफी संख्या से जीता।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) काफी संख्या में पैसा भी खर्च किया...

†**श्री मेहरचन्द खन्ना**: मैं ने पैसा बहुत खर्च किया क्योंकि मैं पाकिस्तान से पैसा लाया था। मैं शरणार्थी हुं और पाकिस्तान से तबाह ही कर आया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वह मेरे मुकाबले में क्या बात करेंगे। आज कहा जाता है कि मिनिस्टरों के इतने बड़े बड़े बंगले हैं। मैं ऐसे सैकड़ों की तादाद में छोड़ कर आया हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं इलेक्शम के दिनों में झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ गया और सब के साथ बात की——

†**श्री गौरीशंकर** : एक औचित्य प्रश्न है, क्या वह उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं उत्तर दे रहा हूं।

†**श्री गौरीशंकर** : यह काफी है कि उन्होंने इन्कार कर दिया है।

श्री कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा समय की बात नहीं कहता। मैं कल भी उस क्षेत्र में गया था। उस क्षेत्र में मैं ने अपनी आंख से देखा है, मेरे साथ और भी सज्जन थे। गई बरसात में पिछले १२ दिन की बात है, जब बरसात पड़ रही थी उस समय एक मजदूर की झुग्गी उखाड़ी गयी और तोड़ी गयी। उसने रो रो कर कहा कि मेरी झुग्गी मत तोड़िए, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास तीन बच्चे हैं, मैं उनको लेकर कहा जाऊंगा। वह बुरी तरह रोने लगा, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गयी। उसके बाद में उसी क्षेत्र में कुछ लोगों को जमीन के टुकड़े बांटे गए, प्लाट दिए गए, जिनका भाड़ा १३ रुपया मासिक लेते हैं। वे मजदूर बाजार के अन्दर पौने दो रुपए रोज पर मजदूरी करते हैं। यह १३ रुपया देने के बाद जो उनके पास बचता है उसमें वे किस प्रकार अपने परिवारों को चला सकते हैं।

मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि अगली पंच वर्षीय योजना में देश में बहुत सी फैक्टरियों और मिलें बनेंगी। उन मिल मालिकों पर दबाव डाला जाना चाहिए कि उन मिलों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए उन कारखानों के निकट ही मकान बना कर दें। पिछली बार ऐसी बात हुई थी कि मिल में जो उत्पादन या आमदनी होगी उसका १ प्रतिशत मजदूरों के माकन बनाने पर लगाया जाएगा। इस प्रकार की बात तै हुई थी लेकिन मिल मालिकों ने उस बात को नहीं माना। इसके पीछे हमारे बहुत बड़ेबड़े नेताओं का हाथ है। वे जाकर उनके साथ चाय पार्टियां उड़ाते हैं और उनकी बात कहते हैं। इससे मजदूरों को बड़ी तकलीफ होती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आज मज़दूरों को देहातों में रोज़गार नहीं मिलता, इसलिए वे शहरों में आते हैं। यहां उनको रहने की जगह नहीं मिलती और वे अपना परिवार अपने साथ नहीं ला सकते। वह जहां बस जाते हैं वे गन्दी बस्तियां हो जाती हैं। इस के सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना ही चाहिए। ये जो आने वाले पांच वर्ष हैं इनमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि चाहे मजदूर इंटक के या किसी दूसरी यूनियन के हों सब मज़दूरों को ठीक प्रकार से मकान मिलने चाहिए, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह पक्षपात की स्थिति बहुत बुरी है। मज़दूर लोग रो रो कर मुझ से कहते हैं कि यह जो पक्षपात उनके साथ होता है यह ठीक नहीं है। इसलिए मुझे इतना ही कहना है :

ग़रीब को मत सता ग़रीब रो देगा,
गरीब की बददुआ लगी तो जड़ मूल से खो देगा।

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव)** : माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है मैं उनसे सहमत हूं। निसन्देह मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में सभी के पास रहने के लिये आवास हों। तथापि दूसरी परियोजना में यह अन्तर बहुत बढ़ गया था। आज हमें उस स्थिति का सामना करना है।

१५ अगस्त १९४७ के पश्चात् से हमें अपनी अर्थव्यवस्था में क्रांति लानी थी। इस के लिये हमने कुछ पूर्ववर्तितायें निश्चित कीं। जैसे कृषि, सिंचाई सुविधायें, भारी उद्योग इत्यादि। केन्द्र तथा राज्यों में आवास समस्या के हलों को वह पूर्ववर्तिता नहीं दी गई जो अन्य विषयों को दी गई।

योजना आयोग इस समस्या के प्रति जागरूक है और इसी कारण पहिली और दूसरी योजनाओं में इसे अधिकाधिक राशि प्रदान की गई। दूसरी योजना में कुल ५ लाख मकान बने जबकि तीसरी योजना में ९ लाख मकानों के बनाने की योजना है। दूसरी योजना में २५० करोड़ रुपये इस कार्य के लिये निश्चित किये गये थे। तीसरी योजना में ४५० करोड़ रुपये दिये गये हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में काफी कार्य हो रहा है और इस में ११२५ करोड़ रुपये लगाये गये हैं।

योजना के अधीन रखी गई गृह निर्माण योजनाओं के अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा भंगियों व बागान श्रमिकों के लिये भी मकान बनाने की योजनायें हैं। इन सभी योजनाओं के अधीन काफी मकान बनेंगे। तथापि इस से यह समस्या हल नहीं हुई है।

सरकार सस्ते मकान बनाने के सामान के बारे में भी अनुसंधान कर रही है। राष्ट्रीय गृह निर्माण संगठन मकान सस्ते बनाने तथा मकानों की लागत कम करने के लिये नये तरीकों की खोज कर रहा है।

श्री नम्बियार ने पश्चिमी देशों का उदाहरण लिया है। तथापि वहां भी गंदी बस्तियां हैं। रूस में भी ४० वर्ष के साम्यवादी प्रशासन के पश्चात् भी आवास समस्या मौजूद है। तथापि फिर भी आवास को सर्वप्रथम पूर्ववर्तिता देना संभव नहीं होगा।

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं तथापि मेरे विचार से एक आयोग की नियुक्ति इस मामले में कोई सुधार नहीं कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

श्री नम्बियार को हमारे संसाधनों का पता है । सभा को ज्ञात है कि आवास योजनाओं की क्रियान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर है । अतः राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में उत्साह दिखाना चाहिये तथापि हम भी इस मामले में जहां तक उचित राशि देने का सम्बन्ध है पूरा सहयोग करते हैं ।

इस सम्बन्ध में मद्रास राज्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है । मैसूर, राजस्थान महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में अच्छा कार्य किया है । तथापि कुछ राज्य पीछे भी रह गय हैं ।

मेरे ज्येष्ठ सहयोगी ने इस बात की भरसक कोशिश की है कि राज्य इन योजनाओं पर अमल करें । उन्होंने कई राज्यों का दौरा कर लिया है और अन्य कई राज्यों का दौरा वह आगामी आवास मंत्रियों के सम्मेलन तक पूरा कर लेंगे ।

इस प्रकार हमारा मंत्रालय काफी दिलचस्पी ले रहा है । हमने अधिकारियों को भी यह अनुदेश दिया है कि वे राज्यों में जाकर देखें कि उन के सहयोगियों को क्या कठिनाई है । और उसे दूर करने का प्रयत्न करें ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि गृह निर्माण समितियों को भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है । इस कार्य के लिये भूमि अर्जन और विकास योजना है । इस कार्य के लिये २६ करोड़ रुपये रखे गये हैं । नगरों के समीपवर्ती इलाकों के लिये गृह निर्माण बोर्ड बनाये गये हैं जो कि सहकारी समितियों को भूमि देंगी ।

गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । सच्चाई तो यह है कि कई नगर गन्दी बस्तियां ही हैं । वहां न उचित नाली व्यवस्था है और न जल संभरण । उन का नवनिर्माण करना बहुत कठिन है ।

हम यह विचार कर रहे हैं कि गंदी बस्तियों की समस्या पर विचार करने के लिये निगमों के मेयरों और देश की बड़ी नगरपालिकाओं के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई जाय । हम चाहते हैं कि आर्थिक उन्नति का लाभ ग़रीब व्यक्तियों को भी मिले ।

तथापि मेरा विचार है कि आयोग की स्थापना से यह समस्या हल नहीं होगी । इसकी क्रियान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर करती है । अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में राज्य सरकारों से बातचीत करें । वे अपने प्रभाव का इस सम्बन्ध में उपयोग कर सकते हैं कि राज्य सरकारें इन योजनाओं को क्रियान्वित करें ।

इस सम्बन्ध में सभा में बहुत से प्रश्न पूछ जाते रहे हैं इस से यह स्पष्ट है कि सभा इस मामले में बहुत सतर्क है और काफी दिलचस्पी लेती है ।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय की एक परामर्श दातृ समिति भी है । संसद् सदस्य इस सम्बन्ध में वहां चर्चा कर सकते हैं और अपनी शिकायतें रख सकते हैं । तथापि आयोग की स्थापना से यह समस्या हल नहीं होगी । यह कहा गया है कि आयोग राज्य के कार्य पर नजर रखेगा । जब अमल में लाने का कार्य राज्य सरकारों का है तो इस आयोग का क्या प्रयोजन होगा । मेरे

विचार से यदि वे इस सम्बन्ध में रखी राशि की वृद्धि करने का सुझाव देते तो अधिक अच्छा था ।

इस सम्बन्ध में जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं मेरे ज्येष्ठ सहयोगी कई राज्यों में हो आये हैं । मैं भी कुछ राज्यों में गया हूं । राज्य सरकारों ने अधिक राशि की मांग की है । हम चाहते हैं कि योजनायें शीघ्र क्रियान्वित हों । इस समस्या पर आवास मंत्री सम्मेलन में विचार किया जायेगा । इस सम्मेलन का उद्घाटन १७ अक्टूबर को प्रधान मंत्री द्वारा किया जायेगा ।

माननीय सदस्य ने केन्द्रीय आवास बोर्ड का जिक्र किया है । सम्मेलन में इस प्रश्न पर भी विचार किया जायगा । इस प्रकार मंत्रालय इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रहा है । राज्य सरकारों से भी यह कहा गया है कि वे अपनी सारी राशि का उपयोग करें । अतः मैं उन की भावनाओं से पूरी तरह सहमत होते हुए भी माननीय प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इसे वापस ले लेवें ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** निधियों के उपयोग के बारे में, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा । यह सत्य है कि दूसरी योजना में किये गये आवंटन पूरे खर्च नहीं किये गये और राशियां व्यपगत हो गई हैं । प्रत्येक राज्य अधिक आवंटन चाहता है । हमारा विचार यह है कि पांच साल के सारे आवंटन पहले तीन सालों में ही कर दिये जायें । यदि हम चौथे या पांचवें वर्ष में करें, तो उन का व्यपगत हो जाना स्वाभाविक है ।

देश में अधिक मकान बनाने का इरादा है । यदि २०० करोड़ रुपये में से बहुत सी राशि व्यपगत हो जाती है, तो यह संतोषजनक नहीं है । मैं इस बारे कोशिश करूंगा कि धन अच्छी तरह खर्च किया जाय और कोई राशि बाकी न बचे ।

यदि एक राज्य धन का पूरा उपयोग नहीं कर रहा तो इस का रुपया दूसरे राज्य को भी दिया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि हम इन मामलों पर चाहे व किसी समुदाय से संबंधित हों, राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करेंगे और उन से कहेंगे कि संसद् की यह इच्छा है कि मकान बनाने के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाय । इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार की ओर से आश्वासन दे सकता हूं कि हम धन का पूरा उपयोग करेंगे और यह उन योजनाओं पर खर्च किया जायगा जो गरीब लोगों की उन्नति के लिये हों और उन के लिये अधिक रुपया दिया जायगा ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : हम ने दो या तीन पहलुओं की ओर ध्यान देना है । आवंटन अधिक किये जाने चाहियें । दूसरा, इन को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिये और तीसरा राज्यों को अधिकाधिक मकान बनाने के लिये सहायता देनी चाहिये । इन सब बातों के लिये एक आयोग मंत्रालय की सहायता कर सकता है । इसी कारण मैं ने आयोग की मांग की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नम्बियार]

उपमंत्री ने कहा था कि सरकार ४२ करोड़ व्यक्तियों के लिये मकान नहीं बना सकती। यह मेरे भाषण का उद्देश्य नहीं था। मैं ने तो कहा था कि हम हर साल केवल १ लाख मकान बनाते हैं, जोकि बहुत कम हैं इस का अर्थ यह है कि सरकार ग्रामीण लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं देती। सरकार को उन्हें प्लाट दे कर सहायता करनी चाहिये।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुये]।

इस काम के लिये यदि आवश्यक हो, तो विधान भी बनाना चाहिये।

फिर ऋणों का प्रश्न भी है। राज्य सरकारों से ऋण लेने में अत्यधिक कठिनाइयां हैं। लाखों ग्रामीण लोग ऋण के लिये आवेदन पत्र देते हैं, किन्तु उन का शीघ्र निपटारा नहीं होता। इसलिये इस मामले में कुछ दबाव डालने की आवश्यकता है। इसलिये सदन एक आयुक्त नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दे सकता है यह आयोग सरकार के हाथ मजबूत करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरा संकल्प स्वीकार किया जाये।

†**श्री ब० कु० दास** : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि शहरों और ग्रामीण आवास और गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं की प्रगति की जांच करने और उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने के उपाय सुझाने के लिय एक आयोग नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशा के बारे में संकल्प

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू और काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश के विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशा की जांच पड़ताल करने के लिय संसद् सदस्यों, विख्यात वैज्ञानिकों और प्रशासकों का एक आयोग नियुक्त किया जाये।"

देश की विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं में नियोजित अनुसंधान कर्ताओं और वैज्ञानिकों के कार्य की दशा की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। संकल्प का उद्देश्य यह देखना है कि इन कर्मचारियों के कार्य की दशा में सुधार हो, ताकि वे अधिक अच्छा काम कर सकें।

सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोगशालाओं एवं अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं की स्थापना किये जाने के बावजूद उन अनुसंधानों से जनसाधारण को कोई लाभ नहीं हुआ है। इस से मालूम होता है कि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अनुसंधान कार्यक्रमों और अनुसंधान कर्ताओं के कार्य की दशा की जांच करना आवश्यक है ताकि इस रोग का वास्तविक कारण मालूम हो सके ।

अनुसंधानकर्ताओं एवं अन्य वैज्ञानिक कर्मचारियों के कार्य की दशा में कुछ मामलों को छोड़ कर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । वैज्ञानिक कर्मचारी समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये मालूम होते हैं । समिति ने देश के समस्त वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिये समान वेतन आदि देने का सुझाव दिया था । परन्तु फिर भी विभिन्न संस्थाओं में अनेक वेतन क्रम प्रचलित हैं । जैसा कि प्रो० महानलोबिस ने कहा है, विज्ञान के शास्त्रकीयकरण से वैज्ञानिक कर्मचारी विशेष कर उच्चे पदों पर आसीन, नौकरीशाही मनोवृत्ति वाले बन गये हैं । सम्बन्धित नियमों में परिवर्तन किये जाने चाहिये ताकि प्रशासकों को पीछे रख कर वैज्ञानिक एवं प्रविधिक कर्मचारियों को उन का वास्तविक महत्व दिया जा सके ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने १९६० में यह आश्वासन दिया था कि वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन किये जाने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । यह बताया जाना चाहिये कि उस आश्वासन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

वैज्ञानिक कर्मचारियों को अनेक असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे मामले भी हुए हैं कि विदेशों से लौटे कर्मचारियों को उपयुक्त नौकरियां नहीं मिलीं । इन सब समस्याओं पर विचार किये जाने की जरूरत है ।

सरकार को वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को कार्यरूप में परिणत करने की व्यवस्था भी करनी चाहिये और केवल वही कार्य प्रारम्भ करने चाहियें जिन को वह वांछनीय समझती हो ताकि वैज्ञानिक कर्मचारियों का बहुमूल्य समय और श्रम बरबाद न हो । सरकार को वैज्ञानिक कर्मचारियों के संघों की कठिनाइयों पर भी विचार करना चाहिये ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : सभापति महोदय, अभी मेरे मित्र, श्री मल्होत्रा, ने हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति के बारे में जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति संबंधी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

इस समय हमारे देश में आर्थिक विकास की जो स्थिति है, उस को देखते हुए वैज्ञानिक अनुसन्धान में विशेष दिलचस्पी दिखाना बहुत ज़रूरी है । आर्थिक विकास तब तक हमारे देश में सम्भव नहीं है, जब तक कि वैज्ञानिक अनुसंधान का काम बहुत काफ़ी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता है । इसलिये इस दृष्टि से भी हम को वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ।

एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि ख़ास शिक्षा के दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक विकास के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य को काफ़ी विकसित करें और उस के लिये सब सुविधायें उपलब्ध करने की कोशिश करें । जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, तब तक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकास नहीं हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

इसलिये किसी भी दृष्टिकोण से हम विचार करें, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति के लिये सब प्रकार की सुविधायें देने की ज़रूरत है । लेकिन, जैसा कि इस रेज़ोल्यूशन के प्रस्तावक, श्री मल्होत्रा, ने अनेक आंकड़ों से हर तरह से साबित किया है, हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है । न तो हम वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं को उचित सुविधायें देते हैं और न उन के लिये ऐसे साधनों को प्रस्तुत करते हैं, जिन के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में संतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो सके और उस की समुचित प्रगति हो सके ।

श्री मल्होत्रा ने बताया है कि किस प्रकार १९४७ के बाद भी हमारे देश में इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । सामान्य शिक्षा में दिलचस्पी लेने वाले या वैज्ञानिक कार्यों में दिलचस्पी लेने वाले इस स्थिति को समझते हैं कि अनुसंधान का कार्य तब तक संभव नहीं है, जब तक कि काफ़ी सुविधायें न दी जायें । आर्थिक सुविधा भी दी जाये और साथ ही यह भी ज़रूरी है कि जो लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में रत हैं, उन की स्थिति को सम्मानजनक बनाया जाये, लेकिन हमारे देश में इन दोनों में से एक भी स्थिति नहीं है । न हम वैज्ञानिक अनुसंधान करने वालों को आर्थिक दृष्टि से कोई विशेष सुविधा दे पाते हैं और न वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहने वाले व्यक्तियों को, वैज्ञानिकों को, इस देश में राजनीतिज्ञों की तुलना में या प्रशासन के कार्य में लगे व्यक्तियों की तुलना में सम्मानजनक ही माना जाता है । ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कुछ लोग रिसर्च वर्कर या रिसर्च फ़ैलो के रूप में अपने नाम दर्ज करवा लेते हैं और कोई दूसरा काम मिल जाने पर छोड़ कर दूसरी जगह चले जाते हैं । इस प्रकार वास्तव में वैज्ञानिक अनुसंधान की जिस रूप में प्रगति होनी चाहिये, उस रूप में वह नहीं हो पाती है ।

हमारे सामने प्रोफ़ेसर महलनवीस का एक छोटा सा लेख है, जिस में उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि अगर हम अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति हो और उस की तरफ़ हमारा ध्यान जाये । इसीलिये उन्होंने बताया है कि :—

> "देश में उपलब्ध कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग करने का सब से अच्छा तरीका व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा होता है । यह तब संभव हो सकता है जब कुछ वैज्ञानिक मूलभूत अनुसंधान में लगें और सैद्धांतिक अनुसंधान के अवसर बढ़ें ।"

ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे देश में न फ़ंडामेंटल रिसर्च के लिये कोई सुविधा है और न एप्लाइड रिसर्च के लिये । जहां तक फ़ंडामेंटल रिसर्च का सम्बन्ध है, सरकार ने देश में बहुत सी नेशनल लैबारेटरीज़ बनाई हैं । उन में जो वैज्ञानिक हैं, वे अनुसंधान का काम करते हैं । इस के साथ ही विश्वविद्यालयों में विज्ञान के जो प्रोफ़ेसर हैं, चाहे वे फ़िज़िक्स का शिक्षण देते हों और चाहे कैमिस्ट्री, मैडिसन या एग्रीकल्चर का, उन के ज़िम्मे भी अनुसंधान का काम है, लेकिन जो लोग विश्वविद्यालय की शिक्षा से थोड़ा भी सम्बन्ध रखते हैं, वे जानते हैं कि विश्वविद्यालयों का वातावरण राजनीति के कारण बहुत गन्दा हो गया है । इस के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक विषयों के प्रोफ़ेसरों को विद्यार्थियों को पढ़ाने का और दूसरा इतना काम करना पड़ता है कि जिस की वजह से उन में अनुसंधान के लिये कोई भी दिलचस्पी नहीं रह जाती है ; न उन में रुचि रह जाती है और न इस के लिये उन्हें किसी प्रकार की सुविधा ही दी जाती है । मैं चाहता हूं कि उन

की तरफ सर्वाधिक ध्यान दिया जाय । ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग विदेशों से विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उपडिग्रियां प्राप्त कर के आते हैं उन को यहां जब काम मिल जाता है तो अनेक कारणों से उन का उस ओर से लगाव कम हो जाता है और वे फंडेमेंटल रिसर्च का काम, विज्ञान के क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं । ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि इन सारी बातों की जांच करने के लिये सरकार एक ऐसे कमीशन की, एक ऐसे आयोग की नियुक्ति करे जो सारी परिस्थितियों पर गौर करें, जो सारी चीज़ का अध्ययन करे और जांच कर के पता लगाये कि क्या वजह है कि हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य जिस रूप में होना चाहिये था और इस क्षेत्र में जिस रूप में प्रगति होनी चाहिये थी, क्यों नहीं हुई और आगे के लिये उपाय सुझाये ।

जैसाकि मैं ने अभी बताया है, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं इस वैकतेनक युग में तथा दूसरे क्षेत्रों में प्रगति करना चाहते हैं तो बगैर वैज्ञानिक अनुसंधान के नहीं कर सकते हैं और दूसरे देशों के साथ अपना कदम जब तक मिला कर हम नहीं चलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बहुत पीछे रह जायेंगे । सदियों की गुलामी के कारण वैसे ही हमारा देश पिछड़ चुका है और खास तौर पर वैज्ञानिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान कें क्षेत्र मैं तो वह काफी पीछे पड़ गया है । हमारा ध्यान, इस वास्ते, जब तक इधर नहीं जाता है तब तक हम हर्गिज़ इस लायक भी नहीं रह जायेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी, जैसी हम चाहते हैं, तरक्की हो, वह हो सके । बड़ी बड़ी योजना बना कर तथा उन को कार्यान्वित कर के हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं । इसलिये आर्थिक विकास भी बहुत आवश्यक है । लेकिन इस के लिये भी यह बहुत जरूरी है कि हम वैज्ञानिक विकास को समझें, उस के महत्व को समझें । मैं आप के सामने एक दो सुझाव रखना चाहता हूं । वैसे अगर सरकार एक कमिशन नियुक्त करने की बात को मान लेती है जो इस गात की जांच करे तो न सिर्फ सारी चीज़ सामने आ जायेंगी बल्कि हमें यह भी पता चल जायगा कि कैसे हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम आगे बढ़ सकता है । मगर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मैं समझता हूं, यह बहुत जरूरी है कि जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र मैं लगे हुए हैं उन को वेतन ऐसा दिया जाय जैसाकि उन जैसी योग्यता रखने वाले अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है और जो दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं । यदि ऐसा होता है तो उन में लोभ की भावना पैदा नहीं होगी और अनुसन्धान के कार्य को छोड़ कर वे दूसरे क्षेत्रों में नहीं जायेंगे । यदि उन को मामूली कम वेतन मिलता भी है तो भी मैं समझता हूं कि वे इस कार्य को छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों मैं नहीं जायेंगे । सरकार को यह भी चाहिये कि इस क्षेत्र में लगे हुए लोगों को जो जो सुविधायें चाहियें, वे उन को वह सुलभ करे । अगर उन को आर्थिक सुविधायें दी जायें तो कोई कारण नहीं है कि वे इस क्षेत्र को छोड़ कर दूसरे किसी क्षेत्र में चले जायें ।

कुछ दिनों पहले प्रोफेसर हाल्डेन का मामला हमारे सामने आया था । ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक को भी हमारी केन्द्रीय सरकार पर्याप्त सुविधायें नहीं दे सकी जिस की वजह से वैज्ञानिक क्षेत्र के अपने काम को छोड़ कर उन को इस जह से दूसरी जगह जाना पड़ा । जब प्रोफेसर हाल्डेन जैसे विश्व-विख्यात वैज्ञानिक को भी आवश्यक सुविधायें नहीं दी जाती हैं वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये तो फिर साधारण सा वैज्ञानिक जोकि अनुसन्धान के कार्य में लगा हुआ है, उस को हम कैसे सुविधायें दे पायेंगे, तथा कहां तक दे पायेंगे यह तो केवल अंदाज़ करने की ही बात है । मैं समझता हूं कि केवल इसी एक उदाहरण से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । ऐसी स्थिति में हमारे देश में न तो फंडेमेंटल रिसर्च का काम बहुत महत्वपूर्ण हो पाता है और न ही एप्लाइड रिसर्च का ही काम हो पाता है । इस का मैं एक उदाहरणै देना चाहता हूं । वनस्पति में रंग मिलाने का जो काम है वह बहुत महत्व का है । उस के लिये कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं और न ही आज तक वह हो सका है । इस सारी स्थिति में तथा इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता कि जो प्रस्ताव आया है

[श्री सिद्धेश्वर सिंह]

उस का समर्थन किया जाना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इस सब की जांच करने के लिये सरकार एक आयोग नियुक्त करे ताकि हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम आगे बढ़ सके ।

इन शब्दों के साथ जो मौका आप ने मुझे बोलने का दिया है, उस के लिये मैं आप का धन्यवाद करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोन) : यह बड़े गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद देश में २७ राष्ट्रीय प्रयोगशालायें स्थापित हो चुकी हैं । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इन प्रयोगशालाओं में उचित वातावरण है और क्या अनुसंधान के लिये ठीक परिस्थितियां हैं । कुछ समय पूर्व वैज्ञानिकों की सेवा की शर्तों के बारे में चर्चा करते हुए मैं ने बताया था कि उन के वेतन प्रशासकीय सेवाओं की तुलना में कितने कम हैं । जब तक उन्हें संतुष्ट न किया जाये, देश में अनुसंधान के लिये उचित और उपयोगी वातावरण नहीं पैदा किया जा सकता । भारत में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या १००० जन-संख्या में से २ तक पहुंच गई है, जोकि ब्रिटेन के बराबर है । किन्तु वहां ५० प्रतिशत लोग जो विश्व-विद्यालय में जाते हैं, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये जाते हैं । किन्तु यहां इस के उलट है, जिस से यह प्रकट होता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये यहां वातावरण पैदा नहीं हुआ ।

इस समय समस्या यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे किया जाये और इन के परिणामों को क्षेत्र में कैसे लाया जाये ।

†**सभापति महोदय** : वह अपना भाषण अगली बार जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् सभा की बैठक २५ अगस्त, १९६२/भाद्र ३, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

(शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२/ २ भाद्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१७५९—८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४९	ट्रंक बुकिंग	१७५९—६१
५५०	केंसर . . .	१७६१—६३
५५१	मौसम चेतावनी योजना . .	१७६३–६४
५५२	डाक द्वारा भेजे गये तारों के शुल्क की वापसी .	१७६४–६५
५५३	तटीय नौकाओं का निर्माण .	१७६६–६७
५५४	श्रीसैलम जल-विद्युत् परियोजना	१७६७–६८
५५६	गुजरात में धुवारन-बिजली घर .	१७६८–६९
५५७	दूध की बोतल में कीड़ा . .	१७६९—७२
५५८	पटसन उत्पादकों की सहकारी संस्थायें .	१७७२–७३
५५९	थैलीडोमाइड का बुरा प्रभाव	१७७३–७४
५६०	राष्ट्रीय बीज निगम	१७७४—७६
५६१	पैट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां .	१७७६–७७
५६२	जल संसाधन .	१७७८
५६४	फसलें . . .	१७७८–७९
५६५	गन्ना उत्पादकों को दिये गये आस्थगित मूल्य .	१७७९—८१
५६६	गोआ में डाक तथा तार की सुविधायें .	१७८१
५६७	डेरी फार्म .	१७८२–८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६	दिल्ली में टाइफाइड के केस .	१७८३—८५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१७८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४७	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन .	१७८५
५४८	झांसी में टेलीप्रिंटर लाइन .	१७८५–८६

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित

प्रश्न संख्या

५५५	परिवहन सहकारी समितियां	१७८६
५६३	हैदराबाद में गैस-टर्बो प्लांट	१७८७
५६८	कांडला में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	१७८७
५६९	दिल्ली के अस्पताल	१७८७–८८
५७०	सोयाबीन के तेल का आयात	१७८८
५७१	राजनैतिक दल तथा पंचायत चुनाव	१७८८–८९
५७२	विदेशों के लिये विमान-टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार	१७८९
५७३	राष्ट्रीय पक्षी	१७८९–९०
५७४	ग्राम की कुरचना	१७९०

अतारांकित प्रश्न संख्या

१५११	कोचीन पत्तन पर हड़ताल	१७९०–९१
१५१२	राजस्थान में पौकरन और जैसलमेर के बीच रेल-मार्ग	१७९१
१५१३	त्रिपुरा में कृषि भूमि	१७९१
१५१४	कुलू घाटी में भेड़-पालन केन्द्र	१७९१–९२
१५१५	उत्तर रेलवे में विक्रेताओं की स्टालों के निर्माण की लागत	१७९२
१५१६	त्रिपुरा में मोटर दुर्घटना	१७९२
१५१७	त्रिदुरा में विस्थापितों के ऋण	१७९३
१५१८	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि	१७९३
१५२०	व्हीलर स्टालों के एजेंट	१७९३–९४
१५२१	त्रिपुरा की दम्बोरू जल विद्युत परियोजना	१७९४
१५२२	गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल, त्रिपुरा	१७९४
१५२३	भारतीय केन्द्रीय परिपत्र समिति	१७९५
१५२४	केरल में समुद्र द्वारा मिट्टी का कटाव रोकने का काम	१७९५
१५२५	केरल में जल अनुसंधान	१७९५–९६
१५२६	बीकानेर डिवीजन में इंजनों में खराबी	१७९६
१५२७	दिल्ली में अवैध भवन निर्माण	१७९६–९७
१५२८	राजस्थान में बागवानी का विकास	१७९७–९८
१५२९	इम्फाल जल सम्भरण योजना	१७९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५३०	मनीपुर में मत्स्यपालन सहकारी समितियां .	१७६८
१५३१	मुनीगुडा रेलवे स्टेशन (उड़ीसा) . . .	१७६८-६९
१५३२	रायपुर-वाल्टेयर लाइन के स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था	१७६९
१५३३	रायगडा (उड़ीसा) में रेलवे बस्तियां .	१७६९
१५३४	उड़ीसा में सिंचाई की मध्यम परियोजनायें .	१७६९--१८००
१५३५	उड़ीसा में टेलीफोन .	१८००
१५३६	उड़ीसा में परिवार नियोजन क्लिनिक .	१८००
१५३७	अम्बाला ऐक्सचेंज से टेलीफोन . .	१८००
१५३८	माडल टाऊन अम्बाला के समीप हाल्ट स्टेशन	१८०१
१५३९	अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम .	१८०१
१५४०	लाइसेंस प्राप्त भोजन व्यवस्थापकों पर बकाया रकमें	१८०१
१५४१	अन्दमान में सामुदायिक विकास खण्ड . .	१८०१-०२
१५४२	कलकत्ता में दक्षिण-पूर्व रेलवे के दफ्तरों की इमारतें	१८०२
१५४३	कलकत्ता में टेलीफोन	१८०२-०३
१५४४	सहकारी खेती संस्थायें . .	१८०३
१५४५	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ .	१८०३-०४
१५४६	गन्ना पेरना .	१८०४-०५
१५४७	नये मैडिकल कालिज . .	१८०५-०६
१५४८	मेडिकल कालिज . .	१८०६
१५४९	माल परिवहन सहकारी संस्थायें . .	१८०६
१५५०	डेनमार्क की सहायता से प्रयोगात्मक फार्म .	१८०६
१५५१	मासिक टिकट .	१८०७
१५५२	अनाज के संग्रह .	१८०७
१५५३	दूषित ट्यूबरक्यूलिन . .	१८०७-०८
१५५४	बिना डाक्टरों के अस्पताल .	१८०८
१५५५	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पुल .	१८०८
१५५६	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर पुल . .	१८०८-०९
१५५७	मछली फार्म . .	१८०९
१५५८	अगरतला में बाजार . . .	१८०९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५५९	खाद्य स्थिति	१८१०
१५६०	आन्ध्र प्रदेश में विद्युत् परियोजनायें	१८११
१५६१	कोठागुडम और रामगुण्डम तापीय विद्युत् योजनायें	१८११
१५६२	मनीपुर में विद्युत संभरण	१८१२
१५६३	कठुआ में डाक तथा तार घर की इमारत	१८१२
१५६४	सेवावधि का बढ़ाया जाना	१८१२–१३
१५६५	नलकूप	१८१३
१५६६	लाख के फार्म	१८१३
१५६७	भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन	१८१३–१४
१५६८	दिल्ली में कुष्ठ रोग चिकित्सालय	१८१४
१५६९	नौवहन समवायों में कर्मचारियों की छंटनी	१८१४–१५
१५७०	गार्लेडिन (आन्ध्र प्रदेश) में सिंचाई परियोजना	१८१५
१५७१	चीनी कार्प मछलियों का प्रजनन	१८१५
१५७२	गुन्टाकल डिवीज़न में रेलवे दुर्घटनायें	१८१५–१६
१५७३	आसाम में बिजली की कमी	१८१६
१५७४	लक्कदीव द्वीपसमूह में पीने का पानी	१८१६–१७
१५७५	दुग्ध उत्पादन	१८१७–१८
१५७६	दिल्ली में पश्चिमी यमुना को मिलाने वाला नाला	१८१८
१५७७	डाक सेवा	१८१८
१५७८	मालगाड़ी से यात्रा के लिये क्षतिपूरण बन्ध लिखना	१८१८–१९
१५७९	रेलवे डाक सेवा अनुभाग	१८१९
१५८०	प्रत्येक राज्य में सिंचाई और बिजली	१८१९
१५८१	जलप्रपात का सर्वेक्षण	१८१९–२०
१५८२	कच्छ मरुस्थल का विकास	१८२०
१५८३	पूर्व के राज्यों में सहकारिता आन्दोलन	१८२०–२१
१५८४	डमडम छावनी स्टेशन पर ऊपरी पुल का विस्तार	१८२१
१५८५	कांडला पत्तन	१८२१–२२
१५८६	पौधा विषाणु संस्था	१८२२
१५८७	घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्था	१८२२–२३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५८८	औद्योगिक संस्थाओं और नर्सरियों को सहायता	१८२३
१५८९	उत्तर प्रदेश में रेल-फाटकों के दोनों ओर पुलिस की नियुक्ति	१८२३
१५९०	त्रिपुरा में डाक्टर	१८२३–२४
१५९१	मुरादाबाद के समीप रेलवे स्टेशन का लूटा जाना	१८२४
१५९२	केन्द्रीय भैषजालय संस्था	१८२४–२५
१५९३	यूकलिप्टस के वृक्ष	१८२५
१५९४	जल सम्भरण तथा सफाई योजना	१८२५–२६
१५९५	आन्ध्र प्रदेश में रामागुन्डम बिजलीघर	१८२६
१५९६	कलकत्ता पत्तन आयुक्त	१८२६–२७
१५९७	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के जहाज आदि	१८२७
१५९९	दिल्ली में रेल संग्रहालय	१८२८
१६०१	मत्स्य पालन निगम	१८२८
१६०२	दक्षिण रेलवे के मालूर स्टेशन के निकट माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना	१८२८
१६०३	काजीपेट रेलवे स्टेशन	१८२८
१६०४	काज़ीपेट रेलवे स्टेशन के लिय बिजली का ट्रैक सर्किट	१८२९
१६०५	वारंगल स्टशन	१८२९
१६०६	फाइलेरिया उन्मूलन	१८२९–३०
१६०७	दिल्ली के चिड़ियाघर में पशु-पक्षियों को कम खाद्य सामग्री का दिया जाना	१८३०
१६०८	शाहदरा, दिल्ली में मानसिक रोग चिकित्सालय	१८३०–३१
१६०९	जीव विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्र मंडलीय संस्था	१८३१
१६१०	पश्चिम रेलवे की वैगनों का संभरण करने की स्थिति	१८३१–३२
१६११	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	१८३२
१६१२	मछली की आवश्यकता	१८३२
१६१३	मैडिकल कालिज	१८३३
१६१४	लखनऊ के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	१८३३
१६१५	भाखड़ा परियोजना	१८३३–३४
१६१६	गंडक परियोजना	१८३४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों क लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या

१६१७ उत्तर रेलवे के क्लेम्स आफिस . . . १८३४–३५
१६१८ गोरखपुर लोकोशैड के मजदुर की मृत्यू १८३५
१६१९ दिल्ली के अस्पतालों में बिजली सप्लाई में कमी . . १८३५–३६
१६२० पश्चिम बंगाल के खाद्यान्न का विषाक्ट होना . १८३६
१६२१ आसाम में टिड्डी का आक्रमण . १८३६
१६२२ खम्भात की खाड़ी का जलवर्णना सम्बन्धी सर्वेक्षण . . १८३६–३७
१६२३ पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कल्कलीघाट-अगरताला रेलवे लाइन . १८३७
१६२४ दूध की प्रति व्यक्ति खपत . . . १८३७
१६२५ पूर्व रेलवे के लिलुआ क्षेत्र में बनाय गये फ्लैट . १८३७–३८
१६२६ डाक तथा तार कर्मचारी . १८३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १८३८–४०

श्री बृजराज सिंह ने असम और उत्तर प्रदेश में हाल की बाढ़ की ओर, जिसके कारण सहायता कार्यों में मदद के लिये सेना भेजनी पड़ी, सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित

(१) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।
(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।
(३) संघ राज्य-क्षत्र नाट्य-प्रदर्शन (निरसन) विधेयक ।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव १८४१—४४

२२-८-६२ को श्री दातार द्वारा प्रस्तुत भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित १८४५—५४

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ रूप-भेद के बारे में प्रस्ताव १८५४—५६

(१) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने १९-४-६२ को सभा पटल पर रखे गये निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में कुछ संशोधन करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(२) १९-६-६२ को श्री श्रीनारायण दास द्वारा निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन— स्वीकृत १८५७

छठा प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प —अस्वीकृत १८५७—७०

१०-८-६२ को श्री नम्बियार द्वारा शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे मैं प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रही। श्री नम्बियार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्री ब० कु० दास द्वारा संकल्प पर प्रस्तुत एक संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया। संकल्प अस्वीकृत हुआ

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन १८७०—७४

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशा के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १८७४

पांचवा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

शनिवार, २५ अगस्त, १९६२/३ भाद्र १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1752 (Ai) LSD—24-12-62— 140.